खण्ड-306, अंक-3
बुधवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1895
(20 मार्च, 1974 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 306 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, 20 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—399

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (उर्फ जिमी मियां)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां नशतर, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
आशा राम, श्री
इन्द्रपाल सिंह, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला जौनपुर)
ओम प्रकाश सिंह, श्री (जिला मिर्जापुर)
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश, श्री (जिला शाहजहांपुर)
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
का० मु० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरन, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी प्रसाद, श्री
किशन लाल, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खबचन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा बेई, श्रीमती

गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद आर्य, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द्र, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपीनाथ कामेश्वर पुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह, श्री (जिला अल्मोडा)
गोविन्द सिंह, श्री (जिला टिहरी गढ़वाल)
गौरी शंकर, श्री
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्दन सिंह, श्री
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, चौधरी
चरन दास सेठ, श्री
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया जिला आजमगढ़)
जंगबहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जटाधर बाजपेयी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, श्री
जुगल किशोर, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तीरथ राम कोहली
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दया किशन पांडेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ, श्री
दीप नारायन बन महन्थ, श्री
दीपनारायण पांडेय, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
धर्मपाल सिंह, डाक्टर (जिला फर्रुखाबाद)
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
व नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री

नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अंसारी, श्री
पुरुषोत्तम, श्री (जिला देवरिया)
पुरुषोत्तम, श्री जिला मिर्जापुर)
पुरुषोत्तम लाल, श्री (उर्फ राजा जी)
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला एटा)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभू दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुररहमान, श्री
फरजन्द अली, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह, श्री
बलवान सिंह, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाबू लाल, तिवारी, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू सिंह, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृज लाल सिंह, श्री
बैचन राय, श्री
बेनी प्रसाद, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह श्री
भारत सिंह, चौहान, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम्, श्री
भृगुनाथ, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, श्री (जिला जालौन)
मलखान सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान बहादुर सिंह, श्री
मिस्त्रयार खां, श्री
मुंशी लाल, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुलतान सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द, श्री
मेघनाथ सिंह, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल कपूर, श्री

मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असलम, श्री
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंण्डा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह राजा,
रणजीत सिंह, "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफी उल्ला, श्री
रमा, कुमारी
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज बहादुर, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रसाद, चौधरी
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधा चरण, श्री
राम अधार, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
राम चन्द्र बक्श सिंह, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
राम जी लाल सहायक, श्री
राम जी लाल सेन, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
राम पति, श्री
राम लाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री
राम मूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रती, श्रीमती (जिला वाराणसी)
राम रती देवी, श्रीमती (जिला फैजाबाद)
राम रेखा यादव, श्री
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमन दूबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम सेवक यादव, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उपनाम मणी जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्षमण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री

विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शफीकुल रहमान वर्क, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव कुमार पांडेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिव कैलाश, श्री
शिवचरन लाल, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री (जिला आगरा)
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर , डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्री नारायण प्रसाद, श्री (उर्फ मुलई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीश चन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल मलिक, श्री
सत्यपाल सिंह, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदा मिश्रा, श्रीमती
सुखराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह, श्री
सुलतान सिंह, श्री
सूबेदार, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री (जिला बदायूं)
सोहन लाल, श्री (जिला रामपुर)
सोहन लाल घुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हरीश चन्द्र खंडेलवाल, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री

बिक्री-कर विभाग की विज्ञप्तियां

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं 1 दिसम्बर, 1973 के असाधारण गजट में उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट 1948 की धारा-3क के अधीन प्रख्यापित निम्नलिखित विज्ञप्तियों को, उनके सम्बन्ध में

[वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)

दिनांक 26 दिसम्बर, 1973 के असाधारण गजट में प्रकाशित शुद्धि-पत्र सहित, उक्त धारा 3-क की उपधारा (3) के अनसार सदन के पटल पर रखता हूं:—

(1) एस0टी0-दो 6622/दस-1012-1972, दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 ।

(2) एस0टी0-दो-6624/दस-1012-1972, दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 ।

(3) एस0टी0-दो-6626/दस-1012-1972, दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 ।

(4) एस0टी0-दो-6627/दस-1012-1972, दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 ।

(5) एस0टी0-दो-6628/दस-1012, 1972, दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 ।

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री कर ऐक्ट 1948 की धारा 3-घ के अधीन प्रख्यापित दिनांक 1 दिसम्बर, 1973 के असाधारण गजट में प्रकाशित:

(1) विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-दो-6629/दस-1012-1972, एवं

(2) दिनांक 19 मई, 1973 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-दो-दो-805/दस-900(62)-72 को, वित्त (बिक्री-कर)-2 अनुभाग के शुद्धि-पत्र संख्या एस0 टी0-दो 3067/दस-900-(62)-72, दिनांक 8 जून, 1973 सहित, को उक्त धारा 3-घ की उपधारा (8) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

अधिष्ठाता मंडल के लिये नाम निर्दिष्ट सदस्यों के नामों की घोषणा

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा, माननीय मोहम्मद असरार अहमद तथा श्रीमती मोहसिना किदवई को अधिष्ठाता मंडल में नाम निर्दिष्ट करता हूं ।

श्री आत्माराम गोविन्द खेर के अध्यक्ष पद से निवृत्त होने के सम्बन्ध में अभिद्वेश

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण, आज हम अपने पुराने अध्यक्ष के प्रति अपने भाव व्यक्त करेंगे। माननीय खेर साहब को बहुत से माननीय सदस्य तो मुझसे भी ज्यादा जानते हैं। सार्वजनिक जीवन में उनका एक स्पृहणीय स्थान रहा है। प्रारम्भ में राजनीतिक जीवन में ही उनका कार्य अत्यन्त अनुकरणीय एवं प्रेरणादायक रहा। अपने जीवन के प्रारम्भ में अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष रहे थे। सरकार में भी सभा सचिव और मन्त्री पद पर उन्होंने कार्य किया। उसके उपरान्त वे यहां अध्यक्ष के पद पर आसीन हुए। सन 1952 से लेकर सन 1962 तक लगातार अध्यक्ष पद को सुशोभित करते रहे। इसके बाद वे फिर इसी पद पर आसीन हुए और जो-जो निर्णय उन्होंने इस पद से दिये वे अन्य प्रदेशों में भी अनुकरणीय बने। माननीय टंडन जी 13 वर्षों तक इस सदन के अध्यक्ष रहे, डाक्टर सर सीताराम 12 वर्ष तक इस पीठ को सुशोभित करते रहे, उसके बाद माननीय खेर साहब ने इस पद को सुशोभित किया । करीब 15 वर्षों तक माननीय आत्माराम गोविन्द खेर इस अध्यक्ष पद पर कार्य करते रहे।

इस अवसर पर माननीय मुख्य मन्त्री जी सदन में नहीं हैं, लेकिन मैं अध्यक्षों के सम्मेलन के एक निर्णय या सुझाव की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यदि इस देश में किसी भी पीठासीन अधिकारी को उसके आवकाशकाल में अर्थात कार्यकाल के उपरान्त किसी व्यवित-त कानन गके द्वारा पुरस्कृत करने का अवसर हो तो मैं समझता हूं कि खेर साहब का केस सबसे

अच्छा केस है। वैसे मैंने एक बार वर्तमान मन्त्री जी से इस पर चर्चा की थी और उन्होंने मोटे तौर पर उसपर अपनी सहमति भी प्रकट की थी। जैसे हाउस आफ कामन्स में प्रधान मंत्री और स्पीकर को 8 हजार पौंड हर साल पेंशन मिलती है जो चुनाव न लड़े और सार्वजनिक जीवन से हटे अध्यक्ष पद के बाद, उसी प्रकार की शभ परम्परा अपने देश में भी प्रारम्भ होनी चाहिए इस सदन के सम्मुख मैं तो केवल यह संकेत कर रहा हूं, निर्णय तो उसका होगा। तो मैं समझता हूं कि जो...

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

आप किस विषय पर अपना वक्तव्य जारी कर रहे हैं, किस विषय पर बोल रहे हैं? क्योंकि जो एजेंडा मिला हुआ है उसके अनुसार तो आप नहीं बोल रहे हैं। कहीं इसमें आपका वक्तव्य है ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके कार्यसूची का छठवां आइटम देखें ।

एक सदस्य—

श्रीमन, आप इनको नहीं समझा पायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

इनको कुछ भ्रम हो गया है। इन्होंने नहीं पढ़ा होगा और आजकल न पढ़ना ज्यादा सुगम समझा जाता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

इसलिए तो कहता हूं कि इनके क्लास लिये जायं ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

किन्तु क्लास उधर से शुरू किये जायं तो अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष—

चौधरी चरण सिंह जी ने एक बार सुझाव दिया था चूंकि बजट की प्रक्रिया बड़ी कठिन होती है, इसलिए बजट के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समुचित जानकारी दी जानी चाहिए। तो यह कार्य अच्छा है, अध्ययन का क्रम जिस प्रकार चले वह वरणीय और शुभ है।

श्री शफीकुल रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद)—

जो नये विधायक चनकर आये हैं, उनके लिए आपको ट्रेनिंग सेंटर्स खोलने चाहिए ।

एक सदस्य—

और पुराने वाले विश्राम करें।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, दोनों को सिखाना अच्छा है। दोनों के लिए सीखना आवश्यक है। पुराने होने के कारण उनको सीखना आवश्यक नहीं है, यह मैं नहीं मानता हूं। दोनों को मिलाकर अधिकाधिक मनन, चिन्तन और गूढ़ अध्ययन करके इस बात का प्रयास करना चाहिए कि इस सदन के गौरव और गरिमा में चार चांद लगे ।

इन शब्दों के साथ, मैं समझता हूं कि सम्पूर्ण सदन मुझसे सहमत होगा। हम माननीय खेर जी का आदर करते हैं, स्मरण करते हैं और उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं और मैं चाहता हूं कि इस विषय में माननीय नेता सदन और माननीय नता प्रतिपक्ष के जो विचार है

[श्री अध्यक्ष]

तथा साथ ही अन्य दलों के नेताओं के जो विचार है, मैं समझता हूं खेर साहब के कर्त्तव्यमय जीवन और उनकी सेवाओं को ध्यान में रखकर जो आदर भाषण कर सकें वह आप सदन के सम्मुख करने की कृपा करें।

*वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इस सदन को यह अवसर दिया कि अपने श्रद्धेय अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर का हम इस सदन में अभिनन्दन कर सकें। श्री आत्मा राम खेर का सम्बन्ध इस सदन से लगभग 38 वर्ष का रहा है। श्रीमन, जब हमने तत्कालीन लेजिस्लेटिव काउंसिल की कार्यवाहियों का अध्ययन किया तो 1936-37 में जब प्रथम-बार नये चुनावों के आधार पर, गांधी इरविन पैक्ट के अनुसार प्रादेशिक सरकारों का गठन हुआ, पंडित पन्त के नेतृत्व में प्रथम कांग्रेस मन्त्रिमंडल बना, तो उस समय श्री खेर ने एक नई परिपाटी का यहां प्रारम्भ किया। चूंकि पहली बार प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण से चुनी गई विधान सभा का आवाहन हो रहा था तो उन्होंने बन्दे मातरम गान से इस सदन के इस मंच से अपनी से वाणी से यहां प्रेरणा प्रदान की। तब से लेकर और अभी कुछ दिनों तक श्री खेर के व्यक्तित्व की छाप इस सदन में विभिन्न पृष्ठ भूमियों में, सभा सचिव के नाते, स्वास्थ्य मंत्री के नाते, स्वायत्त शासन मंत्री के नाते और सबसे अधिक उनके 1952 से लेकर 1962 तक और 1969 से 1974 तक विधान सभा के अध्यक्ष पद को सुशोभित करने के नाते, उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप इस सदन की कार्यवाही में रही है।

मुझे आप क्षमा करेंगे यदि मैं एक वैयक्तिक प्रश्न का उल्लेख करूं। 1952 में मुझे जब मैं सबसे कम उम्र का, 26 वर्ष का सदस्य होने के नाते यहां चुनकर आने का अवसर मिला, और मैं उनसे कमरे में मिलने गया, प्रथम बार चुन कर आये विधायक के रूप में और विशेषकर विरोधी दल के सदस्य के रूप में, उस समय जो बात उन्होंने कही वह अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा---नारायणदत्त, तुम में यौवन की तरुणाई है, तुम में जिज्ञासा की भावना है, क्रांतिकारिता के स्फुलिंग तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, तुम में अल्हड़पन है, जुलूस निकालने की इच्छा और आदत है, लेकिन याद रखना कि यह सदन वह स्थल नहीं है जहां जुलूस निकाले जायं, वह स्थल नहीं है जहां पर जो सार्वजनिक स्थलों पर, भीड़ में भाव भंगिमा दिखाते हैं वह दिखायी जाय। अध्ययन करो, मनन करो, संविधान पढ़ो, तर्कों के द्वारा प्रहार करो, पार्लियामेंट्री अभिव्यक्ति का प्रयोग करो, सदन की कार्यवाही सदन के ढंग से करो। मुझे कुछ अरुचिकर भी लगा लेकिन जैसे-जैसे विधान सभा की कार्यवाही से मैं अवगत होता गया, मुझे उनके शब्द ऐतिहासिक लगे।

मैं समझता हूं, 15 सालों तक अपने अध्यक्ष का मैं जिस प्रकार से प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को निभाते हुए सदन की मान मर्यादा को निभाते हुए, पार्लियामेंट्री पद्धतियों को निभाते हुए इस सदन को उन्होंने चलाया वह सदन के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित होगा कई ऐसे स्थल आये, कई ऐसे प्रश्न उपस्थित हुए जब कि सदन में भावनाओं की टक्कर रही सदन के क्रम में व्यतिक्रम रहा, सदन की कार्यवाहियों को स्थगित करना पड़ा, लेकिन यहां सब से अधिक जानकारी रखने वाले संसदीय पद्धति के है, नेता विरोधी दल भी है, तमाम ऐसे लोग हैं, जिनकी संसदीय पद्धति और प्रक्रिया का दीर्घकाल से अनुभव है, लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार धैर्य की प्रतिमूर्ति होकर, शान्ति और गाँभीर्य की प्रतिमूर्ति होकर प्रजातांत्रिक दृष्टि कोण से उन्होंने अध्यक्ष पद की मर्यादाओं को निभाया। हमने कभी उन पर आक्रमण भी किया,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी आलोचना भी की, तीखी आलोचना भी की, लेकिन उन्होंने उसको एक सहज भावना से क्षमा किया और फिर पार्लियामेंट्री प्रक्रिया का अवलम्बन करने का आदेश दिया। तो श्रीमन, मुझे विश्वास है कि श्री खेर के जो निर्णय हैं अध्यक्ष पद से, मेरे पास उनका संकलन रखा है एक मोटी पुस्तिका के रूप में, उनकी जो रूलिंग्स है, मैं समझता हूं कि आने वाली पीढ़ी, जब हम इस सदन में नहीं रहेंगे दूसरे हमारे आने वाले साथी और सहयोगी जो इस विधान सभा में आते रहेंगे, श्री खेर की जो रूलिंग्स है, उनकी जो अभ्युक्तियां हैं, टिप्पणियां हैं, निर्देश है, निर्णय है वह इस सदन की पार्लियामेंट्री पद्धति और प्रक्रिया प्रकाश के स्तम्भ के रूप में माने जात रहेंगे (तालियां)

इस सम्मानित सदन के नेता श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा रुग्णावस्था में है। निकट भविष्य में ही, श्रीमन्, इस सदन की सद्भावना से वह यहां पर आने वाले हैं। उन्होंने मुझे टेलीफोन पर यह निर्देश दिया है कि मैं उनकी ओर से श्री खेर का इस अवसर पर सादर अभिनन्दन करूं और जो उनके विचार है, उनको यहां प्रदर्शित करने का प्रयास करूं। श्रीमन्, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री खेर 78–79 वर्ष की अवस्था में भी जीवित हैं और हमें विश्वास है कि, चाहे वह इस सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन एक सीनियर स्टेट्समैन होने के नाते, एक वरिष्ठ नेतृत्व देने के नाते, वह हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, 'जीवेम् शरदःशतम्' वाली उक्ति को चरितार्थ करेंगे।

श्रीमन् ने अपने भाषण में इस बात का संकेत किया कि तत्कालीन अध्यक्ष, श्री खेर को पेंशन आदि या कोई सुविधायें प्रदान करनी चाहिए। आपन मुख्य मन्त्री जी से इस सम्बन्ध में हुये किसी परामर्श का भी उल्लेख किया। अगर आप परामर्श का उल्लेख न भी करते तो इस सरकार के लिए और इस सदन के लिए आपकी ओर से कोई भी दिया गया संकेत सदैव मान्य है। मैं अवश्य इस आज्ञा को मुख्य मन्त्री जी तक पहुंचाऊंगा और अपने सम्मानित विरोधी दल के नेता तथा अन्य नेताओं से परामर्श करके जो भी इस सम्बन्ध में निश्चित होगा, तदनुसार कार्य करूंगा और शीघ्र ही इस सदन में प्रस्ताव या अगर विधेयक की आवश्यकता है तो प्रस्तुत करूंगा।

श्रीमन्, मेरा आपसे यह आग्रह है कि हमारे पक्ष की ओर से, बहुमत पक्ष की ओर से तथा इस सदन की ओर से आप कृपा करके माननीय श्री आत्मा राम गोविन्द खेर को हमारा अभिनन्दनात्मक स्वर और यह अभिनन्दनात्मक भावना पहुंचाने का कष्ट करें। और अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि—

उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो,
न जाने किस गली में जिन्दगी की शाम हो जाये।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मुझको श्री आत्माराम गोविन्द खेर के साथ सन् 1937 से काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह भी सबसे पहले सन् 1937 में इस विधान सभा के सदस्य निर्वाचित होकर आये और मैं भी। तभी से मेरा उनका व्यक्तिगत सम्पर्क भी बहुत रहा। लेकिन मुझे किसी प्रकार का उपदेश जिस प्रकार का नारायण दत्त जी को उनसे प्राप्त हुआ, वह मौका न लगा। इसलिए उन अल्फाजों को छोड़कर बाकी श्री नारायण दत्त जी ने जिस सुन्दर और ललित भाषा में खेर साहब के सिलसिले में जो कुछ भी कहा है, मैं उसके साथ अपने को आबद्ध करता हूं और उनके चिरायु की कामना करता हूं। अन्त में मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि आप विरोधी दल की ओर से हमारी शुभकामनायें उन तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, प्रारम्भ में ही मैं अपने और अपने दल की ओर से माननीय खेर साहब का अभिनन्दन करता हूं। मान्यवर, यद्यपि आज उस कुर्सी पर वह विराजमान नहीं है, लेकिन पिछली बार उनके साथ कार्य करने के आधार पर मुझे बहुत सी बातों का स्मरण होता है और ऐसा लगता है कि अभी हमारे बीच में वे हैं। उन्होंने स्वेच्छा से अवकाश प्राप्त किया है और कदाचित अपने शेष समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, इस कारण हमें सन्तोष है। मान्यवर, आदरणीय खेर साहब के बारे में माननीय तिवारी जी ने और माननीय नेता विरोधी दल ने जो कुछ कहा है उससे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करता है। जहां तक मान्यवर, मुझे जानकारी है माननीय खेर साहब के बारे में वह यह कि उत्कृष्ट देश प्रेम राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर 1920 में उन्होंने अपनी वकालत छोड़ी और स्वतंत्रता संग्राम में कूदे। वह महात्मा गांधी जी के साथ रहे और उन्होंने उस आन्दोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता संग्राम में आगे की श्रृंखला में उनका नाम रहा और भिन्न पदों पर उन्होंने काम किया जिसके बारे में माननीय तिवारी जी ने उल्लेख किया है। वह स्वायत्त शासन मंत्री रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, झांसी की नगरपालिका के अध्यक्ष रहे, जिला परिषद् के अध्यक्ष प्रारम्भ में रहे और उठते-उठते अन्त में यहां 52, 57 और 69 में अध्यक्ष रहे। 57 और 69 में वह निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। उनके निर्विरोध चुने जाने से यह सिद्ध हो जाता है कि सदन के लिए वह कितने प्रिय थे और सदन को उनमें कितना विश्वास था।

मान्यवर, संसदीय प्रणाली में उनकी कितनी अटूट लगन थी और उसको बलवती बनाने में उनका कितना योगदान था वह आप जानते हैं। अनेक संकट के समय आये और गम्भीर परिस्थितियां आयीं जिनमें उन्होंने निष्पक्षता और निर्भीकता से निर्णय लिय। जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा उनकी बहुत सी व्यवस्थायें ऐसी हैं जो हमारे लिए और आगे आने वालों के लिए इस संसदीय जीवन में लैम्प पोस्ट का काम करेंगे। इसके अलावा एक चीज और है जो भुलाई नहीं जा सकती।माननीय खेर साहब साधुता और सज्जनता के प्रतीक थे। अनेक अवसर आये जब मेरी ओर से या माननीय दूसरे सदस्य की ओर से अपने हितों की रक्षा के में कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग हुआ लेकिन जब हम उनके पास गये तो उन्हें मुस्कराता हुआ पाया। हम साधारण व्यक्ति हैं। अगर किसी पर आक्षेप किया जाता है तो उसके मस्तिष्क पर उसकी झलक रहती है लेकिन माननीय खेर साहब के मस्तिष्क पर एक क्षण के लिये भी ऐसी झलक न रहती थी। यह उनके स्वभाव का एक विशेष गुण था। आज वह उपस्थित नहीं हैं इसलिये यह सब कहने की आवश्यकता पड़ी। एक चीज और कह दूं, आप भी उसे जानते हैं। जब कभी हमारे माननीय सदस्यके विशेषाधिकार या सदन के विशेषाधिकार का प्रश्न आया तो उन्होंने बड़ा सख्त कदम उठाया और उसकी मर्यादा की रक्षा के लिये जो सम्भव था वह कदम उठाया। संसदीय प्रणाली का नियमानुसार पालन करना और संविधान की रक्षा करना इसमें भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। मान्यवर, मैं पुनः अपने को अपने पूर्व वक्ताओं के विचारों से सम्बद्ध करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि खेर साहब शतायु हों, चिरायु हों। ऐसे व्यक्ति जिनकी सेवाओं का रिकगनिशन हो तो सरकार को विचार करना चाहिये कि ऐसे महान् व्यक्तियों की सेवाओं का रिकगनिशन किस प्रकार किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

मैं अपनी ओर से और अपने दल, कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से माननीय आत्मा राम गोविन्द खेर का अभिनन्दन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस सदन में 1957 से 62 तक कार्यकाल में कार्य करने का अवसर मिला है और उस समय में उनके व्यक्तित्व, उनके सरल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्वभाव, उनके व्यवहार और उनके द्वारा दिये गये निदेशों की जो छाप मेरे ऊपर पड़ी है वह चिरस्मरणीय रहेगी। उन्होंने इस कुर्सी पर बैठकर जिन परम्पराओं को कायम किया, जिस प्रकार से माननीय सदस्यों को मार्ग दर्शन दिया वह माननीय सदस्य के लिये तथा आने वाले सदस्यों के लिये मार्गदर्शक के रूप में रहेंगी। अध्यक्ष महोदय, एक चीज की छाप जो मेरे हृदय पर ज्यादा है, उसको मैं अवश्य कह दूं कि माननीय खेर के मस्तिष्क में सदन के अन्दर कौन पार्टी छोटी है, कौन बड़ी है, किसके सदस्य ज्यादा हैं, किसके कम हैं, किसको कितना समय देना चाहिये, इस बात से ऊपर उठकर हर पार्टी जिस स्तर की है उसके समान अवसर दिया, भले ही किसी पार्टी का प्रतिनिधित्व कम हो, लेकिन वह आल इन्डिया पार्टी हो, उसकी रीति नीति हो, तो उसके सदस्यों की तादाद ध्यान में न रखकर दूसरे दल के समान अवसर दिया जिससे अपनी नीति इस सदन में रख सके। यह स्वस्थ परम्परा उन्होंने कायम की और मुझे उम्मीद है कि यह परम्परा इस सदन के लिये मार्गदर्शक के रूप में रहेगी। मैं माननीय नेता सदन और माननीय विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे निवेदन है कि हमारे दल की यह शुभकामनायें उन तक पहुंचाने का कष्ट करें।

बाबा रामनाथ (जिला मैनपुरी)---

मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वे पहले बटन दबायें और तब बोलें।

बाबा रामनाथ---

अभी खेर साहब का जो अभिनन्दन हाउस की तरफ से किया गया है उसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिनसे मेरा डिफरेंस नहीं है लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जैसा कि मेरे प्रोफेसर इकबाल नारायण श्रीवास्तव ने बतलाया था कि चाहे पार्लियामेंट हो चाहे विधान सभा हो उसमें जनता के विचारों का प्रतिबिम्ब होना चाहिये। खेर साहब जब यहां रहे तो हो सकता है कि उस समय सदन में उग्र बातें नहीं हुई हों, लेकिन सदन के सदस्यगण उस बात को महसूस करें कि जनता ने उनको सेवा करने का एक लम्बा समय दिया जो अब पास हो गया है। अब नया समय है इसलिये सदन में उसका रिफ्लेक्शन आने वाला है। और यदि होता है, तो मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आप उसे महसूस न करें और विपक्ष को कहने का मौका दें ताकि जनता की सही आवाज सरकार के कानों तक पहुंचती रहे। हमारे तथा ट्रेजरी बेंचेज के बीच में न्याय हो सके और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो मैं कहना चाहूंगा कि जनता के हितों की रक्षा विपक्ष के द्वारा की जायगी।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको टोकता हूं। आप आसन ग्रहण करें। आपको शायद कुछ भ्रम है। आपको यह जानना चाहिये कि जो विषय है उसी पर आपको बोलना है। पहले आप यह देख लें लोक सभा की जो कार्यवाही है उसे देख लें।

(श्री नियाज हसन खां के खड़े होने पर और बिजली फेल होने पर)।

श्री अध्यक्ष---

पावर हाउस से बिजली चली गयी है।

(श्री बांकेलाल के खड़े होने पर)

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

इस ी पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव ले लिया जाय कि बिजली फेल हो गयी है।

एक सदस्य—

कार्यवाही चलती रहे ।

एक सदस्य—

बिजली मंत्री को इस्तीफा देना चाहिये ।

श्री राम सेवक यादव—

मिट्टी का तेल हो अथवा गैस का इन्तजाम करा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस सदन को 15 मिनट के लिये स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 35 मिनट पर सदन स्थगित हुआ और 11 बजकर 50 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, माननीय खेर साहब इस सदन में इस वक्त मौजूद नहीं हैं मगर जो परम्परायें वे छोड़ गये ये हमेशा कायम रहेंगी और हमारे लिये मार्गदर्शक बनी रहेंगी । उनकी सादगी, उनका प्रेम से बात करना यही उनकी एक खुसूसियत थी । मैं अपनी तरफ से तथा अपने दल की तरफ से उनको शुभकामनायें आपके द्वारा पेश करता हूं और आशा करता हूं कि आप उन तक उन्हें पहुंचाने का कष्ट करेंगे ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी की ओर से माननीय खेर साहब का अभिनन्दन करता हूं । मान्यवर, मुझे उसके साथ पिछले दिनों विधान सभा में रहने का अवसर मिला । मैंने देखा कि माननीय खेर साहब सादगी केस्वरूप और आदर्श पुरुष हैं । उन्होंने विधान सभा में विरोध पक्ष के लोगों के जरिये और अपनी कार्य-प्रणाली के जरिये जो छाप डाली वह आगे की विधान सभाओं में भी हमारा मार्गदर्शन करेगी । मान्यवर, हमें यह भी भरोसा है कि माननीय खेर साहब इस समय विधान सभा में नहीं हैं, लेकिन इसके बाद भी जब वे खुले तरीके से इस प्रदेश और देश में शोषणहीन समाजवाद समाज की रचना करने में अपना योगदान करते रहेंगे । इन शब्दों के साथ आप हमारा और हमारी पार्टी का अभिनन्दन उन्हें भेजने की कृपा करें ।

श्री देवकी नन्दन मित्थल के सचिव, विधान सभा के पद से निवृत्त होने के सम्बन्ध में अभिदेश

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण, मैं श्री देवकीनन्दन मित्थल, जो कि सचिव विधान सभा के पद से निवृत्त हो गये है, के विषय में भी अभिदेश करना उचित समझता हूं। उनसे आप भलीभांति परिचित हैं । वे एक लम्बे काल से इस सम्मानित सदन के सचिव के पद पर थे और अब वे उस सेवा से निवृत्त हो गये हैं । उसकी योग्यता, कर्त्तव्यनिष्ठा और लगन से आप सभी माननीय सदस्य परिचित हैं ।

मैं इस विषय में लोकसभा में सचिव के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर उन्हें सवैतनिक रूप से अधिकारी नियुक्त कर दिया गया ताकि अपने मार्गदर्शन के द्वारा सदस्यों का लाभ कर सकें । उसके लिये उन्हें कोई वेतन या भत्ता नहीं है उसी तरह से हम भी इन्हें

अवैतनिक आधार पर, जैसे लोक सभा में हुआ है, अपने काम से सम्बद्ध करें। इस ओर संकेत करते हुए मैं उसकी दीर्घायु की कामना करता हूं।

*वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

श्रीमन्, आपने एक उचित ही दृष्टांत प्रस्तुत किया है कि यह सदन अपने निवत्तमान सचिव, श्री देवकीनन्दन मित्थल के प्रति भी अपना आभार व्यक्त करे और उनका अभिनन्दन करे। श्रीमन्, पार्लियामेंटरी पद्धति और परम्परा में सचिव का स्थान अत्यन्त महत्व का होता है। जिन्होंने ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स की परिपाटी का अध्ययन किया होगा उन सब को ज्ञात होगा कि वहां पर क्लर्क आफ दि हाउस होता है उसी के अनुरूप यहां पर सचिव का पद होता है। जिस प्रकार ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज होता है उसी के पदानुकूल और उसी स्तर का यह पद माना जाता है, मेज पार्लियामेंटरी प्रक्टिस श्रीमन्, हम सबके लिये यहां की प्रमुख नियमावली के रूप में, विधान के अन्तर्गत हमारी सहायता करती रही है। सर आर्स्किन में हाउस आफ कामन्स में वर्षों तक क्लर्क यानी सचिव रहे हैं और वही मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस उनके नाम से प्रख्यात ह जो तमाम विश्व भर की संसदों और विधान सभाओं में मार्ग दर्शन करता है। श्री मित्थल ने 18 वर्षों तक इस सदन के सचिव क रूप में कार्य किया है और इस सदन की तमाम समितियों, स्थायी समितियों, पब्लिक एकाउन्टस कमेटी, एस्टीमेंटस कमेटी, डेलिगेटेड लेजिस्लेशन कमेटी आदि तमाम प्रमुख समितियों के सचिव के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। जिस निर्भीकता के साथ, जिस स्पष्टवादिता के साथ, उन्होंने इस पद की गरिमा और मर्यादा को निभाया ह, वह प्रशंसा के योग्य है। कई बार ऐसे अवसर आये जब कि हम उनके विचारों से, उनकी सलाहों से सहमत नहीं रहे, लकिन फिर भी उनके तर्कों के पीछे जो गाम्भीर्य, जो विचार शक्ति और जो उदाहरण एक लड़ी के रूप में वे हमारे सामने रखते थे उसके आधार पर उनकी सलाह के सामने हमें झुकना पड़ता था। तो ऐसे सचिव जो निवृत्तमान हुए हैं, उसके लिये हमें खेद है लेकिन आज आपने जो एक नयी परम्परा यहां पर कायम करने का निर्णय लिया है, मुझे आशा है कि वह परम्परा कायम होगी और उनकी सलाह, कठिन प्रश्नों पर, कठिन पार्लियामेंटरी प्रश्नों पर, संवैधानिक प्रश्नों पर हमारा मागदशन करने में सहायक होगी।

आपने श्रीमन्, यह निर्णय लिया है कि जिस प्रकार से लोक सभा में श्री कौल अवैतनिक आफिसर नियुक्त किये गये थे उसी प्रकार से श्री मित्थल इस सदन के भी अवैतनिक सलाहकार रहें। श्रीमन्, आपका यह निर्णय शिरोधार्य है। मैं केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि उस अवैतनिक अधिकारी के क्या अधिकार और कर्त्तव्य होंगे इसका अवश्य ही कुछ स्पष्टीकरण होना चाहिये, इस दिशामें स्पष्टीकरण होना चाहिये, इस दृष्टिकोण से स्पष्टीकरण होना चाहिये ताकि श्री मित्थल की योग्यता से लाभ उठाने का अवसर हमें बराबर मिलता रहे। वे अवैतनिक अधिकारी तो रहें लेकिन उनकी सलाह से सदन की समितियां, सदन या सदन के सम्मानित सदस्य वंचित न रहें। श्रीमन्, एक बार मैं फिर अपनी शुभकामना उनके प्रति प्रकट करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि हमारा अभिनन्दन सदन की तरफ से उन तक पहुंचाने का कष्ट करें।

कुंवर शिवनाथ सिंह "कुशवाहा" (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री देवकीनन्दन मित्थल ने हमारे यहां विधान सभा सचिव के रूप में कार्य किया है और एक सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है। उनकी जो सेवायें हैं, उन्होंने अपने कर्त्तव्यों का ईमानदारी और कार्यकुशलता से पालन किया है लेकिन इसके लिये उनकी प्रशंसा इस सदन में करना मेरी समझ से उचित नहीं है। इसके पहले बड़े-बड़े महापुरुष, जैसे डाक्टर राम मनोहर लोहिया, ऐसे महान नेता के सम्बन्ध में, इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्री नाथ सिंह]

सदन में एक शब्द भी नहीं कहने दिया गया, फिर श्री मित्थल जैसे व्यक्ति, जो एक सरकारी अधिकारी थे, उनके सम्बन्ध में प्रशंसा का प्रस्ताव जो लाया जा रहा है, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

एक शासन के सेवक और सदन के सेवक में अन्तर है । जो प्रशासनिक सचिवालय है उससे हमारे सदन का सचिवालय भिन्न है। यह जो व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य ने उठाया है, उन्हें मालूम होना चाहिये कि लोक सभा में भी ऐसा अभिदेश हुआ है । उस समय के स्पीकर साहब ने कहा था---"उनकी दीर्घ और विशिष्ट सेवाओं के कारण मैं श्री कौल को अवैतनिक आफिसर सदन का नियुक्त करता हूं ।" यह उनकी सेवाओं को मान्यता देना है और जो उनकी सेवायें हैं उनको स्वीकार करते हुये वह सदन में स्वतंत्रतापूर्वक आ सकें, सम्पर्क बना सकें और माननीय सदस्यों की जो उनकी सहायता चाहिये वह उनको दे सकें तो एक तरह से उनको कुछ देना नहीं ह, बल्कि उनका सदन में आने के लिये, लाइब्रेरी में बैठने के लिये या आप लोगों को सलाह देने के लिये यह है। इसका और कोई मंतव्य नहीं है । इसलिये भी यह आवश्यक है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सचिव हो वह कर्त्तव्यनिष्ठ हो और जो सेवायें वह हमको उपलब्ध करें वह लगन और निष्ठा से करे और योग्यता से अपने कर्त्तव्य का पालन करें । ऐसे अधिकारी को प्रोत्साहन देने के लिये और उनका व्यवहार आने वालों के लिये अनुकरणीय हो तो यह आवश्यक है कि आप ऐसा करें कि किसी के बारे में जो आपके यहां दीर्घकाल तक सचिव रहा हो उसकी सेवाओं की मान्यता हो । मेरा मात्र संकेत है ।

कुंवर शिवनाथ सिंह 'कुशवाहा'---

श्रीमन्, ठीक है । आपकी जो व्यवस्था हो गई वह हमें स्वीकार है । लेकिन इस पर विचार करना कहां तक ठीक है ।

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)---

अध्यक्ष महोदय, पेश्तर इसके कि मैं कुछ अर्ज करूं---माननीय सदस्य ने एक बात कही श्री---वह यह कि डाक्टर राम मनोहर लोहिया एक पोलिटिकल लीडर के होते हुए भी उनका कोई रिफरेंस यहां नहीं हुआ । यह बात नहीं हुई और हम लोगों ने रिजोल्यूशन भी पास किया जहां तक मित्थल साहब का सवाल है , यह कोई गवर्नमेंट सर्वेन्ट नहीं हैं, वह तो इस सम्मानित सदन के अधिकारी थे और उनके रिटायरमेन्ट पर यहां राय जाहिर करना मेरे खयाल से किसी नियम का या मान्यता का या कंवेंशन का उल्लंघन नहीं है खैर, आपकी रूलिंग हो चुकी है ।

आपने जो फरमाया और माननीय नारायणदत्त जी ने फरमाया मैं उसके साथ अपने को जोड़ता हूं । मैं भी उनको बहुत दिनों से जानता हूं । हमारे यहां के मेरठ शहर के एक सम्पन्न घराने से उनका संबंध है । इसलिये मैं उनके परिवार के लोगों से वाकिफ हूं । मेरे व्यक्तिगत संबंध बड़े मधुर और अच्छे रहे हैं ।

इसमें कोई शक नहीं है कि वह संसदीय प्रणाली की प्रक्रिया के एक प्रकार से जो ज्ञान होना चाहिये, उसके वे भंडार हैं । वह निष्पक्ष और निडर होकर गवर्नमेंट और विरोधी दल के लोगों को सलाह देते रहे हैं । कभी-कभी उनके बारे में गलतफहमी भी हो गई, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की । जो बात वह सही समझते वह हमेशा करते थे । एक बार माननीय सदस्यों की तरफ से उनकी नीयत पर हमला हुआ जब कि वह एक कमेटी को सलाह देना चाहते थे कि उसका बाहर जाना कहां तक उचित है । इस में कोई शक नहीं है कि वह संसदीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रणाली की कार्यवाही को अच्छी तरह से जानते थे। आदमी के रिटायरमेन्ट का समय आता है, उनका भी आया। उस पर हम लोगों को एक प्रकार से वियोग की बात होती है, वह महसूस होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि जो हमारे नये सचिव आये हैं वह इस प्रकार कार्य करेंगे कि हम लोग धीरे-धीरे मित्थल साहब की याद भूलते जायेंगे और आपका जो सुझाव है कि मित्थल साहब हमारे एक आनरेरी एडवाइजर रहें, यह उचित है। मैं उसका समर्थन करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से और विरोधी दल की ओर से मित्थल साहब को शुभ कामनायें देता हूं और आप उन्हे मित्थल साहब तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मैं अपनी ओर अपने दल की ओर से आदरणीय मित्थल साहब का अभिनन्दन करता हूं और अपने को जो विचार चौधरी साहब ने और तिवारी जी ने व्यक्त किये हैं उनसे सम्बद्ध करता हूं। मैं इस विचार का हूं कि ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा की जाये तो अच्छा है, जिन्होंने संसदीय परम्परा के विकास में इतना योगदान दिया हो। श्री मित्थल 1936 से इस सचिवालय की सेवा में हैं और आगे चलकर उन्होंने भारत की सबसे बड़ी विधान सभा के सचिव के पद पर रहकर कुशलतापूर्वक कार्य किया है। मान्यवर, मुझे वह अवसर देखने को मिला है और पढ़ने को मिला है उन्होंने भारत के बड़े-बड़े संसदीय सम्मेलनों में अपने विचार व्यक्त किये और जहां तक मुझे ख्याल है हमारी विधान सभा का स्थान सर्वोपरि रहा है। यह मुझे पढ़ने को मिला है। मित्थल साहब ने अनेकों संवैधानिक गुत्थियां सुलझाने में सहयोग दिया है चाहे वह केशव सिंह का मामला हो या अन्य कोई मामला हो। उनके विचार और परामर्श से अध्यक्ष को बहुत ही सहयोग मिला। मेरा अनुभव है कि उन्होंने इस प्रकार इस संसदीय प्रणाली को विकसित करने में योगदान दिया है। चाहे वह संविधान से संबंधित हो या प्रक्रिया सम्बन्धी नियमावली हो। उनमें वह तन्मय हो जाते थे। मित्थल साहब ने इस सचिवालय के अधिकारों के सम्बन्ध में लड़ाई लड़ी। अपनी इस लड़ाई में उन्होंने सफलता प्राप्त की। सारे प्रदेश के विधान मण्डलों के सम्मेलनों में उनका बड़ा भारी योगदान रहा। यह हम सब जानते हैं और यह हमारी विधान सभा के लिये गौरव का विषय है। मान्यवर, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जिससे हम लोग उनके ज्ञान का लाभ उठा सकें। हमारी सरकार को इसकी चिन्ता करनी चाहिये और मान्यवर, कोई भी सुझाव जो उनकी सेवाओं को प्राप्त करने से संबंधित हो, उनसे मैं सहमत हूं और मैं पुनः मित्थल साहब का अभिनन्दन करता हूं।

श्री नियाज हसन खां (जिला प्रतापगढ़)---

श्रीमन्, श्री मित्थल इस सदन के 18 साल तक सचिव रहे हैं। 18 साल तक कोई भी सचिव रहा हो तो एक इंस्टीट्यूटशन हो जाता है। जहां तक मेरी जानकारी है जो लोक सभा के सचिव, कौल साहब थे उनको राज्य सभा का मेम्बर बनाया गया। हमारे नेताओं ने जो विचार रखे हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। लेकिन जो विधान सभा का सचिव इतने साल से सचिव रहा हो, वह सचिव अध्यक्ष का एक अंग हो जाता है। मेरा सुझाव है कि ऐसे लोगों को कम से कम कौंसिल में भेजना चाहिए।

श्री भीखा लाल (जिला उन्नाव)--

मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से माननीय देवकी नन्दन मित्थल का अभिनन्दन करता हूं और नेता सदन और नेता विरोधी दल ने जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मित्थल जी ने जिस रूप में, जिस कुशलतापूर्वक, जितनी निर्भीकता से और जिस क्षमता से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन किया उसकी छाप हमारे सदस्यों के ऊपर है। उनसे जो सहयोग होता रहा वे बराबर हम लोगों को देते रहे। उनके पास जो संसदीय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भीखा लाल]

प्रणाली का भंडार है, उसका उपयोग जिस तरह से आप सोच रहे हैं वह होता रहे उससे हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है और हम समझते हैं कि उनका सहयोग और उनकी सहायता हम लोगों को मिलती रहेगी। आज मित्थल जी सचिव के पद पर नहीं हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे वर्तमान सचिव श्री मित्थल का अभाव सदस्यों को महसूस नहीं होने देंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने दल की ओर से उनको शुभकामनायें भेजता हूं, और मेरा निवेदन है कि मेरी शुभकामनायें उन तक पहुंचा दी जायं।

विविध विषय

श्री शिव कुमार पाण्डेय (जिला सुल्तानपुर)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है---अत्यधिक शोर...

श्री अध्यक्ष---

व्यवस्था के बारे में उधर के सदस्यों को कहूंगा और इधर के सदस्यों को भी कहूंगा क्योंकि उधर के भी नेता हैं और इधर के भी नेता हैं ऐसा कोई सवाल उठाना है तो उनसे भी पूछ लिया जाय, तब सदन में उठाना अच्छा होगा। सदन की गरिमा बनाने के लिये हमारा और आप सबका उत्तरदायित्व है। अतः आप सहमत होंगे।

एक सदस्य---

(बिजली के फेल होने पर) श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि सदन में गैस का और बैट्री वाले लाउड स्पीकर्स का प्रबन्ध करना चाहिये क्योंकि यहां पर यह अव्यवस्था चलती रहेगी।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, अभी हमने संसदीय विकास और उसकी गरिमा के बारे में कुछ कहा है, उसी संदर्भ में मुझे एक बात निवेदन करनी है, आपके द्वारा, माननीय मंत्री जी से कि हमें बड़ी चिन्ता है। राज्य सभा के लिये नामांकन हुआ। कैपिटलिस्ट्स इस बीच में कूदे। हमने प्रयास किया कि वोट बिकने न पायें, स्वच्छता हो लेकिन ऐसे लोगों को जो केवल निवेदन करने गये थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे विधायक को गिरफ्तार कर लिया गया और विद्यार्थियों को भी। वोट खरीदना संसदीय प्रणाली को दूषित करना है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी सदन को बता दें कि उन्होंने अभी तक क्या किया है।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी का जो हृदय परिवर्तन हुआ है, उसकी मैं उन्हें बधाई देता हूं। सुना है कि जो इनकी नीतियां थीं रिट्रीट हो गयीं बिरला, टाटा आदि के बारे में। लिहाजा मैं इसके लिये माननीय त्रिपाठी जी को पुनः बधाई देता हूं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, इनके और हमारे चश्में में बहुत फर्क है।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

श्रीमन्, हमें सूचना मिली है कि माननीय शतरुद्र प्रकाश विरोधी दल के विधायक को रोक रखा गया है। इनके अलावा कुछ अन्य लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मेरी प्रार्थना है कि उन्हें तत्काल रिहा कराया जाय। राज्य सभा का चुनाव पैसे के बल पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लड़ना जब कि किसी दल का उन्हें समर्थन या शक्ति नहीं है, इस सरकार के लिये बड़े शर्म की बात है। इस सदन, प्रदेश और जनतंत्र के लिये कलंक है। मेरी प्रार्थना है कि उस पर तत्काल कार्यवाही की जाय। ऐसे लोगों को पैसे के बल पर चुनाव लड़ने की इजाजत न दी जाय।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इसी प्रकार से शांति भंग होती है। ऐसे अवसरों पर जो अच्छे काम करते हैं, उन्हें आपको प्रोत्साहन देना चाहिये। या कम से कम आप संसदीय प्रणाली की रक्षा कीजिए।

श्री नजीर अहमद (जिला मेरठ)—

हमें पता नहीं था कि बिरला जी के दत्तक पुत्र हो गये हैं।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं अपने उन मित्रों से आग्रह करना चाहता हूं जिन्हें पार्लियामेन्ट्री जीवन का अनुभव है कि वे कृपा करके उन्होंने जो हमें मान्यतायें दी हैं, उनका अनुसरण करने में हमारी सहायता करें। अभी तक यहां पर श्री मित्थल के अभिनन्दन का प्रकरण समाप्त नहीं हुआ था उस पर चर्चा जारी थी।

कुंवर शिवनाथ सिंह "कुशवाहा" (जिला कानपुर)—

श्रीमन्, इस वक्त जो चर्चा चल रही है वह सचिव श्री मित्थल के संबंध में थी। अब जो प्रश्न उठाया गया है, वह दूसरा है। इस प्रकार से विषयान्तर हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आपको समय मिलेगा तो कहियेगा, अधीर होने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि इसके बाद उसका जवाब भी मिलेगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जहां तक यह संबंध है कि सरकार ने बिरला जी को खड़ा किया है, मैं समझता हूं इससे अधिक अप्रासंगिक, निराधार और असत्य कोई दूसरा तथ्य हो नहीं सकता है। श्रीमन्, मेरी सूचना अगर गलत न हो तो नोटिस बोर्ड में देख सकते हैं, मेरी सूचना तो यह है कि सम्मानित विरोधी दल के किसी सदस्य ने ही उनका नाम प्रस्तावित किया है।

श्री राम सेवक यादव—

विरोधी दल में अगर कुछ "सहयोगी दल" के लोग हैं उनको अगर आप विरोधी दल मानते हैं जोकि पैसे के बल पर चुनाव जीत कर आये हैं तो वह आपके ही सहयोगी हैं। वह आपके ही मित्र हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह चुनाव का विषय बाहर होना चाहिये। यहां नहीं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं अपनी सूचना के आधार पर कहना चाहता हूं....।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

माननीय राम सेवक जी कैसे कहते हैं कि वह विरोधी दल के सदस्य नहीं थे, वह तो स्वतंत्र दल के सदस्य ने नाम प्रस्तावित किया था।

श्री राम सेवक यादव---

सरकार को जानकारी होनी चाहिये कि इस सदन के एक माननीय सदस्य शतरुद्र प्रकाश जी को किसी ने रोक रखा है या नहीं। जब हाउस में आने से उनको रोका गया है तो यह विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठता है।

श्री अध्यक्ष---

इसमें हमारा और आपका ध्यान आकृष्ट कर दिया वह ठीक है, फिर लिख कर देंगे तो कार्यवाही होगी। इसका कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रश्न उठाया गया है, उसे लिखकर देंग तो उसको हम देखेंगे ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष---

अब नियम 56 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक है माननीय सत्य प्रकाश मालवीय की "सिराथू जिला इलाहाबाद में पुलिस दमन" आदि, के बारे में दूसरी माननीय मोहम्मद असरार अहमद-लखनऊ में शिया-सुन्नी साम्प्रदायिक दंगा के बारे में और इसमें माननीय कृष्णवीर सिंह और माननीय धर्मवीर सिंह ने हस्ताक्षर किये हैं। तीसरी है माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की लखनऊ के दंगे के संबंध में।

चौथी सूचना माननीय तीर्थराम कोहली प्रदेश के सहायक अभियंताओं की हड़ताल से संबंधित। पांचवी माननीय हरि केवल की जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में, छंठी सूचना माननीय चौधरी राम पाल सिंह जिला इलाहाबाद के सिराथू रेलवे स्टेशन पर जलूस पर गोली के बारे में, सातवीं माननीय शिवनाथ सिंह कुशवाहा की-लखनऊ में जो शिया-सुन्नी दंगा हुआ है उसके बारे में।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

यह महत्वपूर्ण है, यह सरकार के लिये कलंक है। यह सेन्टर है गवनमेंट का और इनको देखते हुए पुलिस से दस गज की दूरी पर सारी घटना हुई। इसलिये मैंने यह प्रस्ताव दिया है। जानबूझ कर एडमिनिस्ट्रेशन ने ढिलाई बरती।

श्री अध्यक्ष---

लखनऊ का शिया-सुन्नी वाला मामला वक्तव्य के लिये मैंने स्वीकार कर लिया है ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)---

आपने स्वीकार जरूर कर लिया है लेकिन यह शिया-सुन्नी का मामला....

श्री अध्यक्ष---

अब तो मैंने यह वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लिया है। जब वक्तव्य आयेगा तो आपको उसकी गुरुता, महत्ता और उसकी स्थिति के बारे में कहने का मौका मिल जायेगा। आप जानते हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण पर विचार चलेगा। उस समय भी आप कह सकते हैं। और फिर भी वक्तव्य के रूप में मैंने मौका दिया है। जब नियम 51 की सूचना दी जायगी तो जो महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर आपको जानकारी मिलनी चाहिये।

श्री राम सेवक यादव---

वक्तव्य में तो कुछ जानकारी मिलेगी और हम उठाना चाहते हैं कार्यस्थगन के रूप में यह राज्य सरकार की असफलता और इन्टेलिजेन्स का फेल्योर है। 1969 में भी, अध्यक्ष महोदय, चुनाव के बाद ही यह दंगे हुए थे और अब फिर अब उसी तरह दोहराया गया है।

श्री अध्यक्ष—

इसीलिये मैंने कहा कि मौका मिलेगा। तो आपके पास उपचार है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

जूनियर इंजीनियर्स के बारे में मैंने दिया था।

श्री अध्यक्ष—

अब हम आगे चलते हैं। माननीय यादवेन्द्र सिंह प्रस्ताव रखेंगे।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

सिराथू गोली कांड के संबंध में, मैंने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया था उस पर आपने कोई व्यवस्था दी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

कार्य सूची की संख्या 11 देख लीजिये।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री यादवेन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, इतने महत्वपर्ण विषय पर जो आपने मुझे प्रस्ताव उपस्थित करने का अवसर दिया है इसके लिये आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और साथ ही स्वतंत्र भारत में संगठित उत्तर प्रदेश की छठवीं विधान सभा के प्रथम वार मिलने के अवसर पर दोनों सदनों के समवेत हुए राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

"यह सदन, श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत हुए दोनों सदनों को दिनांक 19 मार्च, 1974 को दिया है, कृतज्ञापूर्ण धन्यवाद प्रकट करता है।"

मान्यवर, सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं। राज्यपाल महोदय को जिन्होंने अपने संक्षिप्त भाषण में शासन की नीति-रीति को बड़े ही सूक्ष्य लेकिन प्रभावी ढंग से सदन के समक्ष रखा और उनकी सरकार जो कुछ भी भविष्य में, जो आज परिस्थितियां है उनके संबंध में करने जा रही है, उसके बारे में नीतियों को निर्दिष्ट किया है। लेकिन उससे पहले भी मैं आवश्यक समझता हूं कि उस जनता को धन्यवाद देना जिसने लोकतंत्र के अन्दर अपना अपार विश्वास प्रकट किया है। और उस सरकार को भी धन्यवाद दूंगा जिसने इन सब परिस्थितियों के होते हुए भी चुनाव को ठीक समय पर कराया जब कि ऐसी विषम परिस्थितियां थीं और देश एक अजीब स्थिति से गुजर रहा था। फिर भी उसने यह फैसला लिया कि सभी लोगों को, और खास तौर पर जो लोग शासन में रहे थे उनको भी, जनता की अदालत में जाना चाहिये और जनता का वर्डिक्ट प्राप्त करना चाहिये। हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र का इससे उत्तम कोई और उदाहरण हो नहीं सकता है कि जो लोग सरकार में थे और यह जानते हों कि देश और प्रदेश किन विषम परिस्थितियों में गुजर रहा है फिर भी वे जनता के सामने जावें और उनका वार्डिक्ट प्राप्त करें कि जनता किसके हक में फैसला देती है कि उसको लोकतांत्रिक रूप में शासन में स्वीकार किया जावे। जहां ऐसी देश व्यापी समस्यायें थीं, वहां पर भी जनता ने यह समझा और लोकतंत्र को मान्यता दी कि कौन लोग इस लायक हैं कि जिनके हाथ में सत्ता सौंपी जाना उनके हित में हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस के लोग उन लोगों की वोटिंग पर चुनकर आये हैं। जो सबसे लोवर स्ट्रेटा के लोग हैं और जिनके लिये हमको जितना कुछ करना चाहिये था। हम नहीं कर सके और जितना कुछ हमने प्रदेश के लोगों को देने का प्रयास किया वह भी उन तक नहीं पहुंचा पाये। किन्तु फिर भी जिन्होंने अपना अपार बहुमत देकर कांग्रेस

[श्री यादवेन्द्र सिंह]

को सरकार संगठित करने का अवसर दिया। मैं यह कहता हूं और मुझे गर्व है कि अपनी बुद्धि में जनता में कितनी परिपक्वता है और उन्होंने इस बात का परिचय दिया और उन्होंने देखा कि कौन लोग इस लायक हैं जिनके हाथ में इस देश और प्रदेश की सत्ता को सौपा जा सकता है (प्रतिपक्ष की ओर से कई मा० सदस्यों द्वारा व्यवधान) ।

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा था कि उनके विचारों में कितनी परिपक्वता है कि उनको किसको चुनाना चाहिये और किसको बहुमत में भेजना चाहिये । (व्यवधान—जी हां वोटों की चोरी करके) जहां उन्होंने 425 सदस्यों के लिये 4000 आदमी चुनाव में आये थे उनमें से उन्होंने निर्णय दिया कि जितने निर्दलीय हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं था और जिनके लिये या जिनकी कोई मान्यता नहीं थी वे निरर्थक हैं और उनके विरुद्ध अपना फैसला दिया । उसने अपने फैसले से यह भी निश्चित कर लिया कि जो लोग अपने दलगत भावनाओं से या निहित स्वार्थों पर सरकार बनाना चाहते थे उन दलों से हमको बचना चाहिये और उनको एलिमिनेट किया । उन्होंन दल बदलुओं की प्रथा को समाप्त करने का निर्णय लिया और सभी दल बदलुओं को चाहे वे इस पक्ष से रहे हों, और चाहे उस पक्ष के सभी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया । (अत्यधिक व्यवधान) ।

हम इसके बाद यह भी निवेदन करना चाहते थे कि इतना ही नहीं जनता ने हमारे ऊपर भी यह अंकुश रखा कि तुम्हारे कामों की निगरानी भी जबरदस्त होनी चाहिये । उसने अगर 215 कांग्रेस के सदस्यों को यहां शासन करने का अवसर दिया (बेईमानी करके, वोटों की चोरी करके, व्यवधान) आप घबड़ाये नहीं आपको भी अवसर मिलेंगा । तो जनता ने जहां 215 सीटें सरकारी पक्ष के लिये निश्चित की वहां 209 सीटें विरोधी पक्ष को भी साथ ही साथ दे दीं और यह निर्णय कर दिया कि हम भी निरंकुश नहीं रहेंगे । हमको बहुमत दिया लेकिन हमको निरंकुश भी नहीं होने दिया है । आपने देखा कि 209 सीटें आपको इसीलिये दी हैं कि आप हमारे कामों पर निगरानी रखें, उन्होंने यह भार आपके ऊपर रख दिया है कि सरकार द्वारा जो होन वाला है जैसे मुनाफाखोरी रोकना है (विरोधी पक्ष की ओर से हंसी भ्रष्टाचार रोकने का (पुनः हंसी) जमाखोरी रोकने का (हंसी) या देश की आर्थिक स्थिति को प्रगति देने का (अत्यधिक हंसी) या प्रदेश को उच्चतर बनाने का या तरक्की देने का (हंसी) इन सब बातों पर 209 सीटें प्रतिपक्ष को इसीलिये दे कर आपको जिम्मेदारी दे दी कि आप सरकार के ठीक कामों से सहयोग करें और उनको उचित मार्गदर्शन दें किन्तु मैं अवाक् रह गया कि लोकतंत्र के नाम पर कल सदन में ही लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया गया (हंसी)

मान्यवर, कल माननीय चौधरी साहब जैसे वरिष्ठ लोग कुछ बोलने के लिये खड़े हुए जैसे राज्यपाल जी कुछ अपना निवेदन करने के लिए आरम्भ करने हीं वाले थे, किन्तु पता नहीं वे क्यों बठ गये और उनके बैठने के बाद उनके ही पीछे बैठे हुए लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर डायस के ऊपर चढ़कर जो सीन उपस्थित किया है उससे लोकतंत्र की हत्या हो गयी । (कांग्रेस पक्ष की ओर से शेम-शेम और विरोधी पक्ष की ओर से—और बेईमानी करो और वोटों की चोरी करो आदि की आवाजें) माननीय चौधरी साहब और माननीय माधव प्रसाद जी ने जब देखा कि उनके लोग बे लगाम हो रहे हैं.... (शोर, व्यवधान) तो उन्होंने स्वयं वहां जाकर अपने साथियों को रोका, उनको वहां जाकर हाथ जोड़ कर निवेदन करना पड़ा कि एसा न करो । उनके साथियों को तो उनके अनुशासन में रहना चाहिये था, किन्तु मैं देख रहा था कि उनके साथी बेलगाम हो रहे थे कागज के पुलिन्द बना-बना कर फेंक रहे थे । एक ने तो 62 पैसे कागज में लपेट कर फेंके जिसको एक चपरासी जिसका नाम कामता है, उसने रोका । उसके बाद भी मैंने देखा कि चौधरी साहब अप ने

साथियों को रोक रहे थे, वे फिर भी कागज फेंक रहे थे । फिर कुछ देर बाद चौधरी साहब ने अपने साथियों को लेकर वाक आउट किया । यह सब देखकर मुझे एक शेर याद आ गया

(व्यवधान)

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जिस विषय पर माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुये हैं, उस पर न बोल कर अन्य विषय पर बोल रहे हैं . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

एक यह पक्ष है, दूसरा विरोध पक्ष है । जो आप कहेंगे उसका जवाब इधर से दिया जायगा । जो यह कहेंगे उसका जवाब इस तरफ से दिया जायगा । इस पर मैं व्यवस्था क्या दूं ।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—

विषय पर ही बोलें तो हम लोगों को पता तो चले कि आखिर सरकार क्या करने जा रही है । माननीय सदस्य तो मंत्री भी रहे हैं, विषय पर बोलें तो अच्छा हो ।

श्री यादवेंद्र सिंह—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिस समय माननीय चौधरी साहब और माननीय त्रिपाठी जी अपने साथियों को रोक रहे थे । तो मुझे एक शेर याद आया "बागवां ने एक नया सितम ईजाद किया, चमन को फूंक के पानी को बहुत याद किया।" (व्यवधान) मान्यवर, अफसोस इस बात का है कि जिस दल के नेता को हाथ जोड़ कर अपने साथियों से इस तरह निवेदन करना पड़े, साथी नेता के काबू में न रहे, तो क्या इस तरह से लोकतंत्र की रक्षा हो सकेगी और क्या यह अच्छी परम्परा मानी जायेगी ? फिर जिन लोगों के पंजे इतने कमजोर हो गये हों वे क्या लोक तंत्र की रक्षा कर पायेंगे ।

दोषपूर्ण चुनाव की बात कही गयी । माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा है कि चुनाव बड़े शांतिपूर्ण ढंग से हुए ।

कल जब कि बाहर प्रदर्शन हो रहा था, तो उस समय चुनाव को दोषपूर्ण ढंग से कराने की बात कही गई । मैं कहना चाहूंगा कि क्या केवल 215 स्थानो पर ही दोषपूर्ण तरीके से चुनाव हुए हैं । यदि उनको प्रभावित करने की बात थी तो क्या 400 स्थानों पर चुनावों को प्रभावित नहीं किया जा सकता था केवल 215 ही क्यों ? यदि चुनाव को प्रभावित करने की ही बात होती तो स्वयं चौधरी साहब क्या 54 हजार वोट प्राप्त कर पाते और खुद मुख्य मंत्री जी कम वोट उनसे पाते ? यदि बक्सों को बदलने की बात थी तो जो अभी कृष्णा राय जी कह रहे थे कि 10–10 रुपये देकर वोट प्राप्त किये गये, तो क्या वह स्वयं देवरिया से जीत कर आ सकते थे ? आप स्वयं चुनकर आये, यह इस बात का सबूत है कि चुनाव कितने न्यायपूर्ण ढंग से निष्पक्ष और उचित ढंग से हुए । मैं निवेदन कर रहा था कि चुनाव की जांच की जो बात कही गई, वह मांग कहां की गई-लखनऊ में, मेरठ में और ऐसी ही दो-तीन अन्य जगहों में । क्या उसमें गाजीपुर और बांदा भी शामिल किया जा सकता है क्या बनारस भी शामिल किया जा सकता है ? ये नाम क्यों चौधरी साहब के ध्यान से उतर गये ? क्या वहां पर जांच की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चौधरी साहब ने उनका नाम नहीं लिया है जो महाशय छपरौली से आये ह उनको इतने अधिक वोट कैसे मिले, इसकी भी जांच होनी चाहिये ।

[श्री यादवेन्द्र सिंह]

जहां तक लोकतंत्र का सवाल है, मैं अपने नये साथियों का आदर करता हूं और साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे चौधरी साहब जो सन् 37 से हमारी तरफ की अगली कुर्सियों पर बैठा करते थे, जो सत्ता में बराबर रहे तब तक लोकतंत्र ठीक चलता रहा, लेकिन जब भगवान के प्रकोप से या हम लोगों के दुर्भाग्य से उधर बैठ गये तो लोकतंत्र खतरे में आ गया यह कैसी विडम्बना है । वे इधर थे तो लोकतंत्र ठीक था और उधर चले गये तो लोकतंत्र खतरे में चला गया । यदि लोकतंत्र खतरे में होता जो इस सदन में मधुकर दिघे न चुनकर आये होते । पिछली बार से दो-तीन बार चुनाव हुए वह बराबर चुनाव में हारते रहे, वह सफल नहीं हुए किन्तु इस बार इतने न्यायपूर्ण तरीके से चुनाव हुए कि वह चुन कर आ गये । चुनाव के न्यायपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से होने के विषय में सफाई के लिये इससे अधिक उदाहरण और क्या हो सकता है । अब मैं इस बात पर आता हूं और जनता को धन्यवाद के साथ-साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जनता ने लोकतंत्र में अपनी पूर्ण निष्ठा और विश्वास का पुरःस्थापन किया है और लोकतंत्र की उच्चतम स्थिति जो हो सकती है, उसको देने का उसने प्रयास किया है । जनता और खासकर गरीब जनता को जिस हद तक हम जितनी सुविधायें पहुंचाना चाहते थे नहीं पहुंचा सके, उसने कांग्रेस को बल दिया है हम उनके आभारी हैं । क्योंकि काल और परिस्थिति से परेशान होकर भी उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया है । हम देखते हैं कि परिस्थिति से लोग परेशान हो जाते हैं और बहुत अनुचित निर्णय ले लिया करते हैं । हमने देखा वह व्यक्ति जो हमेशा हड़ताल और आन्दोलन के खिलाफ रहे, नारेबाजी के खिलाफ रहे, अब वह उसमें शामिल हो गये । कल बाहर जो भाषण चौधरी साहब ने दिया हमने उसे सुना तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ । मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे उनके तन से किसी का भूत बोल रहा है । मुझे ऐसा लगा जैसे तन चौधरी साहब का और जबान राजनारायण जी की । इस पर मैं यही समझता हूं कि इट इज नेवर टूलेट दैन नेवर (व्यवधान) हर चीज जिसका अन्त अच्छा हो वह अच्छी है । चौधरी साहब के अन्दर लोकतंत्र की बुनियादें इतने दिनों से जमी हुई हैं कि जितनी हमारी आयु नहीं है और मैं आशा करता हूं कि वह लोकतंत्र की रक्षा इस तरह से नहीं होने देंगे जैसा कि कल सभा-हाल में हुआ और जैसा कल प्रदर्शन में हुआ। लेकिन वह इस तरह से नहीं होने देंगे, जैसा कि तमाम लोग उधर से प्रेरित कर रहे हैं । वह एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, प्रज्ञा हैं, उस नाते हमें विश्वास है कि अगर वह भ्रम में पड़ ही गये हैं तो सही रास्ते पर आ जायेंगे । वह महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, जिनका कहना था कि राज्य परिवर्तन बैलट से, बुलेट से नहीं करना चाहिये । जो आदमी बैलट का पक्षपाती हो, लोकतंत्र का पोषक हो, वह आदमी अपनी बुद्धि खो गया, गरम हो गया, वह बैलट से बुलेट पर आ गया, कम से कम चौधरी साहब के मुंह से वह अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत खला । मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं । जब मेरे गुरु यह कह रहे हैं तो भगवान जाने हमारा क्या होगा । (व्यवधान) मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं—असमय काल परखिये चारी, धीरज, धर्म, मित्र अरु नारी । असमय में इन चारों चीजों को परखना चाहिये । मुझे लगता है कि इन चारों का साथ छूट गया चौधरी साहब का ।

आज इस सरकार के सामने मुनाफाखोरी, जमाखोरी, कृषि और विद्युत् का उत्पादन, सिंचाई उद्योग, ये सारी चीजें आ गयी हैं । हमारे महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जिन नीतियों का जिक्र किया, उनके बारे में आपसे सूक्ष्म निवेदन करना चाहूंगा । मैं जानता हूं कि इसके बाद चौधरी साहब बोलेंगे । उनको काफी लम्बा समय चाहिये बोलने के लिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । इतना निवेदन करूंगा, कि जमाखोरी, मुनाफाखोरी के खिलाफ इन चन्द महीनों में सरकार ने और हमारे राज्यपाल ने जो आर्डिनेंस पास किया, प्रतीक हैं कि हम इस दिशा में क्या करना चाहते हैं । जो जमाखोरी और मुनाफाखोरी नान-बेलेबिल आफेंस थे उनको बेलेबिल करार कर दिया गया है । (व्यवधान) जो बेलेबिल आफेंस थे उनको

नानबेलेबिल आफेंस करार कर दिया गया है। जब हमारे नेता की बुद्धि भ्रष्ट हो गयी है तो मेरी भी कमी कभी भ्रष्ट हो जाती है, मैं विभ्रम में हो जाता हूं। (व्यधान) इतना ही नहीं यह भी किया गया जो लोग इन आफेंसेज में पकड़े जायेंगे उनके समरी ट्रायल होंगे। वह डी0आई0 आर0 में बन्द कर दिये जायेंगे। इसके अलावा तमाम ऐसे रेड हुए, चार हजार से ज्यादा रेड हुए। 30 हजार नमूने पकड़े गये, डेढ़ हजार व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी। प्राकृतिक मुसीबतों से लड़ने के लिए 24 जिलों में (व्यवधान तथा शोर) प्रयास किया साथ ही जब पांचवीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं, उसमें लघु सिंचाई, विद्युतीकरण जिसका अल्टिमेट झुकाव सिंचाई की तरफ होगा, जितना हमारी योजना में खर्चा होगा उसका 40 प्रतिशत व्यय होगा ताकि कृषि के लिए सिंचाई के साधन सुलभ हो सकें। एक लाख क्विंटल से ज्यादा (शोर) ऐसे लोगों में जिनके पास भूमि बहुत कम है बीज के रूप में बांटा गया ताकि वह बोवाई कर सकें और हम गरीबी से लड़ सकें, हर हाथ को काम दे सकें। ईश्वर ने हर आदमी को पेट दिया है, जिसको भरना होता है, उसी तरह से उसको हाथ काम करने के लिए दिया है। शासन का लक्ष्य है कि हर हाथ के लिए काम मिले धरती, या उद्योग। धरती से काम कैसे मिलेगा ? हमने जिनके पास अधिक धरती है, उनसे धरती लेने का प्रयास किया है।

स्वयं चौधरी साहब भी हां में हां मिलाते थे, लेकिन धरती के नाम पर उखड़ते थे....।

श्री राम सेवक यादव—

आपके पास कितनी धरती है, कितना फार्म है यह बता दीजिये ?

श्री यादवेंद्र सिंह—

मेरे पास कितनी धरती हो अगर कानून बनेगा तो मेरी भी धरती जायेगी। अगर एक आदमी धरती रखता है और बड़े बड़े महलों में रहता है और अगर उसके महलों के पास झोंपड़ी में रहने वाले लोग भूखे मरेंगे तो जनता उसे कभी क्षमा नहीं करेगी, चाहे वह धरती मेरी हो या किसी की हो, जब तक वह भूमिहीनों में नहीं बटेगी.....

(व्यवधान)

प्रदेश की आर्थिक दशा सुधारने के लिये हम 30 नई शुगर फैक्टरी खोलने जा रहे है और भी नई फैक्टरीज को लाने का प्रयास किया गया है। सूती मिलों को भी लगाया जायेगा....।

(व्यवधान)

हम इस समय जितनी बिजली पैदा कर रहे हैं, उससे ज्यादा पैदा करने का प्रयास करेंगे। ओबरा में 440 मेगावाट.....

(व्यवधान)

जब प्रदेश को उर्वरक मिलेगा, सिंचाई मिलेगी, प्रदेश को बिजली मिलेगी, तभी आर्थिक उन्नति होगी। जैसा कि राज्यपाल ने अपने भाषण में कहा है कि जब तक इन रास्तों पर नहीं चलेंगे प्रदेश नहीं उठ सकता। अतः इन चन्द बातों के जरिये जो प्रस्ताव आपके माध्यम से मने इस सदन में धन्यबाद का रखा है, मैं चाहता हूं कि इन बातों को देखते हुए उसको सम्मानित सदन स्वीकार करे और अगर कोई अमेंडमेंट किसी सदस्य ने रखा हो तो उसे वापस लेने की कृपा करें। हमें इस प्रदेश को कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग के साथ आगे बढ़ाना है। इस बिजली के संकट के समय भी किसानों को 9 बजे रात से 3 बजे दिन तक बिजली दे रहे हैं.....।

(शोर)

कई सदस्य---

झूठ बोल रहे हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । सदन की यह परम्परा रही है कि अगर एक सदस्य बोल रहा हो तो दूसरा सदस्य विघ्न उपस्थित न करे । मगर दूसरे पक्ष के लोग हल्ला मचा रहे हैं । तो इस पर मैं व्यवस्था चाहूंगा कि अगर माननीय नेता विरोधी दल जब खड़े होकर बोलें तो हम लोगों को हल्ला मचाना चाहिये?

(व्यवधान)

श्री यादवेंद्र सिंह---

कई बड़े पुलों का निर्माण शुरू हो गया है । सोन नहर का निर्माण कार्य पूरी तेजी पर है इससे 66 हजार हैक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी और यह दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट योजना होगी । क्या यह प्रदेश की जनता को रोजी रोटी देने की तरफ सरकार का एक प्रभावी कदम नहीं है । श्री राज्यपाल के अभिभाषण में यह संकल्प कि इस दिशा में और तेजी से कार्य किया जाय क्या यह निर्दिष्ट नहीं करता कि एक स्वर से महामहिम राज्यपाल को धन्यबाद देना चाहिये । जो हमारे समाज में सबसे निचला वर्ग है और जिसको जितना मिलना चाहिये वह नहीं मिला, क्या सरकार ने यह काम नहीं किया कि उनका जितना रिजर्वेशन था, जिन जिन विभागों में वह पूरा नहीं हुआ था उस पूरा करने के आदेश दिये ।

पुलिस विभाग में 50 प्रतिशत रिजरवेशन देने का आदेश सरकार ने दिया । क्या यह एक कदम गिरे और पिछड़े लोगों को उठाने की दिशा में नहीं है। क्या राज्यपाल का भाषण यह इंगित नहीं करता कि सरकार और उसके द्वारा बनायी गयी नीति गिरे हुए और पिछड़े लोगों को उठाने में प्रयत्नशील है । क्या इससे इंकार किया जा सकता है कि टीचर चाहे यूनीवर्सिटी के हों या माध्यमिक विद्यालयों के हों या प्राइमरी स्कूल के हों उनकी भलाई के लिये काफी काम किया गया । क्या प्राइमरी स्कूल के मास्टरों को सरकारी स्कूल के मास्टरों की पैरिटी पर लाने का प्रयास इस सरकार ने नहीं किया ?

जिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बनाने की बात राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कही है क्या वह इस बात का द्योतक नहीं है कि शिक्षा की दिशा में जो पठन-पाठन के काम में में लगे हुए हैं उनकी स्थिति से सरकार अवगत है और उनकी प्रगति करना चाहती है । क्या विद्यार्थियों को सुविधायें नहीं दी गयी ? क्या उनकी आवासीय कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? बोर्डिंग हाउस में मिट्टी का तेल और चीनी की अलग से व्यवस्था करके इस बात का प्रयास किया गया है कि विद्यार्थी चिन्ता रहित होकर पढ़ सकें ।

श्री पुरुषोत्तम (जिला देवरिया)---

9 बजे के बाद बिजली चली जाती है जबकि परीक्षा का समय है । मिट्टी का तेल नहीं मिलता । यह सरासर झूठ बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री यादवेंद्र सिंह---

गाजियाबाद में भारत इलेक्ट्रोनिक्स और रायबरेली में टेलीफोन फैक्ट्री स्थापित करने का फैसला लिया है । फर्टीलाइजर के दो कारखाने स्थापित होंगे । क्या इनसे प्रदेश की स्थिति में सुधार नहीं होगा ? पांचवीं योजना में खर्च किया जाने वाला 2700 करोड़ बढ़कर 3 हजार करोड़ हो जाय इसके लिये यह सरकार प्रयत्नशील है । इसके अलावा प्राइवेट

सेक्टर से 2 हजार करोड़ रुपया, 1500 करोड़ रुपया इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस से खर्च करने का संकल्प इस सरकार ने किया है । जब इतना पैसा प्रदेश में खर्च होगा और तरक्की के काम किये जायेंगे तो हमारे प्रदेश पर पिछले वर्षों से जो कलंक लगता रहा है क्या उस कलंक को यह सरकार मिटाने नहीं जा रही है ? क्या इस सारे काम में सरकारी पक्ष की ही जिम्मेदारी है और विरोधी पक्ष का सहयोग आवश्यक नहीं है ? अगर इस प्रकार हुल्लड़बाजी होती रही तो कैसे काम चलेगा । जो जिम्मेदारी इलेक्टोरेट ने सरकारी पक्ष को दी है उससे कम जिम्मेदारी विरोधी पक्ष पर नहीं है । मैं आपके माध्यम से इस धन्यवाद के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि शासन और प्रतिपक्ष दोनों की जिमेदारी है कि राज्यपाल महोदय ने जो अपनी नीति निर्देश की है उस पर इस प्रदेश को अग्रसारित करने के लिए कन्धे से कन्धा मिलाकर काम करें ताकि प्रदेश तरक्की कर सके । इन शब्दों के साथ पुनः इस माननीय सदन से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह धन्यबाद का प्रस्ताव जो मैंने रक्खा है उसको सर्वसम्मत से पारित करे ।

श्री अम्मार रिजवी (जिला सीतापुर)--

मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि गवर्नर के एड्रेस पर जो शुक्रिया का प्रस्ताव माननीय यादवेंद्र सिंह जी ने पेश किया है उसके समर्थन में कुछ कहूं । मैं आपके द्वारा इस हाउस से अर्ज करना चाहता हूं कि जिस तरह से जिन्दगी का एक उसूल है कि जिन्दा रहो और जिन्दा रहने दो, उसी तरह से इस सदन का भी एक नियम होना चाहिये खुद सुनो और सुनने दो । जिस स्थिति में हम यहां बोल रहे हैं उसी स्थिति में अभी थोड़ी देर बाद हमारे अपोजीशन लीडर होंगे । कोशिश यह होना चाहिये कि जिस तरह से हम सुनते हैं उसी तरह से वह भी सुनें । सच्ची बात सुनना सबसे बड़ी बात होती है । अगर आदमी सच्ची बात सुनने की हिम्मत नहीं कर सकता तो कुछ नहीं कर सकता है । अगर हिम्मत है तो मैं कहना चाहता हूं कि वह सत्य बात को सुने ।

मैं सबसे पहले महामहिम राज्यपाल ने जो यह बात कही कि सारे प्रदेश में चुनाव बहुत ही शांतिपूर्वक और इंसाफ से हुए, उसका समर्थन करता हूं । इसमें शुबहा नहीं कि अगर हम चाहते तो चुनाव का रुख बदल सकते थे । उनको इस तरह से कर सकते थे । (व्यवधान) लेकिन जब भी हमारे पास ताकत रही है, हमने ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं किया है । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि संविद की सरकार बनी थी तो लोकल बाडीज के चुनाव हुये थे और उनके साथ खिलवाड़ किया गया था । चार-पांच साल की ही बात है उसको आपका जहन इतनी जल्दी भूल गया है । आज आप कहते हैं कि कांग्रेस सरकार ने चुनाब में बेईमानी की है । अगर बेईमानी की गई होती तो 215 सीट नहीं मिलती ज्यादा हो सकती थीं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को बतलाना चाहता हूं कि बस्ती में एक गरीब आदमी का खेत इसलिये जला दिया गया कि एक बड़े आदमी के खिलाफ उसने कांग्रेस को वोट दिया था । जिला सीतापुर में एक हरिजन पर अत्याचार इसलिये हो रहा है कि उसने कांग्रेस की मदद की थी । आज आप अत्याचार और भ्रष्टाचार की बातें करते हैं लेकिन जो अपोजीशन कहता है उसको भूल जाते हैं । कितने लोग हैं जिनके यहां झंडे कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरी पार्टीज के थे और वे ब्लेक मारकेटिंग और मुनाफाखोरी में पकड़े गये ह । जो गवर्नर साहब का एड्रेस है वह बड़ा क्रांतिकारी कदम है । वह हमें समाजवाद का रास्ता बतलाता है । उस पर एतराज करना ठीक नहीं है । मुझे एक उर्दू की शेर याद आती है:-

ए मौज बुला उनको भी बुला दो चार थपेड़े हलके से ।
कुछ लोग अभी तक साहिल से तूफां का नजारा करते हैं।

[श्री अम्मार रिजवी]

एतराज करना आसान है लेकिन जो लोग घिरे हुये हैं वह जानते हैं कि तूफान क्या चीज होती है । गरीबों के लिये सरकार ने बहुत से काम किये हैं । कभी नेचुरल कैलेमिटीज सामने आई, कभी पानी कम बरसा, बारिश नहीं हुई, बिजली कम मिल सकी, उससे प्रदेश का नुकसान हुआ है । मैं नहीं समझता कि अपोजीशन इस बात के लिये कम्पीटेंट है कि वह पानी बरसा सकता हो। वह जब जी चाहा पानी बरसा सकते हैं लेकिन हम इसके लिये असमर्थ हैं। नेचुरल केलेमिटीज आई जिनका असर यह हुआ कि प्रदेश की जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हमने इन तमाम चीजों का डट कर मुकाबला किया और हमेशा इस बात की कोशिश की कि चाहे जितनी ज्यादा नेचुरल केलेमिटीज व मुश्किलात क्यों न आवें हम आगे बढ़ते रहे और कोशिश करते रहे कि जनता के दुखदर्द दूर किये जायें:—

"शिकस्ता पास ही लेकिन कदम हारे नहीं मेरे,
मैं जिस मंजिल से गुजरा हूं वह मंजिल याद करती है।"

हमने इस बात की कोशिश की है कि देश और प्रदेश के लिये कुछ तरक्की हो ।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा वेजेज इंक्रीज हुई । मिनिमम वेजेज बढ़ाई गयीं । टीचर्स के ग्रेड्स बढ़ाये गये । यूनिवर्सिटी का केम्पस बढ़ाया गया । पहले जो प्लान 965 करोड़ का था वह 1130 करोड़ का हुआ और अब प्लान 13 हजार करोड़ बढ़कर हो गया ताकि प्रदेश के लोगों की जो कठिनाइयां हैं, जो पिछड़ापन है वह दूर हो । हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद जब प्लान पूरा होगा तो प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो जायगा। यह बात पूरे विश्वास के साथ कही जा सकती है और उम्मीद भी यह की जाती है कि प्रदेश की तरक्की के लिये जो कोई कदम उठाया जायगा तो सदन का हर मेम्बर उसमें हमारी मदद करेगा ।

गवर्नर साहब ने अपने एड्रेस में यह भी बतलाया कि जो कर्मचारी बहुत दिनों से टेम्पोरेरी थे और जिनकी सर्विस तीन साल से अधिक की हो गयी है उनको परमानेंट कर दिया जायगा । यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है । कुछ समय पहले ग्राम सेविकाओं तथा गरीब अमला को नौकरी से अलग कर दिया गया था, उनको दर दर का भिखारी बना दिया गया । उनक बच्चे भूख से तड़पते रहे । उस जमाने में हमारे बुजर्ग चौधरी चरण सिंह जो इस समय लीडर आफ अपोजीशन हैं, मुख्य मंत्री के पद पर आसीन थे लकिन उनक कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और उनके दिल में कोई दर्द पैदा नहीं हुआ और जब उन औरतों ने प्रदर्शन किया तो उन पर लाठी चार्ज हुआ ।

"हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम,
वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता ।"

लेकिन कल जो इतना बड़ा प्रदर्शन किया गया तो कितने शांति पूर्ण ढंग से हमने उसे प्रदर्शन को निकलवाया । लेकिन जब आप हुकूमत में थे तो जो कुछ भी करें वह सही था लेकिन हम सही बात भी करते हैं तो आप सुनने को तैयार नहीं होत हैं, यह बात हमारी समझ में नहीं आती है लेकिन आने वाला जमाना बतलायेगा, नई नस्ल बतलायेगी और सच को आपको सुनना पड़ेगा और अगर आप सच्चाई को नहीं सुनेंगे तो आगे आने वाली नस्ल आपको खत्म कर देगी ।

(व्यवधान)

श्री राम सेवक यादव—

तभी 24 तारीख को आप अकबर अली खां को अपने चुनाव प्रचार में अलीगढ़ ले गये थे ।

(व्यवधान)

श्री अम्मार रिजवी—

हमारी सरकार ने यूनिवर्सिटीज के घाटे को पूरा किया है । हायर एजूकेशन के लिये अलग से कमीशन कायम किया है कि उसकी आटोनामी को देखेगी ताकि शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके । यू0जी0सी0 के जो ग्रेड्स हैं उनको हमारी सरकार इम्पलीमेंट करेगी । जैसा यादवेंद्र सिंह जी ने कहा हमारी सरकार इंडस्ट्रीज तथा एग्रिकल्चर दोनों को साथ-साथ चलायेगी। और उनके प्रोत्साहन के लिये अलग-अलग कारपोरेशन कायम किये हैं.और नतीजा इस सब का आपके सामने आयेगा । पूरे देश तथा प्रदेश में इस बात का प्रयास किया गया और एक ऐसा वातावरण बनाया गया और कुछ ऐसे कांस्ट्रक्टिव स्टेप्स उठाये गये जिससे प्रदेश की तरक्की हो और वह आगे बढ़ सके । नई यूनिवर्सिटीज इसके लिये बरेली तथा फैजाबाद में खोली गयीं ताकि वहां की जनता उनसे फायदा उठा सके । इसके अलावा हरिजनों के लिये नये घर बनाये गये। उनको जमीनें दी गईं । बहुत सी रिपोर्टस आज भी आती हैं कि इन हरिजनों के घरों को अलग कर दिया जाता है । मैं जानना चाहूगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह का अत्याचार उनके साथ करते हैं ।

एक सदस्य—

कांग्रेसी हैं ।

श्री अम्मार रिजवी—

हरिजनों ने हमेशा कांग्रेस का साथ दिया है और वे हमेशा से कांग्रेस का साथ दे रहे हैं । (व्यवधान) हमें इस बात की खुशी है कि यहां पर उर्दू अकादमी कार्यवाही हुई । इसके लिए बहुत दिनों से मांग हो रही थी । इससे मजहब के लोगों को काफी फैसिलिटी होगी । ये इसके अलावा ग्रुप इन्श्योरेंस स्कीम लागू की गई । इससे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और वकील फायदा उठायेंगे । क्या यह एक क्रांतिकारी कदम सरकार ने नहीं उठाया है ?

जाब्ता फौजदारी में तरमीम करके उससे जनता को लाभ होगा । महामहिम गवर्नर का एड्रेस इस बात का सबूत है कि यह सरकार सिक्योरिटी और लगन के साथ इस बात की कोशिश कर रही है कि जनता के दुखों को दूर किया जाय। साथ ही उन्होंने अपने एड्रेस में यह भी बताया कि लोकल बाडीज का चुनाव होने जा रहा है उसमें सरकार क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन जनता को देगी जिनसे ये सब चीजें दुरुस्त हो सकेंगी । हमें उम्मीद है कि कुछ दिनों में एक ऐसा बतावरण बनेगा, एक ऐसा माहोल बनेगा जिससे हर एक आदमी खुश रहे । इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर जो रिजोल्यूशन माननीय यादवेंद्र सिंह जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं और उसकी ताईद करता हूं ।

(नेता विरोधी दल का नाम पुकारे जाने पर)

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के पृष्ठ 9 के अध्याय 5 के नियम 19(2) में यह उल्लिखित है कि राज्यपाल के अभिभाषण के उपरान्त सभा के प्रथम उपवेशन में अध्यक्ष सदन को अभिभाषण पढ़कर सुना सकेंगे । तो इसके अनुसार आपके द्वारा वह अभिभाषण पढ़कर सुनाया नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष—

आप भ्रम में हैं, आप कल नहीं थे सदन में । (व्यवधान) मैं इसे विधिवत घोषित करता

*चौधरी चरण सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय*—

किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित तथ्यों का जिक्र नहीं है:—

इस प्रदेश में संसदीय मान्यताओं तथा संविधान के उपबन्धों की मंशा के प्रतिकूल, सदन को अपना मत प्रकट करने का अवसर न देते हुये, स्पष्ट बहुमत वाली सरकार से जून, 1973 में त्याग-पत्र दिला कर, शासक दल की उच्च सत्ता में विधान सभा को निलम्बित कर दिया था और इस प्रदेश का शासन जन प्रतिनिधियों से नौकरशाही के हाथ में सौंपते हुए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। तत्पश्चात् सामान्य निर्वाचन से कुछ दिन पहले दल विशेष को निर्वाचन में लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार का पुनः गठन किया गया जिसने सदन को अपने प्रति विश्वास व्यक्त करने का अवसर भी नहीं दिया। यही नहीं, इस प्रदेश के संसदीय इतिहास में यह भी एक विडम्बना हुई कि विधान सभा के रहते हुए 1973 में राज्यपाल महोदय को एक साथ ही समवेत दोनों सदनों को सम्बोधित करने का अवसर ही नहीं दिया गया।

अभी गत 5 मार्च को उस दल को, जिसने जनतंत्र की मान्य परम्पराओं को ताक पर रख कर अथवा नौकरशाही के साथ साठ-गांठ करके नियम विरुद्ध भ्रष्ट तरीकों को अपना कर तथा करोड़ों रुपयों का कुछ गरीब लोगों को लालच देकर चुनाव में फर्जी बहुमत प्राप्त किया, पदारूढ़ कर दिया गया। इससे जनता के मन में संसदीय प्रणाली की आधार-शिला अर्थात् निष्पक्ष चुनावों के प्रति सन्देह उत्पन्न हो गया है तथा जनतंत्र में उसकी आस्था डगमगाई है। यह सरकार वास्तविक बहुमत की प्रतिनिधि नहीं है बल्कि शुद्ध तानाशाही का एक दूसरा रूप है। अतएव जनता को किसी भी प्रकार अर्थात् हर प्रकार के तरीकों से इसको उखाड़ फेंकने का अधिकार होगा।

*वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

मेरा एक संवैधानिक व्यवस्था का प्रश्न है श्रीमन्। श्रीमन्, मैं क्षमा चाहता हूं माननीय नेता विरोधी दल से भी। उन्होंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसमें एक संवैधानिक आपत्ति की ओर उनका ध्यान मुझे दिलाना पड़ रहा है। श्रीमन्, उनके संशोधन के अन्त में निम्नलिखित शब्द हैं:—"अतएव जनता को किसी भी प्रकार अर्थात् हर प्रकार के तरीकों से इसको उखाड़ फेंकने का अधिकार होगा।"

अब श्रीमन्, इसको देखें कि इसमें जो शब्द इस्तेमाल किये गये हैं वे हैं—'किसी भी प्रकार' और इसको स्पष्ट किया गया है, "अर्थात् हर प्रकार के तरीकों से इसको उखाड़ फेंकने का अधिकार होगा।" हर प्रकार के तरीकों में, इसमें असंवैधानिक तरीके भी शामिल हैं। संविधान के अन्दर इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग की अनुमति नहीं है। "हर प्रकार के तरीकों से" इसमें संविधान के बाहर के तरीके भी शामिल हैं जिसमें हिंसा का तरीका या संविधान को उलटने का तरीका भी हो सकता है। मैं समझता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल की ऐसी मंशा नहीं है। श्रीमन्, आप देखें कि अभी परसों ही इस सदन में सम्मानित सदस्यों ने और माननीय नेता विरोधी दल ने भी शपथ ग्रहण किया। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान उन शब्दों की ओर दिलाना चाहता हूं जो परसों शपथ ग्रहण करते हुए इस्तेमाल किया गया था। संविधान की पुस्तक मेरे पास है, इसमें लिखा है—"मैं.....अमुक.....जो विधान सभा (या विधान परिषद्) के लिये सदस्य निर्वाचित (या नाम निर्देशित) हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं। सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।"

अब जो हमारा संविधान है इसमें जो अधिकार दिया गया है वह स्पष्ट है कि मंत्रि-परिषद् विधान सभा के लिये उत्तरदायी है अर्थात् सरकार इस विधान सभा के लिये उत्तरदायी है। तो अगर सरकार को उखाड़ फेकना है तो उसके लिये विधान सभा में बहुमत प्राप्त करके ही उसको उखाड़ फेकने का तरीका हो सकता है, इस सरकार को बदलने का तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आम चुनाव में बहुमत प्राप्त करके इस सरकार को बदला जाय। संविधान में इन दोनों तरीकों का उल्लेख किया गया है। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि माननीय नेता विरोधी दल संवैधानिक पहलू पर दोबारा विचार करने और अपने संशोधन में संशोधन करने पर विचार कर लें और इस सारी लाइन को ही निकाल सकें तो मेरे ख्याल से यह अधिक शोभनीय और संवैधानिक होगा।

मान्यवर, इसी लाइन पर मैं आपसे भी रूलिंग देने का आग्रह करूंगा, अगर माननीय नेता विरोधी दल इस बात के लिये राजी हों। क्यों कि "हर प्रकार" शब्द रहने से संविधान के बाहर जाकर भी सरकार को उखाड़ फेंकने की गंध आती है। इसलिये आप इसको देख कर इन शब्दों को निकालने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल को इस सम्बंध में कुछ कहना है?

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, माननीय उपनेता सदन ने जो फरमाया है, मैं उनकी बातों की बहुत कद्र करता हूं। उनकी इच्छा यह है कि कोई असंवैधानिक तरीका न अपनाया जावे आपकी गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने में। मेरी भी यही इच्छा है कि कोई ऐसा तरीका न अपनाया जाय जो असंवैधानिक हो। लेकिन दो बातें याद रखने की हैं। मेरी इच्छा चाहे जो कुछ हो, मैं अपनी इच्छा का जिक्र नहीं कर रहा हूं। लेकिन जनता इसकी पाबंद नहीं है और उसको इस सरकार को उखाड़ने के लिये हर प्रकार का अधिकार होगा। मैं कांस्टीट्यूशन के प्रति निष्ठा रखूंगा। मैं कल जब बोलने के लिये खड़ा हुआ तो 5/7 बातें कहना चाहता था। 3/4 पंक्तियां हैं अगर इजाजत हो तो पढ़ देता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि मैं जो कल आपत्ति उठाना चाहता था उसका मुझे मौका नहीं मिल सका। जो भावना माननीय नारायणदत्त जी व्यक्त कर रहे हैं वही मेरी भावना थी। मैं कहने जा रहा था कि मैं अपने कष्ट दायक कर्तव्य का पालन करने के लिये खड़ा हुआ हूं जिससे आपके भाषण में व्यवधान होगा। मेरे अधिकांश सहयोगी और मैं जो आज की सरकार के प्रमुख विपक्षी हैं संविधान तथा जनतंत्रीय मर्यादाओं के दृढ़तापूर्वक पोषण में विश्वास रखते आये हैं। परन्तु हमारे इस विश्वास को कायम रखने के लिये यह भी आवश्यक है कि जिन लोगों के हाथ में शासन की बागडोर हो वे स्वयं जनतांत्रिक मर्यादाओं के पोषण और संविधान के रक्षण में विश्वास करते हों और उस पर अमल भी करते हों।

जो मैंने संशोधन पेश किया है उसको मैं साबित करने की कोशिश करूंगा। आज, कल चाहे जो कुछ रहा हो, सत्तारूढ़ दल का जनतंत्र में विश्वास नहीं है और जनता का बैलट पेपर से सरकार को बदलने का विश्वास खत्म हो गया है इसीलिये सारी समस्या पैदा हुई है। जहां तक टेक्नीकल बात है वह स्पष्ट हो चुकी है। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं बल्कि मैं जनता की बात, जनता के विचार की अभिव्यक्ति कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि जनता का विश्वास बैलट पेपर से सरकार बदलने का डगमगा चुका है और जनता को क्या अधिकार है उनको सीमा में नहीं रखा जा सकता है।

श्री प्यारेलाल (मेरठ)—

चौधरी साहब के यहां यह चीज हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता सदन ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया है। उनको कहने दीजिये। आप कृपया बैठ जाइये।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मुझे व्यवस्था चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दूंगा क्योंकि एक व्यवस्था की बात चल रही है। आपके नेता ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। इसकी आपको जानकारी होनी चाहिये।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल इस बात को स्पष्ट कर दें कि हर प्रकार के तरीकों से उनका क्या मतलब है। इसके स्पष्ट हो जाने के बाद आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

वह बता रहे हैं। इस समय प्रश्न यह है कि एक व्यवस्था का प्रश्न उठा है कि हर प्रकार के तरीकों से क्या मतलब है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं कि क्या माननीय चौधरी साहब को अधिकार है कि यह प्रस्ताव करें कि यह सरकार शुद्ध तानाशाही का एक दूसरा रूप है। अगर ऐसा है तो...

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल भाषण दे रहे हैं और उसको सुनने के बाद और माननीय सदस्य जो बोलना चाहें उन्हें एक एक मिनट देंगे। तब मैं अपना निर्णय दूंगा।

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, मैं आज आपके जरिये माननीय यादवेन्द्र सिंह को बधाई देना चाहता हूं। आज उनकी तकरीर बहुत अच्छे लहजे में हुई। उनका कहना यह है कि मैं ही जनतंत्र तोड़ना चाहता हूं। मैं कल यहां गवर्नर के अभिभाषण पर उनकी इजाजत से कुछ बयान देना चाहता था। उसकी इजाजत मुझे नहीं मिली। उसके बाद यहां व्यवधान हुआ। मुझे अफसोस है। मैं तो सिर्फ यह चाहता था कि जो बयान मैंने लिखा था, उसे पढ़कर अपने दल के सदस्यों के साथ बाहर चला जाता। लेकिन मुझे मौका नहीं मिला और मेरे सदस्यों को रोष इतना था कि जिसप्रकार से इलेक्शन हुआ और जिस प्रकार से गवर्नमेंट बनी वे अपने रोष को रोक नहीं सके। मैंने उन्हें यह समझाने की कोशिश की लेकिन उस शोर में नहीं सुन सके। हम लोग सदन के मेम्बर हैं और सदन की जो मर्यादा है उसका हमें निर्वहन करना ही होगा। मैं ट्रेजरी बेन्चेज के लोगों को बता देना चाहता हूं कि उनकी यह धारणा ठीक है कि मैं जनतंत्र की रक्षा नहीं करना चाहता, जनतंत्र की रक्षा तो तब होती जब उड़ीसा की तरह होता। पुराने कांग्रेसी बी० दास० जिन्होंने जे लखाना देखा और पहले चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने कांग्रस छोड़ी और उनके मुख्य मंत्रित्व में गवर्नमेंट चल रही थी। एक बहुत बड़ा जुलूस निकला और काउन्सल हाउस में हल्ला हुआ और उसके विरोध में मुख्य मंत्री को पीटा।

(शेम शेम की आवाज हुई)

अध्यक्ष महोदय, अगर कोई गलती हुई है तो वह यह हुई है कि मैंने हजारों आदमियों को काउन्सिल हाउस के अन्दर आने से रोका।

(मेजें थपथपाई गयीं)

अध्यक्ष महोदय, दूसरे आदमी के मकान पर उसको पत्थर फैंकने का अधिकार है जो अच्छे या सुदृढ़ मकान में बैठा हो और जिसने पाप न किया हो जिसने अपने दिल को टटोल लिया है कि उसने कोई गल्ती नहीं की है। आज कांग्रेस के लोगों का वह हाल है कि हजारों चूहे खाकर जैसे बिल्ली हज करने को चली (शोर) अब मैं अपने प्रस्ताव के ऊपर जो मैंने अमेंडमेंट दिये हैं, उस सिलसिले में कुछ अर्ज करना चाहूंगा...।

एक सदस्य—

श्रीमन्, हमारी ओर से व्यवस्था का प्रश्न उठा। मैं चाहता हूं कि आप उस पर अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य जी अपने विचार रख रहे हैं। उनको सुनने के बाद म अपना निर्णय दे दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

उसी पर सुन लीजिए और उसके बाद में आप माननीय नेता विरोधी दल को बुलवाइये ?

*खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

मान्यवर, आप व्यवस्था के ऊपर सुन रहे हैं माननीय नेता विरोधी दल को या वे अपने संशोधन पर बोल रहे हैं, पहले आप इसका स्पष्टीकरण कर दें ?

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था के प्रश्न पर ही सुन रहा हूं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अगर आप व्यावस्था के प्रश्न पर सुन रह हैं तो उन्हें व्यवस्था तक ही सीमित रहना चाहिये ?

श्री अध्यक्ष—

यह जो वे बोल रहे हैं, यह तो उनकी भूमिका है।

चौधरी चरण सिंह—

आपकी रूलिंग हो चुकी थी कि आप बाद में फैसला देंगे।

श्री अध्यक्ष—

अभी मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं। संवैधानिक स्थिति को देखकर और इनकी बात सुनकर ही इस संशोधन पर अपनी व्यवस्था दूंगा। मान लीजिये समाज के अन्दर हिंसा व्याप्त है और सदन में कोई कहे कि हिन्सा है सदन का निर्णय है कि हिंसा न हो तो जनता को यह मालूम होना चाहिये कि सदन की यह राय है कि हिंसा नहीं होनी चाहिये। मूल में तो संशोधन हो सकता है। संशोधन में क्या संशोधन हो सकता है यह हमें विचार करना होगा। जो प्रश्न माननीय नेता सदन नें उठाया है, वह महत्वपूर्ण है और इस सम्बन्ध में संवैधानिक साहित्य का अवलोकन करना होगा और उसके बाद हीं मैं अपनी व्यवस्था दूंगा। अब प्रश्न यह है कि किसी ने शपथ ली है और शपथ के अनुसार व अहिंसा में विश्वास रखते हैं लेकिन वे हिंसा देखते हैं। तो संविधान की स्थिति

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

के लिये कौन चीज सहायक है और कौन चीज इसके लिये भयंकर हो सकती है। अभी इस पर विचार करना मुझे शेष है। उसके बाद ही में अपनी व्यवस्था दूंगा। अब वे इस पर बोल रहे हैं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहती हूं। एक प्रश्न यह है कि माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन उपस्थित किया, उसकी आखिरी पंक्ति में जो लिखा है उस पर सदन को आपत्ति है और इसके बारे में हमें आपसे स्पष्ट निर्णय चाहिये। अगर उस रूलिंग के बिना माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं तो जो संशोधन लिखित रूप से हमारे सामने है उसको मानते हुये उन्हें पूरी तरह से इजाजत देते हैं बोलने की ती पहले उसको संशोधित रूप से बढ़ा हुआ माना जाय। तब आप बोलने की इजाजत दें, यह मेरा आपसे विशेष निवेदन है।

श्री धर्मवीर (जिला इलाहाबाद)—

माम्यवर, मैं एक बात आपसे यह कहना चाहता हूं कि माननीय नेता विरोधी दल अगर स्पष्टीकरण देना चाहते हैं तो उनको भाषण देने की इजाजत दी जाय। . . . (शोर)

चौधरी चरण सिंह—

(घोर शोर के मध्य) मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाता हूं। आप अपनी रूलिंग दे चुके हैं अब उस पर कोई माननीय सदस्य क्वैश्चन नहीं उठा सकते हैं (शोर)

*श्री काशीनाथ मिश्र—

(शोर के मध्य) जब आपने उसको इतना महत्व दिया तो आपको फौरन एक सैकण्ड में रूलिंग देनी चाहिये। यह विधान सभा केवल माध्यम है। माननीय चौधरी चरण सिंह, नेता विरोधी दल सदन के माध्यम से हर तरीके अपनाने की अपील नहीं कर सकते हैं। यह विधान सभा संविधान के अन्तर्गत गठित है (शोर)

श्री अध्यक्ष—

अगर माननीय चौधरी चरण सिंह जी ....(घोर शोर)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी (जिला लखनऊ)—

(घोर शोर के मध्य) मैं एक बात कहती हूं कि चौधरी ...(घोर शोर)

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, इसकी लैग्वेज देखिये? इसमें लिखा है... (घोर शोर)

*श्री गोविन्द सिंह (टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, एक संवैधानिक प्रश्न है। जब हमको शपथ ग्रहण कराया गया था तो माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने शपथ ली थी... (घोर शोर)... विधि के अनुसार जो व्यवस्था बनाई गई है और जो मर्यादा है आज मान्यवर, संशोधन आपके सामने है कृपा करके उसका अवलोकन करें। चौधरी साहब फरमाते हैं—अतएव जनता को किसी भी प्रकार... (घोर शोर के मध्य).. संवैधानिक तरीके से वह प्रश्न उठा सकते हैं। आपने एक रूलिंग दी सदन के अन्दर आपको याद होगा माननीय छांगुर राम ने भाषण दिया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और उस भाषण में आपने उनको टोक दिया था। आपने कहा था कि संविधान के अनुसार यह विधान सभा गठित हुई है।

श्री काशीनाथ मिश्रा--

माननीय नेता विरोधी दल ने जो संशोधन इस आदरणीय विधान सभा में पेश किया है उसमें एक वाक्य ऐसा अन्त में लिखा है कि हर प्रकार के साधनों से सरकार को उखाड़ फेंका जा सकता है तो इसके एक ही अर्थ हैं कि उसके दो ही तरीके हो सकते हैं। एक है हिंसात्मक और दूसरा अहिंसात्मक साधनों से तो इसमें चौधरी साहब से कोई व्याख्या कराने की जरूरत नहीं है। वह बड़ा स्पष्ट है कि आपको स्वयं निर्णय करना है आपके अन्दर शक्ति निहित है कि इस वाक्य को निरस्त करके संशोधित रूप में इस संशोधन को स्वीकार करें। इसमें न चौधरी साहब से पूछने की बात है और न व्यवस्था देखने की बात है। इस वाक्य के चलते हुए सारे प्रदेश में अराजकता फैलने की संभावना है और विरोधी दलों द्वारा जो तौर-तरीके अपनाये जा रहे हैं उससे प्रदेश में अव्यवस्था उत्पन्न हो गयी है। तो कोई रूलिंग की आवश्यकता नहीं है। यह संविधानिक अधिकार है आपका।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

चौधरी साहब ने विधान सभा के अन्दर शपथ ली है और आप कहते हैं कि यह शुद्ध तानाशाही सरकार है तो विधान में कोई अधिकार नहीं है कि यह सदन···

एक सदस्य--

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं दो शब्द कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

एक सदस्य बोल रहे हैं, आप अपनी बात बाद में कहियेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इस बुनियादी बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि चौधरी साहब का संशोधन विधान के अनुकूल नहीं है, बल्कि प्रतिकूल है। इसलिये कि अभी हाउस के लीडर ने आपकी तवज्जह इस तरफ दिलाई कि वह इस सदन से यह प्रस्ताव स्वीकार कराना चाहते हैं कि यह सरकार शुद्ध तानाशाह की सरकार है। मैं व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या सदन को अधिकार है कि वह यह प्रस्ताव करें कि यह सरकार तानाशाह सरकार है ? आप या दूसरे माननीय सदस्य या चौधरी साहब बतायें।

(व्यवधान)

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

मैं निर्णय देता हूं। (श्री शिव कुमार पांडेय के खड़े होने पर) मैं हर सदस्य को समय नहीं दे सकता। यह बड़े महत्व का सवाल है और इस पर ऐसी व्यवस्था दी जा सकती है जो ऐतिहासिक हो और तमाम दुनियां और देश के लिये एक आदर्श हो। इसलिये अगर आप खुले दिमाग से सोचें तो बुरे को बुरा कहना नैतिक समझा जाता है। अगर बुराई है और हिंसा है और हिंसा की प्रवृत्तियां हैं तो वह निन्दनीय हो सकता है। हो सकता है उनका विश्वास इसमें न हो। इसलिये जब तक पूरा भाषण नहीं होता है और उन तरीकों के बारे में चौधरी चरणसिंह की राय हम नहीं जानते हैं हर तरीके का मतलब हो सकता है--अभी मैं निर्णय नहीं दे रहा हूं--संविधान के अन्तर्गत जितने तरीके हैं वह हर तरीका हो सकता है। गांधी जी ने जिस तरीके को अपनाया वह तरीका भी हो सकता है। कुछ सोचने का मौका आप दें, बड़ा

[श्री अध्यक्ष]

महत्वपूर्ण विषय है । फिर जब मैंने कहा कि भाषण में चौधरी साहब बतलायें, मुझे भी अधिकार है वोट लेने के पहले किसी भी अंश को मैं काट सकता हूं अगर मैं यह समझूं कि यह अंश निकालने य ग्य है.....।

(व्यवधान)

(श्री धर्मवीर के खड़े होकर कुछ बोलने पर) मैं बोल रहा हूं और आप खड़े हो कर बोलने लगते हैं। आप कृपा कर के बैठें। एक एतराज हुआ। इसकी बहुत सी बारीकियां हो सकती हैं। मान लीजिये गर्ग साहब कहते हैं तानाशाही। ठीक है, औचित्य का प्रश्न दूसरा है। लेकिन मैं समझता हूं कि तानाशाह को तानाशाह कहना उसको लोकतन्त्री बनाना है। अनेक बातें हैं। कहने का अपना अपना तरीका होता है। इसलिये मैं यही निवेदन करूंगा कि आप शांति से भाषण सुनें। उससे निकलेगा कि कौन तौर तरीका है। और फिर अन्त में यह सदन मालिक है। जो प्रश्न उठाया गया है, वह मैंने गौर से सुना है। मैं माननीय चौधरी साहब की बात सुनूंगा, इस सबके बाद ही तो मैं कोई निष्कर्ष निकालूंगा। यहां पर तो सभी बातों का अध्ययन नहीं किया जा सकता।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जब तक आपकी रूलिंग न हो जाय तब तक माननीय चौधरी साहब के उस संशोधन को ढ ा;आ न माना जाय...

(व्यवधान)

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। (व्यवधान) चौधरी साहब ने जो कहा है कि हर प्रकार के तरीकों को अपनाने का जनता को अधिकार होगा.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

चौधरी साहब, आप कृपया भाषण जारी रखें। मैंने इस पर व्यवस्था अपनी सुरक्षित खी है। माननीय सदस्य मेरे कक्ष में आकर कहें।

श्री धर्मवीर--

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं.....।

श्री अध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं देता, मैंने चौधरी साहब को इजाजत दी है।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं.....।

एक सदस्य--

इनको रोकिये, जब माननीय नेता विरोधी दल खड़े हों तो किसी अन्य सदस्य को खड़े नहीं होना चाहिये.. .(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय—

चौधरी साहब ने कांग्रेस के लिये कहा है कि सौ-सौ चूहा खाय बिलार चली भक्तिन... (व्यवधान) यह असंसदीय है। क्या इस तरह का वाक्य कांग्रेस के लिये कोई माननीय सदस्य कह सकता है।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसको परम संसदीय मानता हूं। आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मेरे बहुत ही सीधे सादे संशोधन पर इतनी बातचीत हुई। जो हमारे कम्युनिस्ट मित्र हैं, श्री गोविन्द सिंह जी और गर्ग जी उन्होंने यह एतराज उठाया तो मुझे अंग्रेजी का एक पुराना फ़्रेज याद आ गया—आफ डेविल कोटिंग स्क्रिपचर्स। कम्युनिस्ट लोग अहिंसात्मक और कांस्टीट्युशनल तरीकों की बात करते हों तो देश को चाहे कितनी और हानि हुई हो लेकिन सामने बेंचेज को मुबारकबाद देता हूं अगर आपके साथ रहने से उनका कनवर्जन हो गया हो। (व्यवधान) मुझे बोलने दीजिये। (व्यवधान) (एक सदस्य खड़े हो कर कुछ कहने लगे)।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है वह बड़ी सम्भावनाओं से भरी हुई है। यह हम पर पूरी तरह से विदित हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी को अब बैलेट बाक्स के जरिये, गवर्नमेन्ट बदलने के तरीके में विश्वास नहीं रह गया है। (व्यवधान) अब वह कहां तक बोलेंगे, मुझे बहुत सी ऐसी बातें सुनानी हैं। (व्यवधान) दलील बतलाऊंगा, पहले भूमिका तो बतला दूं। आशा करता हूं कि बीच में, जैसे मेरी बहिन श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी बहुत नाराज हो कर बोली, अगर चे मैं उनकी नाराजगी समझता हूं, क्यों वह इतना ज्यादा नाराज हैं, बीच में इतना नाराज न हों। हो सकता है कि और लोगों का जिक्र आ जाय। हो सकता है कि नाम से जिक्र न करूं। कांस्टीटुएंसी और जिले का जिक्र करूं, उसमें मंत्रिमण्डल के सदस्य भी शामिल हों। तो सब के साथ यह बात सुनें। डमोक्रेसी में जरूरी नहीं है कि आप के मन की बात कही जाय। जो बात गलत लगती हो, मुझे कहने का अधिकार है, आपको सुनने की जिम्मेदारी है। उसके बाद जवाब होगा, आप बेशक जवाब दीजिये।

जैसा कि मैंने अर्ज किया, मेरा और मेरे सब साथियों का ख्याल है, कि सत्ता छोड़ने का जो तरीका है, वह बैलेट के जरिये किसी रूलिंग पार्टी को हटाने का जो तरीका है, तो अब यह तय हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती। सवाल सिर्फ यह है कि अब हम किधर जायें, यह देश कौन सा रास्ता अख्तियार करे। कांग्रेस पार्टी जो अब तक कर चुकी और जो इस इलेक्शन में साबित हो चुका है, अगर इसी बात पर कायम रहती है तो सबको तय करना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता अपनाया जाय। (व्यवधान) मैंने दिखलाया उन्हें साफ दिखलाया। (व्यवधान) अब आप बोलने दीजिये।

(व्यवधान और शोर)

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से गुजारिश करूंगा कि मेरे दोस्त जो इस तरह की बातें करते हैं, मुझे जवाब देना पड़ जायगा, इसलिये....।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था चाहती हूं। अभी चौधरी साहब ने मेरा नाम लिया और कहा कि मैं बहुत नाराज हूं। मैं नाराज नहीं हूं। मैं आपकी बहुत कद्र करती हूं। मैंने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी

यह पूछा था कि अगर जनता हिंसा का रास्ता अपनाती है तो चौधरी साहब उसका साथ देंगे या नहीं। मैंने यह पूछा था। मैंने यह स्पष्टीकरण पूछा था चौधरी साहब से। यह तानाशाही जनता समझती है। इस बात का स्पष्टीकरण मैंने पूछा था केवल। मैं नाराज नहीं हूं, मैं आपकी बहुत कद्र करती हूं।

एक सदस्य--

मैं चौधरी साहब के कारनामों को अच्छी तरह जानता हूं कि किस तरह से उन्होंने शोषित समाज को वोट डालने से रोका है। चौधरी साहब ने जो कल कहा है, उससे वह केवल प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहते हैं।

एक सदस्य---

मैं चूंकि मेरठ का रहने वाला हूं और चौधरी साहब भी मेरठ के रहने वाले हैं, मैं उनको अच्छी तरह समझता हूं।

(व्यवधान)

श्री राम सेवक यादव--

श्रीमन्, सदन में बड़ी अव्यवस्था है। आप पूरा मौका दें, जितना शोर मचाना चाहें मचा लें। कार्यकारी नेता भी उनका प्रदर्शन देख लें।

(व्यवधान)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

जिस पार्लियामेन्ट्री भाषा का सदा से चौधरी साहब इस्तेमाल करते रहे हैं, उसी का इस्तेमाल करें तो शोर नहीं होगा और सदन शांति से चलेगा।

(व्यवधान)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

नेता विरोधी दल जब बोल रहे थे, तो उस बीच में लोगों ने ऐसा दृश्य उपस्थित किया जैसा कभी नहीं हुआ। मैं चाहता हूं इधर की भी बात वे सुनें। म उम्मीद करूंगा तिवारी जी से कि वह संयम रखें अपने सदस्यों पर।

एक सदस्य---

जब वह दूसरों की आंख में उंगली डालते हैं तो वह बैठे हंसते हैं, लेकिन जब अपनों की आंखों में ऊंगली जाती है तो उन्हें तकलीफ होती है। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। यहां पर सबकी बात सुनी जाए, चाहे जिस पक्ष के लोग हों। आप जिसको आज्ञा दें वही बोले, ताकि हम शांति से सही फैसला ले सकें। आप जिसको हुक्म दें वही बोले।

एक सदस्य--

आप सारी कार्यवाही समाप्त कर दें और सारे दल के नेताओं को बुलाकर तय कर लें कि ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिये। यहां पर तो मछली बाजार बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

इस सदन की कार्यवाही तभी चलेगी, जब आप सभी उसे चलाना चाहें। आप नहीं चलाना चाहेंगे तो मेरे लिये सम्भव नहीं होगा। क्योंकि नियम तो कोई शक्ति नहीं होता है, जब तक कि उनके प्रति मान्यता की भावना दृढ़ न हो। तो बहुत जरूरी सुझाव आया है कि

नेताओं से बात कर ली जाय, लेकिन अभी मैं यह निवेदन करूंगा कि जब आपका भाषण हो गया तो नेता विरोधी दल का भी भाषण आप सुनें ।

(व्यवधान)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मैं कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों से अपील करूंगी कि वह शांतिपूर्वक माननीय नेता विरोधी दल को सुनें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अगर आप नेता विरोधी दल को बोलने नहीं देंगे तो किसी को बोलने की इजाजत नहीं दी जायेगी ।

चौधरी चरण सिंह--

अध्यक्ष महोदय, अभी इस बीच में माननीय नेता सदन ने यह कहा, कि शायद मुझको मशविरा दिया कि मैं संसदीय भाषा का इस्तेमाल करूं तो अच्छा होगा. . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैंने यह नहीं कहा ।

चौधरी चरण सिंह--

मैं इसलिये जानना चाहता था कि मैंने कौन सी अनपार्लियामेन्ट्री बात कही । मान्यवर, दो बातें उठाई गईं उधर की तरफ से । मैं मुख्तसर में उनका जवाब देना चाहूंगा । पहली बात यह कि मैंने दल बदला । मैंने दल नहीं बदला और न ही किसी दूसरे दल में गया । मैंने नया दल बनाया है गांधी जी के उसूलों पर जिन पर चलने का दावा कांग्रेस करती है, लेकिन चलती नहीं. . . . .

(व्यवधान)

श्रीमन्, जब यह कांग्रेस वाले लोग दूसरे लोगों से दल बदलवाते हैं, तब जुर्म नहीं होता । सन् 1954 में अकाली दल से तुड़वाकर श्री करतार सिंह को मिनिस्टर बनाया गया, तब दल नहीं बदलवाया । जब आंध्र-केसरी जो कि पी0 एस0 पी0 पार्टी से जीत कर आये थे, टी0 प्रकाशन और उनकी पार्टी में 30-35 सदस्य या जो कुछ भी हों, अपनी पार्टी में मिलाया, जब कि कांग्रेस की मेजोरिटी नहीं थी, तब दल नहीं बदलवाया । सारी पार्टी नहीं केवल कुछ लोग और टी0 प्रकाशन को चीफ मिनिस्टर बनाया । और सुनिये, सन् 1965 में श्री गेंदा सिंह जी को इसी सदन में सोशलिस्ट पार्टी से तोड़ कर मिनिस्टर बनाया था, तब दल नहीं बदलवाया । मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता और कहीं और कुछ कह दिया तो सबके सब यहां से चल जाओगे. . .

(शोर)

जो मिसाल आपकी प्रधान मन्त्री ने पेशकी है. . . . .

(व्यवधान)

जहां तक वह संसदीय मान्यताओं की बात कहती हैं, मैं अपने दोस्तों से यह बताना चाहता हूं कि अभी इस सिलसिले में बहन इन्दिरा से बहुत कुछ सीखना है । पार्टी ने किसी केन्डीडेटका नामिनेशन किया और वोट दूसरे को डलवाये. . . . . .

(शेम शेम की आवाजें)

इसलिये मैंने यह कहा था कि 'हजार चूहे खाय बिल्ली हज को चली' और जो लोग. . .

एक सदस्य—

आप नम्बर एक पर हैं ।

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि 22 फरवरी, तक या 21 फरवरी तक कांग्रेसी लीडर्स की मीटिंग नहीं हो पाती थी । हेलीकाप्टर सबके पास था । प्रधान मंत्री, होम मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिफेन्स मिनिस्टर इण्डियन एयर फोर्स का हेलीकाप्टर लेकर कांग्रेस का प्रोपेगेन्डा करने जाते थे, इसे कोई इन्कार नहीं कर सकता है । सरकारी साधनों का इस्तेमाल कांग्रेस के बड़े-बड़े लीडर्स ने एक दो दिन नहीं सारे इलेक्शन में किया । वह मैं बाद में तफसील में अर्ज करूंगा । इस वक्त यह कहना कि इंडियन एयर फोर्स के हेलीकाप्टर से कांग्रेस के लीडर्स जब जाते थे तो उन्हें कोई सुनने नहीं आता था । दस पन्द्रह मिनट वह बोलते थे और फिर उड़ जाते थे । इसी तरह कांग्रेस के लीडर्स दिन में कन्वेंसिंग के लिए बहुत कम जाते थे, कोई बिरला ही जाता था, ताकि कोई उनकी शक्ल न देख सके ।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, यह इतना झूठ बोलेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पायेंगे ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, मैंने एक सुझाव दिया था । आप व्यवस्था दें और उसी के अनुसार कार्य होना चाहिए । जो भी भाषण देगा वह अपनी सारी बातें रखेगा ।

चौधरी चरण सिंह—

मैं अपने माननीय मित्रों को बतला देना चाहता हूं कि उन्हें कड़वी बात सुनने की आदत डालनी चाहिए क्योंकि जो बात मैं कहने जा रहा हूं वह कड़ुवी है लेकिन मैं पार्लियामेन्टरी भाषा का ही इस्तेमाल करूंगा । मैं फिर दोहराना चाहता हू कि कांग्रेस के लीडर्स जाते थे तो उनका स्वागत नहीं होता था और दुनिया इस बात को जानती थी और जानती है । मैं माननीय नेता सदन से दरख्वास्त करूंगा कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की सी० बी० आई० की और आपकी सिक्रेट पुलिस की जो रिपोर्ट हो उन्हें अपने साथियों को दिखला दें कि कांग्रेस की बाबत जनता का क्या ख्याल है ।

(सरकारी पक्ष की ओर से एक सदस्य द्वारा टोकने पर बी० के० डी० के सभी सदस्य खड़े हो गये और शोर करने लगे ।)

मैं यह कह रहा था कि जैसा कि हम सभी को मालूम है कांग्रेस वालों का जनता में स्वागत और अभिनन्दन नहीं होता था । मुझे मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर की भी 15 मिनट से ज्यादा कहीं मीटिंग नहीं हुई है । अब सवाल यह उठता है कि वह कौन सी बात मैंने कह दी जिस पर एतराज है । मैं कोई अपशब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, फिर बीच में आप लोग क्यों बोल रहे हैं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

आप लोग बाद में जवाब दे दें, वह सुनने को तैयार हैं ।

चौधरी चरण सिंह—

तो फिर सवाल यह उठता है कि असेम्बली में बहुमत कैसे हो गया। वह कौन सा जादू था, वह कौन सा एक्शन है, मैं आज उसकी विवेचना करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह कार्य जून, 1973 से शुरू हुआ है। 273 कांग्रेस के एम0 एल0 एज0 थे लेकिन ऊपर से हुकुम आया, मुझे नहीं मालूम कि किस आर्टिकिल के मातहत आया। यहां कांग्रेस मेजारिटी थी, पार्टी त्रिपाठी जी के साथ थी, पार्टी ने कभी कोई नो कान्फीडेंस पास नहीं किया, फिर भी ऊपर से हुकुम आता है कि इस्तीफा दे दो और जिन अल्फाज में इस्तीफा दिया है वह मरजी के खिलाफ है। अब जब मैंने कह दिया कि जनता को हर तरीका इस्तेमाल करने का हक है तो नामालूम क्या क्या कानून की बात की जा रही है, तो किस कानून के मातहत उन्होंने अपनी मरजी के खिलाफ इस्तीफा दिया। वह मैं आपके विचार के लिये छोड़े देता हूं। उस समय त्रिपाठी जी से इस्तीफा लिया गया जब यह सोचा गया कि उनके मंत्रिमण्डल में कांग्रेस की जीत नहीं हो सकती है, इसलिये उनको हटा दिया गया जबकि इलेक्शन में सिर्फ 8 महीने बाकी थे। मोटी सी बात थी कि अगर हटाया गया था तो दूसरा मंत्रिमण्डल बनाया जाता लेकिन नहीं बनाया गया। मैं जानना चाहूंगा कि कान्स्टीट्यूशन में कौन से आर्टिकिल या अनुच्छेद के अन्तर्गत मेजारिटी होते हुए भी प्रेसीडेन्ट रूल किया गया और प्रदेश को नौकरशाही के हवाले सौंप दिया गया। तीन आई0 सी0 एस0 को दिल्ली से बुलाकर उनके सुपुर्द प्रदेश कर दिया गया। कब जबकि कई बार श्री डी0 पी0 धर, प्लानिंग मिनिस्टर का व्याख्यान हो चुका था कि समाजवाद के रास्ते में नौकरशाही बाधक है। फिर नौकरशाही के सुपुर्द प्रदेश को किया गया। फिर एक ऐसे चीफ मिनिस्टर की खोज की गई जो जादू कर सकता हो और मेजारिटी दिला सकता हो। तो क.ई अच्छी बात नहीं है और आप खुद जानते हैं कि वह जादू कौन सा होगा जिसकी वजह से आपको मेजारिटी मिल गई। क्या जरूरत थी। इससे साबित होता है कि मंशा कुछ और थी और इसीलिए यह कहा गया कि जनतांत्रिक मान्यताओं का तकाजा है कि पापुलर मिनिस्ट्री हो और बहुगुणा जी चीफ मिनिस्टर बनाये गये। 5 महीने तक उस तकाजे को भुलाए रखा गया लेकिन अगर यह तकाजा याद आ गया था तो फिर असेम्बली क्यों नहीं बुलाई गयी। 8 नवम्बर को बहुगुणा जी की मिनिस्ट्री बनी लेकिन कोई असेम्बली नहीं बुलाई गयी। क्यों नहीं बुलाई गई? अगर असेम्ली का बुलाना जरूरी नहीं था तो फिर प्रेसीडेन्ट का रूल क्यों नहीं कायम रह सकता था जो पहले से चल रहा था और वह बहुत ज्यादा बेहतर साबित होता बनिस्बत बहुगुणा जी की मिनिस्ट्री के जिसमें आफिसर्स को डिमारेलाइज किया गया, करप्ट किया गया, इलेक्शन को जीतने के लिये और इसीलिए प्रेसीडेन्ट रूल को हटा कर आप मिनिस्ट्री कायम करते हैं। इसी बात को न कहने देने के लिये उधर के माननी सदस्य तरह तरह की बाधाएं डाल रहे थे। मैं फिर दोहरा दूं अगर असेम्बली बुलाना जरूरी नहीं था तो प्रेसीडेन्ट का रूल क्यों जारी नहीं रखा गया? मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं मेरे साथी इस नतीजे पर पहुंचे हैं और सारे प्रदेश की जनता इस नतीजे पर पहुंची है कि मिनिस्ट्री इसलिये बुलाई गई कि पोलिटिकल पावर आयेगी, उसके जरिये से चुनाव जीतने हैं येन केन प्रकारेण। जो कुछ हुआ है नतीजा उसकी पुष्टि करता है। हमारा इफरेंस और कानक्लूजन की पुष्टि होती है इसलिए बहुगुणा जी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। मैं सन् 37 से एम0 एल0 ए0 हूं। दूसरे प्रदेशों के अनुभव से भी मालूम है अब तक किसी भी सूबे में इतने शिलान्यासों का कार्यक्रम नहीं हुआ, इतने इनआगुरेशन शिलान्यासों के नहीं हुए जितने हमारी बहन इन्दिरा जी ने अक्तूबर नवम्बर से लेकर 16 जनवरी तक उत्तर प्रदेश में किये। जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया उनका प्रोसेसिंग नहीं हुआ, पार्लियामेन्ट से रिपोर्ट मंजूर नहीं हुई लेकिन सबके फउन्डेशन स्टोन्स रख दिये गये। मैं चार्ज लगाता हूं कि यह केवल वोट लेने के ख्याल से किया गया, जो इलेक्शन होने वाला है उसको इंफ्लुएंस करने के लिये किया गया ताकि जनता को मालूम हो कि कांग्रेस व इन्दिरा जी उसके बहुत नजदीक हैं। जनता की मेमोरी बहुत शार्ट होती है लम्बी नहीं होती और मनुष्य की इस कमजोरी से कांग्रेस की लीडरशिप ने फायदा उठाया और

[चौधरी चरण सिंह]

यह दिखाया कि 25 साल में जो नहीं हुआ वह अब कांग्रेस कर रही है, इसलिये ये सारे उद्घाटन हुए। आप देखें कितना फेन्टेस्टिक है ? एस0 एस0 लाइट रेलवे, सहारनपुर से शहादरा तक जाती थी। उसे बन्द कर दिया गया। मैं उस समय चीफ मिनिस्टर था कांग्रेस के साथ कोलीजन गवर्नमेन्ट का। मैंने इस पर पर्सनल लेटर लिखा रेलवे मिनिस्टर को कि यह एस0 एस0 लाइट रेलवे बन्द न की जाय क्योंकि यह डेंसली पापुलेटेड एरिया के लिए एक मात्र रास्ता है। इसको ब्राड गेज किया जाय, अगर न किया जाय तो मीटर गेज ही किया जाय लेकिन उसे बन्द कर दिया गया और इलेक्शन के दौरान यह कहा गया कि इस लाइन को चरण सिंह ने बन्द करवा दी थी। माननीय रामचन्द्र विकल उस हल्के से एक कन्डीडेट थे। वे चाहते थे कि वह रेलवे लाइन खुल जाय लेकिन उनके पास इतना पैसा कहां था जो मांग करते। लेकिन अक्तूबर-नवम्बर 1973 में इन्दिरा जी वहां ब्राड गेज रेलवे लाइन का उद्घाटन करने के लिये आती हैं। कहां पर उद्घाटन करती हैं, यह भी बता दूं। उद्घाटन होता है वहां पर जहां पर कि लाइन या तो शुरू होती है या खत्म होती है। इन दोनों जगहों में कहीं पर उद्घाटन होता है। तो उद्घाटन होना चाहिये था शहादरा में या सहारनपुर में। किन्तु इन स्थानों में किसी में न होकर खेकड़ा में उद्घाटन होता है। वह एसेम्बली की एक कास्टीटुएन्सी है जहां से कि राम चन्द्र विकल कन्डीडेट के रूप में खड़े थे। वे यहां पर मिनिस्टर बन चुके थे लिहाजा वहां पर उद्घाटन करवाया गया। अब रेलवे लाइन की फाउन्डेशन स्टोन तो पड़ती नहीं है। उसका उद्घाटन तो तभी हो सकता है जब कि रेलवे लाइन बने। इस उद्घाटन में अनेकों मिनिस्टर्स और सरकारी अफसरान जिनसे कि इस रेलवे लाइन का कोई वास्ता नहीं था वहां गये। हेलीकोप्टर में वे आये। वहां की जनता हेलीकाप्टर को देखने के लिये आई क्योंकि उससे कांग्रेस की तस्वीर दिखाई देती है। अब उन्होंने वहां पर बाद में हिसाब लगाया तो समझा कि अब कामयाबी नहीं हो सकती। उस विषय में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन लाखों रुपया उस उद्घाटन में खर्च हुआ होगा। इसकी क्या जरूरत थी जब कि गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया की एक कमेटी के अनुसार 90 प्रतिशत आदमियों को सीरियल्स नहीं मिलते। जितने उद्घाटन हुए, अफसरान परेशान हुए, हफ्तों पहले से बड़े-बड़े अफसर उनके आने की तैयारी में लगे रहे, सी0 आई0 डी0 लगी रही कि हेलीकाप्टर वहां पर उतर सकता है या नहीं उतर सकता है, डी0 आई0 जी0 और एस0 पी0 वहां देखने आए उनके भत्तों और ट्रेवलिंग एलाउन्सेज तथा बल्लियों आदि के गाड़ने में खर्चा हुआ उस सबका हिसाब लगाया जाय तो अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्रों से कहना चाहता हूं कि वह करोड़ों रुपये बैठता है। उस रुपये का उपयोग आप उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल लगाने में करते। किन्तु आपने उसे वोट लेने में लगाया। उद्घाटन पर उद्घाटन आप करते चले गये परमात्मा करे आप और हम सभी लोग रहें, वक्त स्वयं बतायेगा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स और फाउन्डेशन स्टोन आपने उस दौरान लगाये दो-चार को छोड़कर, पूरे नहीं होंगे और बाद में कहेंगे कि रुपये की कमी के कारण पूरे नहीं हो सकते।

इसी तरीके से जब बहुगुणा आये तो उन्होंने प्रदेश को अन्न दिलाने की कोशिश की, मिट्टी का तेल दिलाने की कोशिश की, कोयला, डीजल आयल, बनस्पति, चीनी, पावर आदि दूसरे सूबों से लेने की कोशिश की। उन्होंने यह दिखाना चाहा कि एज यू0 पी0 इस ए लैंड आफ प्लेंटी। और वह समृद्धिशाली हो गया है। वे कोशिश भी किये हैं। उस सम्बन्ध में म जिक्र नहीं करूंगा। एक चीज उन्होंने और सोची कि उन्होंने हर एक आदमी को खुश करने की कोशिश की। आगे के लिये क्या मिसाल पैदा होती है इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपन उधर के बैठे हुए माननीय सदस्यों से करूंगा कि वे 6/7 तारीख के हिन्दुस्तान टाइम्स में जो इनकी तस्वीर तफसील से निकली है, उसे वे पढ़ लें।

मैं एक प्राइवेट एनडिवीजुअल की हैसियत से मशविरा देता हूं कि वे उसको पढ़ लें। दो पृष्ठ भरे हुए हैं, उसमें दिये हुए हैं कि कितने उद्घाटन हुए, क्या क्या हुक्म हुए, क्या क्या खैरातें बांटी गयीं। उनमें एक चीज यह की गयी ललितपुर से कोई डेपुटेशन आया और

चीफ मिनिस्टर ने एनाउन्स कर दिया कि ललितपुर को एक अलग जिला बना देंगे । सन् 46–से 74 तक ललितपुर को अलग जिला क्यों नहीं बनाया गया । पंडित जी भी ऐडमिनिस्ट्रेटर रहे और दूसरे भी कई लीडर राष्ट्रीय स्तर के ऐडमिनिस्ट्रेटर रहे लेकिन किसी ने भी इस डिमांड को नहीं माना, क्योंकि यह जनहित में नहीं था । यह डिमांड पुरानी थी लेकिन इसको मानना सही नहीं था, जनहित से इसका कोई वास्ता नहीं था, इसलिये इसको पहले नहीं माना गया था लेकिन इस बार केवल वोट मिल जाने के ख्याल से इस डिमांड को मान लिया गया। वह कांस्टीटुऐंसी बिलकुल मध्य प्रदेश के अन्दर घुसी हुई है । उसके दोनों ओर मध्य प्रदेश है । अगर आपको वहां के लोगों के लिये कोई फैसला करना था तो उस क्षेत्र को मध्य प्रदेश को दे देते क्योंकि वहां के लोग स्वयं ही मध्य प्रदेश में शामिल होना चाहते हैं । और मेरा ख्याल है कि आगे चलकर जब भी कभी राज्यों का पुनर्गठन होगा तो यह काम जरूर होगा । लेकिन सवाल यह है कि आज यह क्यों किया गया ?

इसी तरह से मेरे कुछ माननीय सदस्यों को शायद ताज्जुब हो यह सुन कर कि वकीलों के लिये एक इनश्योरेंस स्कीम बनी । शायद 33 लाख रुपये से उनके लिये एक लाइयर वेलफेयर फंड बना ताकि 60 वर्ष से कम उम्र वाले किसी वकील का देहांत हो जाय तो उसके सरवाइवर या उत्तराधिकारी को उस फंड से 5 हजार रुपये दिये जायं। आखिर यह क्यों ? आमतौर पर वकील साहबान 60 वर्ष की उम्र तक इस लायक हो ही जाते हैं कि उनके मरने के बाद उनके बच्चों को भूखों मरने की नौबत नहीं आती। हो सकता है कि कोई एकाध केस हो लेकिन जो करोड़ों आदमी भूखों मर रहे हैं, उनके लिये कोई इनश्योरेंस फंड या वैलफेयर फंड हैं ? कैसी समाजवादी पार्टी, कभी-कभी गांधी जी का नाम लेने वाले भी उस पार्टी का नाम लेते हैं लेकिन कभी किसी को यह नहीं खटका कि आल परसंस आफ आल क्लासेज के सभी गरीबों की परवाह की जाय । वकीलों के लिये वेलफेयर फंड की सुविधा दी जा रही है, यह क्यों, इसका कोई जवाब है ? सिर्फ इसलिये कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एप्वायंटमेंट हुआ तो देश भर के वकील साहबान नाराज हो गये क्योंकि उन्होंने देखा कि डेमोक्रेसी के लिये एक तरह से खतरे की घंटी बज गयी तो उनको खुश करने के लिए यह सब किया गया। मैं उन सब चीजों का यहां जिक्र नहीं करना चाहता हूं कि कहां कहां क्या हुआ। पोलिटिकल सफरर्स के लिये, ओल्ड एज पेंशन के लिये । टीचर्स व डाक्टर्स ने तथा गवर्नमेंट सर्वेंट्स की एक बार डिमांड नहीं मानी तो फिर हड़ताल हुई, फिर डिमांग फिर हड़ताल, फिर डिमांग फिर हड़ताल, पहले कुछ आर्डर हुआ फिर उसको बदला गया, मैं इस वक्त उन सब तफसील में नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उस वक्त अनेक काम जनता के हित को दृष्टि में रख कर नहीं किये गये बल्कि केवल एलेक्शन को ही दृष्टि में रख कर किये गये।

तीन चार नयी यूनिवर्सिटीज एकदम से कायम कर दी गयीं । दो तो पहाड़ी क्षेत्र में कायम कर दी गयीं क्योंकि नैनीताल, अल्मोड़ा और गढ़वाल के कांग्रेस वर्कर्स में आपस में फैसला नहीं हो रहा था । गढ़वाल के कांग्रेस वर्कर्स कहते थे कि गढ़वाल के श्रीनगर में यूनिवर्सिटीज बने और नैनीताल तथा अल्मोड़ा के कांग्रेस वर्कर्स कहते थे कि नैनीताल में यूनिवर्सिटी बननी चाहिये ।

इस मामले को निबटाने के लिये यह कह दिया कि दोनों जगह यूनिवर्सिटीज बनेंगी । चाहे हायर एजूकेशन का नुकसान हो लेकिन अपने वर्कर्स को खुश करना था और कांग्रेस के लोगों को वोट लेने थे। इसलिये यह किया गया । हुक्म क्या होता है । मेरे पास नकल नहीं है लेकिन अखबारों में निकला 25 नवम्बर को कि पहली दिसम्बर से यूनिवर्सिटी कायम होंगी इस तरह से चार यूनिवर्सिटीज कायम की गईं नाट इन दि इंट्रेस्ट आफ एजूकेशन बल्कि अपने लोगों को खुश करने के लिये कायम की गई।

[श्री चरण सिंह]

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि करप्शन है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और और ओमप्रभा जैन हरियाना कांग्रेस की एक महिला हैं और मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। शायद उनका कोई केस था जिसका सब्जेक्ट था श्रीमती ओमप्रभा जैन बरसेज आभासचन्द्र, 1968 हाई कोर्ट का जजमेंट है इलेक्शन से ठीक पहले। अगर गवर्नमेंट इस तरह से खर्च करती है तो यह कहां तक जायज है। अगर आप इसकी इजाजत दें तो मैं उसको पढ़े देता हूं।

"To arrange to spend mony on the eve of election in different constituencies, although the general public good is, when all is said and done, an evil practice and a corrupt practice. The dividing line between evil practice and a corrupt practice is a very thin one. It should be understood that energy to do public good should be used not on the eve of elections but much earlier."

श्री राजेंद्रकुमार गर्ग—

अध्यक्ष महोदय (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

जब तक वक्ता बैठता नहीं है तब तक आपको नहीं बोलना चाहिये।

श्री राजेंद्र कुमार गर्ग—

क्या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट के जजमेंट का हवाला देकर हाउस को मिसलीड करना कहां तक ठीक है।

चौधरी चरण सिंह—

मान्यवर, गर्ग साहब सुप्रीम कोर्ट के लाइयर हैं। लेकिन उनके यहां के तौर तरीके सीखने होंगे। यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अगर मैं बैठ जाता तब तो आप कह सकते थे। लेकिन जब मैं नहीं बैठता तो आपको इस तरह मुझे इंटरप्ट करने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट का जजमेंट क्या था वह एक लीगल बात है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल से केवल इतनी सूचना चाहता था कि जो रूलिंग हाई कोर्ट ने दी क्या वह सुप्रीम कोर्ट में अपहैल्ड हो चुकी है।

चौधरी चरण सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता सदन बड़े सजग हैं। मैं हाई कोर्ट की रूलिंग नहीं पढ़ रहा हूं, बल्कि मैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पढ़ रहा हूं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा पैरा है। उसको मैं दुबारा दुहराता हूं। तो वह कहते हैं कि यह इनरजी टु डू पब्लिक गुड, देश का हित करना है तो वह इलेक्शन्स से बहुत पहले होना चाहिये। तो मैं यह अर्ज करना चाहता था कि इस तरह के बहुत से करप्ट एक्शन्स कांग्रेस की तरफ से हुए केवल इलेक्शन्स जीतने के लिये।

अध्यक्ष महोदय, कोशिश यह की गयी कि राजकर्मचारियों के जरिये से इलेक्शन्स जीते जायें। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस और छोटे-छोटे राज कर्मचारियों के ट्रांसफर किये गये। मैं माननीय नेता सदन से दरख्वास्त करूंगा कि पिछले जनरल इलेक्शन्स के पहले के आर्डर्स उठा कर देखें तो उन्हें मालूम हो जायेगा कि जितने भी ट्रांन्सफर्स के आर्डर्स जारी किये गये वे सब इलेक्शन्स के 3 महीने पहले जारी किये गये। इलेक्शन का जब साल चल रहा है तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट आफ पुलिस की खास तौर से जरूरत

होती है। वे पुराने होने के नाते यह जानते हैं कि कौन क्रिमिनल्स हैं, कहां किस तरह के लोग हैं और किस इलाके में कौन लोग हैं। इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन आमतौर से होता है फरवरी और मार्च में। राजकर्मचारियों के ट्रांसफर दो महीने बाद हो जायेंगे। ट्रांसफर अप्रैल अथवा 15 अप्रैल के बाद हो जायेंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं है। इलेक्शन्स हो रहे हैं फरवरी-मार्च में और उनके ट्रांसफर आप कर रहे हैं जनवरी या फरवरी में। यह सब करने की क्या जरूरत थी। जरूरत थी केवल इस बात की कि कौन सा अफसर है जो गवर्नमेंट के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है और उनसे कोई भी काम गवर्नमेंट करा सकेगी। इसलिये इलेक्शन्स के पहले ट्रांसफर किये गये।

(इस समय 2 बजकर 42 मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती मोहसिना किदवई पठासीन हुईं।)

अधिष्ठात्री महोदया, यह भी ख्याल रखा गया कि किस वर्ग के लोगों को भेजा जाये। एक ही जिले में एक ही वर्ग के बड़े से बड़े अफसरों को भेजा गया। मैं आपके जरिये से माननीय तिवारी जी से दरख्वास्त करूंगा कि जितने आर्डर्स पहली दिसम्बर से या जब से बहुगुणा जी यहां आये हैं सभी रद्द किये जायें कितनों के लिए हुकुम गया टेलीफोन के जरिये कि फलां सब-इन्स्पेक्टर को फलां जगह ट्रांसफर कर दो, फलां सब-इन्सपेक्टर को निकाल दो। कितने गजटेड अफसरों का इस बीच ट्रांसफर हुआ, कितने सब-इन्सपेक्टर्स का इस बीच ट्रांसफर हुआ। पहली नवम्बर से लेकर 24 फरवरी तक ट्रांसफर्स किये गये। 17 जनवरी को नामिनेशन्स से पहले ट्रांसफर्स किये गये मेरे हल्के के दो सब-इन्सपेक्टर्स का ट्रांसफर दिया गया।

(व्यवधान)

श्री मंजूर अहमद—

गढ़मुक्तेश्वर की तहकीकात करा लीजिये (व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं कह ही रहा था कि ट्रांसफर्स मेरे हल्के में ही नहीं हुए बल्कि कई हल्के में हुए। प्रिजाइडिंग आफिसर्स जो थे, उनकी लिस्ट जो थी, उनकी लिस्ट देखने पर दूसरे प्रिजाइडिंग आफिसर्स भेजे गये। मैं यह कहना चाहूंगा कि अधिठात्री महोदया कि पंत जी के बाद से मैंने यही देखा कि हमारे मिनिस्टर्स से अगर कोई प्रश्न किया जाता है तो पूरा जवाब तक नहीं दिया जाता है। माननीय नारायण दत्त तिवारी जी की तारीफ केवल खेर साहब ने ही नहीं की, बल्कि मैं भी उनसे यही उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्वाइंट को मैं उठा रहा हूं, मैं चाहूंगा कि वे मेरे हर प्वाइंट का जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट आफिसर्स को यह आदेश हुए कि कैंडीडेट्स को जिताना है, कांग्रेस को जिताना है। मैं 3 का नाम खासतौर से लेना चाहता हूं। क्योंकि मेरे पास 15–20 लोगों ने दरख्वास्त दी है बिजनौर के कलेक्टर, एटा के कलेक्टर और अलीगढ़ के कलेक्टर के खिलाफ। श्री निवास शर्मा, प्रेसीडेंट डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी ने त्रिपाठी जी के जमाने में और बहुगुणा के जमाने में शायद इंदिरा जी को बाकायदा शिकायत की। सबकी नालेज में यह शिकायत आई। श्री शर्मा ने इन अधिकारियों को भ्रष्ट कहकर शिकायत की। मुझे भ्रष्ट की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। सबने डिमांड किया कि इसका ट्रांसफर होना चाहिये। वह कलेक्टर कहता है कि मेरा संबंध डी0पी0 धर से सीधा है। मेरा कोई ट्रांसफर नहीं करा सकता है। जब कांग्रेस के लीडरों ने मिनिस्टरों ने कहा तो उसका यह असर हुआ कि उसने कहा कि मैं अलीगढ़ की सीट जिता कर दूंगा इसलिये मेरा ट्रांसफर अभी न किया जाय। उन्होंने कोशिश की कि कांग्रेस कैन्डिडेट जीते। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। मुझे तो चन्द चीजें साथियों ने जो बतायी उनको अर्ज कर रहा हूं। अगर उस पर तहकीकात की गयी तो सब मामले

[चौधरी चरण सिंह]
खुलेंगे । श्री निवास शर्मा हार गये, उन्होंने ही शिकायत की । श्री पंडिता, जो ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, इंचार्ज प्लानिंग थे, मैंने ही उनको बनाया था और जब मैं अलीगढ़ गया तो इस प्रकार की पक्षपात की बातें कांग्रेस मैन ने ही मुझे बतायीं ।

श्री अधिठाता—

यहां पर आप किसी सदस्य का नाम न लीजिए जिसको अपनी सफाई देने का मौका न दिया जाय जैसे आपने श्री निवास शर्मा कहा ।

चौधरी चरण सिंह—

माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मैं उन पर चार्ज नहीं लगा रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपने अभी श्री निवास शर्मा का नाम लिया । आप नाम न लेकर कांग्रेस के प्रेसीडेंट कह सकते हैं ?

चौधरी चरण सिंह—

मैं तो कह रहा था कि कांग्रेसमैन ने ही शिकायत की । उनको हराया गया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रट ने उनकी कोई मदद नहीं की । एटा वाले ने, जो एक शड्यूल्ड कास्ट का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रट है, उसने तो यहां तक कहा कि मैं तो कांग्रस की ही वजह से डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रट बना हूं । बिजनौर के जिलाधीश, श्री भानु प्रताप सिंह ने भी इसी प्रकार का प्रचार किया है। मेरे पास कांग्रेस (आ) के एक सज्जन ने लिख कर भेजा है कि बिजनौर के जिलाधीश ने क्या-क्या किया । केवल स्वयं ही प्रचार नहीं किया बल्कि सारी आफिशियल मैशीनरी ही इलेक्शन में लगा दी । खासकर कांग्रेस मिनिस्टर्स के चुनाव के लिये पी0डब्ल्0 डी0 और अन्य इंजीनियरिंग तथा एग्रीकल्चर, प्लानिंग डिपार्टमेंट आदि की गाड़ियां प्रयोग की गयीं । और जिस विभाग का मिनिस्टर था उस विभाग की तो सारी मशीनरी का प्रयोग किया गया जैसे हमारे यहां एक मिनिस्टर ने मेरठ में, मालूम कीजिये एजूकेशन डिपार्टमेंट ने क्या-क्या नहीं किया । और मेरी सब बातों को छोड़ दीजिये केवल इसकी तहकीकात करवा लीजिये कि इन अफसरों ने किस जोश ने साथ और मन के साथ कांग्रेस के कैन्डीडेट्स को जिताने का काम किया है । ऐसा मालूम होता था कि कांग्रेस के कैन्डीडेट्स को जिताने की जिम्मेदारी ही उनके ऊपर हो ।

गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बारे में तो मैंने एक अखबार में पढ़ा और जबानी भी सुनने में आया कि उनसे कहा गया कि तुम फंड्स भी दो और जीप भी तुम्हें इकट्ठी करनी ह । कुछ जगह ऐसा भी हुआ कि जीप और रुपया इकट्ठा किया गया । मेरे पास एक जिले से ऐसी शिकायत आयी है कि एक शेड्यूल्ड कास्ट कैन्डीडेट ने एक प्राइवेट जीप किराये पर ले रखी थी, उसे रिक्वीजिशन की गयी । और उस जीप को कांग्रेस के कैन्डीडेट को भेजा गया । एक तो जीप्स या मोटर विहिकिल्स की कमी नहीं थी, हजारों की तादाद में आयी हैं, हरियाणा से, दिल्ली और पंजाब से, कारें भी आयीं, और ट्रकें भी आयीं तो एक और मंगायी जा सकती है लेकिन ऐसा नहीं किया गया । बी0 के0 डी0 के कैन्डीडेट से छीन कर कांग्रेस कैन्डीडेट को दी गयी । मुझे तो ऐसा भी मालूम हुआ है कि एक डिपार्टमेंट के अधिकारियों से तो यह भी कहा गया कि कन्ट्रेक्टर्स से 10 लाख रुपया इकट्ठा करके देना है । उस डिपार्टमेंट में जो ठेकेदार काम करते हैं उनके जिम्मे यह किया गया कि 10 लाख तुम्हें इकट्ठा करना है और यह भी कहा कि इस बीच में जितने प्रोमोशंस होंगे—ड्यू या अनड्यू—उनका यह-यह रेट है । यानी रेट मुकर्रर कर दिया गया, भाव या कीमत एक उसूल से बना दी गयी, बे-उसूल काम नहीं किया गया । वह यह है कि ओवरसियर असिस्टेंट इंजीनियर बने तो इतना रुपया, असिस्टेंट इंजीनियर अगर इंजीनियर बने तो इतना रुपया ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

कौन डिपार्टमेंट ?

चौधरी चरण सिंह—

बतला दूंगा, लेकिन बहुत नाराज होंगे लोग, सभी जानने वाले हैं। खैर, बतलाता हूं—"पी0 डब्ल्यू0 डी0"। कह रहा था कि बाद में अलग बतला दूंगा, बचाने की कोशिश कर रहा था। नहीं मानते हो तो सन लो। इंजीनियर से एग्जिक्यूटिव इंजीनियर बनाने का इतना रुपया और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर से सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर बनाने का इतना रुपया। पता नहीं वह रुपया कहां गया, काहे के लिए इकट्ठा किया गया और कांग्रेस के इलेक्शन फंड के लिए किया गया या इंजीनियर्स के वेलफेयर फंड के लिये किया गया या कैंडीडेट्स के वेलफेयर के लिए किया जा रहा है।

अब सुनिये सेंट्रल इनफार्मेशन डिपार्टमेंट के फील्ड पब्लिसिटी यूनिट्स। यह भी उसी जिम्मेदार अखबार में पढ़ा कि फील्ड पब्लिसिटी यूनिट्स जो बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में काम करते हैं उनको 14 दिन पहले इलेक्शन के हुक्म हुआ कि बिहार वालों को तो कहा गया कि तुम्हें बनारस में प्रचार करना है, मध्य प्रदेश वालों को कि तुम झांसी के डिवीजन में प्रचार करो और राजस्थान में जो काम कर रहा था उसको हुक्म दिया कि आगरा डिवीजन में जाकर गवर्नमेंट का कहो या कांग्रेस का कहो—क्योंकि अब तो गवर्नमेंट और कांग्रेस एक ही बात है, कोई फर्क पड़ नहीं जाता—उसका प्रचार करो। क्यों ? फील्ड पब्लिसिटी यूनिट्स जो हमारे स्टेट में गवर्नमेंट आफ इंडिया की तरफ से हैं उनकी स्ट्रेंग्थ को डबल किया गया, उनको स्ट्रेंथिन किया गया।

अधिष्ठात्री महोदया, यह हेलीकाप्टर की बात कह ही चुका। अगर आप बता सकें तो बाद में बता दीजियेगा या नारायणदत्त जी बता दें कि इंडियन एयर फोर्स का हेलीकाप्टर किसी मिनिस्टर को इस्तेमाल में लाने का अधिकार क्यों है ? दुनिया में कहीं नहीं है कि बहैसियत प्राइम मिनिस्टर कोई एयर फोर्स के हेलीकाप्टर्स, वैम्पायर्स, फाइटर, बाम्बर्स को, ट्रम्पर्स को अपने इस्तेमाल में लें। हमें कानूनी एतराज कोई नहीं होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या हक है कि इनका इस तरह इस्तेमाल किया जाय ? मेरे दोस्त बड़े नाराज हैं। कुछ बातें सुन ली हैं जो कह रहे हैं, लेकिन अपने कांग्रेस को टटोलें। मैंने इलेक्शन में बहुत कुछ कहा है आपके खिलाफ। मैं कहना छोड़ दूंगा और माफी मांग लूंगा। लेकिन नारायणदत्त जी या दूसरे दोस्त किसी डिमोक्रेटिक कंट्री का यह प्रिसिडेंट बता सकें कि इलेक्शन में जब रूलिंग पार्टी उतरती है तो क्या वह अपनी फौज के हवाई जहाज इस्तेमाल करती है, तो मेहरबानी होगी। अधिष्ठात्री महोदया, मैं सारे माननीय मित्रों से कहना चाहूंगा कि अगर उनके पास जबाव नहीं है तो फिर सोचो कि आपको इस पार्टी में रहना चाहिये या नहीं रहना चाहिये। पार्टी को छोड़ने की बात मैं बेशक कहता हूं, आप अपनी पार्टी में यह सवाल उठाइये। मुस्कराने से काम नहीं चलने वाला है नारायणदत्त जी। ये ऐसी चीजें हैं जो लोगों की आत्मा में घुस गयी हैं, जैसा कि अंग्रेजी में कहा जाता है कि "दि आयरन हैज एंटर्ड दि सोल्स आफ दि पीपिल—हर आदमी के, जो भी हो। स्टेट मिनिस्टर श्री बी0पी0 मौर्य इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले मिनिस्टर बनाये जायं। वह भी यू0पी0 के इलेक्शन के लिये और हेलीकाप्टर सुपुर्द कर देते हैं। मैं खासतौर से अपनी बहन श्रीमती स्वरूप रानी बख्शी जी से जबाव चाहता हूं क्योंकि वह बहुत नाराज थीं। (व्यवधान) मैं आपके जरिये अपने माननीय मित्रों से दरख्वास्त करूंगा कि मेरी बात पर विचार कर के ठंडे दिल से कोई जबाव देने की कोशिश करें। और अगर कोई जबाव नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप के इन कामों से बड़ी बदनामी है। आप अपनी पार्टी में खुपिया तरीके से इसको बन्द कराने की कोशिश कीजिये। यह भ्रष्टाचार है, शुद्ध भ्रष्टाचार और कुछ नहीं।

एक सदस्य—

पहले बी0 के0 डी0 का गुणगान होना चाहिये कि छपरौली में वहां के हरिजनों पर क्या क्या अत्याचार किये गये ।

चौधरी चरण सिंह—

मेरी पार्टी में तो बहुत दोष हैं । लेकिन मेरा प्वाइन्ट तो इस वक्त यह है कि आप पावर में हैं । आप इलेक्शन में उतरें तो आपको गवर्नमेंट के साधन इस्तमाल करने का हक नहीं है । बी0 के0 डी0 , मुस्लिम मजलिस या जनसंघ, इनके दोषों से आपका दोष नहीं धुल जाता है। जिन तरीकों को आपने अख्तियार किया वह तरीके ये इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इनके हाथ में तो पावर है नहीं। लोगों को लगा होगा कि आपने कोई अक्ल की बात कही लेकिन जिन लोगों ने सुना वह जानते हैं कि ये कोई अक्ल की बात नहीं है। (हंसी) । आपको सुन कर अफसोस होना चाहिये जब मैं यह अर्ज करूं कि एटा में कांग्रेस वालो ने डाकुओं से काम लिया । जो लोग मफरूर थे वह कांग्रेस की गाड़ियों में बैठ-बैठ कर वोटर्स को टेररा इज करते थे । एक, दो डाकू नहीं, 4–5 गाड़ियों में बैठ कर वे घूमते थे और लोगों को टेररा इज किया, वोट नहीं डालने दिया बाकायदा गोली चला चला कर । कई जगह तो उन्होंने प्रेसा-इडिंग आफिसर्स को पीटा और अपने आप कब्जा कर के फर्जी वोट डाल दिये और निशान लगा दिया । यह बात उसी वक्त हमारे वर्कर्स और हमारे कैन्डीडेट्स ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर्स को नोटिस में लाये लेकिन उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी । उन्हें कोई परवाह नहीं क्योंकि वह आफिसर्स तो भेजे ही इसलिये गये थे कि एलेक्शन जिताना है । महीना भर पहले ही भेजे गये थे इसलिये ।

इसके अलावा कंट्रोल्ड आर्टिकिल्स, जैसे सीमेंट, फर्टिलाइजर, फायर आर्म्स लाइसेन्स फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किये गये कांग्रेस सपोर्टर्स को बिना यह देखे हुये कि उनकी जरूरत है या नहीं, फायर आर्म्स के वे हकदार हैं या नहीं, इसका करेक्टर कैसा है, डकैत तो नहीं है, हिस्ट्री शीटर तो नहीं है । जब कन्डीडेट का इशारा हुआ, बांटा दिये गये आंख मींच कर । ये सब चीजें कांग्रेस सपोर्टर्स को दी गयीं या कांग्रेस का सपोर्ट खरीदने के लिये दी गयीं और बी0 के0 डी0 और अपोजीशन के दूसरे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ । एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का मैं बताना चाहता हूं । बी0 के0 डी0 का एक बड़ा जबरर्दस्त वर्कर था जो फायर आर्म्स का डीलर है, बहुत पुराना लाइसेंस उसके पास है । कोई शिकायत नहीं । उसको बुला कर कह दिया गया कि अगर बी0 के0 डी0 का काम करोगे तो तुम्हारा लाइसेंस जब्त कर लिया जावेगा । उसी रोज से वह बैठ गया । कांग्रेस वोटर्स के लिये गवर्नमेंट वेहिकिल्स इस्तेमाल की गयीं । मेरे पास उन वेहिकिल्स के नाम मौजूद हैं, इलाहाबाद और बिजनौर की वेहिकिल्स के नम्बर मौजूद हैं जो वोटर्स के ट्रासपोर्ट करने के लिये इस्तेमाल की गयीं । इधर तो यह हुआ कि गवर्नमेंट की वेहिकिल्स इस्तेमाल की जाती हैं, कांग्रेस कम्पों में और उधर मुजफ्फर-नगर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने यह आर्डर दिया है कि बी0 के0 डी0 के वर्कर्स अपने ट्रैक्टर्स जिनमें ट्रालीज भी थी वह पोलिंग स्टेशन के पास नहीं ला पायेंगे और मील या दो मील दूर रहेंगे जबकि ट्राली पर उनके परिवार के लोग तो वोट करने आ ही सकते थे, लेकिन नहीं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने खुद एलान किया कि वह लोग नहीं आ सकते हैं । कांग्रेस वोटर्स को ढोने के लिये तो सरकारी गाड़ी तक का इस्तेमाल हो सकता है लेकिन बी0 के0 डी0 के वर्कर अपने घर के लोगों को भी वोट देने के लिये अपनी ट्राली पर नहीं ला सकते ।

फिर, निहायत इन्डिसेन्ट पोस्टर्स, मैंने नहीं देखे, सारे आपोजीशन लीडर्स के खिलाफ, सब के खिलाफ और मेरे ऊपर तो कांग्रेस वालों की खास मेहरबानी है ही लेकिन यह हिम्मत हममें नहीं है कि कांग्रेस कमेटी के नाम से उनको छापते । नहीं, किसी समिति का नाम रख लिया और प्रेस का नाम तक नहीं दिया गया । सभी जगह हुआ लेकिन मेरे जिले में तो खास-तौर से लगाये गये । मेरे सपोर्टर्स में से किसी ने उफ तक नहीं की, चुपके से सब कुछ बरदाश्त

कर लिया लेकिन बुलन्दशहर के हमारे वर्कर्स ने उसको देख कर और उतार कर फेंक दिया। इस पर झगड़ा होने की नौबत आयी तब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और वहां के सब इंसपेक्टर ने यह कहा कि हां यह ठीक है कि ऐसे पोस्टर्स नहीं लगाये जाने चाहिये। मेरे साथियों को जब यह मालूम हुआ कि उस इलाके में मेरे खिलाफ निहायत इंडिसेन्ट पोस्टर्स लगाये गये हैं तब उन्होंने शिकायत की तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने एलेक्शन कमिश्नर को लिखा और एलेक्शन कमिश्नर ने रिपोर्ट मांगी कि ऐसे पोस्टर्स लगाये गये क्या यह ठीक है? मैं समझता हूं कि वह रिपोर्ट गयी होगी। मुझे नहीं मालूम, सरकार उसकी जांच कराये। किसी समिति के नाम से पोस्टर्स, प्रेस का नाम नहीं, कांग्रेस कमेटी का नाम नहीं लेकिन कांग्रेस वर्कर्स ने पोस्टर्स लगाये तो मैं आपकी इजाजत से अर्ज करना चाहता हूं कि·····(क्या पोस्टर था वह तो बताइये) मैं नहीं चाहता हूं कि उस इन्डिसेन्ट बात का यहां इजहार हो।

एक सदस्य—

हमको मालूम नहीं है आप बतलाइये तो।

चौधरी चरण सिंह—

आपको अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद मालूम हो जावेगा। (बिजली फेल हो जाने पर) माइक नहीं है। माइक आ जावे तभी बोल सकता हूं।

एक सदस्य—

यह सरकार जनता को तो अंधेरे में रखती ही है, हम माननीय सदस्यों को भी अंधेरे में रखना चाहती है।

(सदन में बिजली आने पर)

एक सदस्य—

वह पोस्टर कैसा था?

(व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—

वह मेरे, गुप्ता जी और अटल जी के बारे में था। जिसमें किसी को सांप किसी को राक्षस दिखाया गया था, जिसको देख कर मुझे तो बहुत लज्जा आती है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग शान्त रहिये। खामोशी से सुनिये।

चौधरी चरण सिंह—

अधिष्ठात्री महोदया, मैं अब दूसरी बात पर आता हूं। मुजफ्फरनगर में 3–5 सौ हमारे सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया कांग्रेस मैन के जरा से इशारे पर। उन्होंने नाम मात्र की एक रिपोर्ट लिखा दी। नन्दलाल एक हमारे बी0 के0 डी0 के वर्कर हैं उनके घर के ऊपर दीवार पर किसी कांग्रेस वाले ने अपने पोस्टर लगा दिये, उन्होंने उसको मिटा दिया, उन्होंने कहा कि हमारी दीवार है, हम कांग्रेस के पोस्टर नहीं लगने देंगे, इसी पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह से एक नहीं, सकड़ों केसेज हैं। इलेक्शन के बाद उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी पार्टी के तीन-तीन आदमियों का कत्ल हुआ है। फिरोजाबाद के ही एक सामिरअली हैं, म्युनिसिपैल्टी के मेम्बर हैं, उनका कत्ल हुआ है। 3 कत्ल हुये हैं। एक श्रीपाल सिंह हैं जिनका कत्ल हुआ है। दिन दहाड़े उनका कत्ल हुआ है। यह बात 7–8 मार्च की है। एक आदमी का कत्ल मुरादाबाद में हुआ है। यह

[चौधरी चरण सिंह]

सभी बी0 के0 डी0 के सपोर्टर हैं। मथुरा में जिस तरह से जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि यह सब इलेक्शन के बाद की बातें हैं।

बस्ती में 80–90 मुल्जिमान के खिलाफ मकदमा चल रहा था। शहादत वगैरह हो चुकी थी। लेकिन कांग्रेस की सफलता के लिये यहां से हुक्म जाता है कि उनके ऊपर से मुकदमा वापस ले लिया जाय। मुकदमा वापस लिया गया। उन लोगों ने कांग्रेस के कैन्डीडेट को जिताया। गोरखपुर में जिन लोगों को सेशन जज से, हाई कोर्ट तक सजा हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट में जिनका केस पेंडिग था, उनको पैरोल पर छोड़ा जाता है। कत्ल के केसेज के मुकदमों को वापस लिया गया है। इन लोगों ने गांव में जाकर लोगों से कहा कि कांग्रेस को अगर जिताओगे तो हम छूट जायेंगे। वे छूटे, कांग्रेस को जिताया गया। तो एक तरफ तो यह होता है कि बी0 के0 डी0 के वर्कर्स की गिरफ्तारी होती है, दूसरी तरफ ऐसे संगीन मुलजिमों को छुड़ाया जाता है।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

आप क्षेत्र का नाम बता दीजिए?

चौधरी चरण सिंह—

आप नाम पूछते हैं तो सुन लीजिए। गोरखपुर जिले में फरेंदा निर्वाचन क्षेत्र है वह। यदि आप कहेंगे तो नाम भी बता दूंगा मैं, उसे फांसी की सजा हाईकोर्ट से कन्फर्म हो चुकी थी। अब आप जाइये और जाकर इसकी तहकीकात कीजिए। मैं यह आपके कांशस पर छोड़ देता हूं। यदि कोई कांशंस अब भी आपके पास बाकी रह गई हो तो।

अब रुपया तक्सीम हुआ है। एलेक्शन के दो दिन पहले सब जगह रुपये का दरिया बहाया गया है। लाखों के लाखों रुपये एक-एक निर्वाचन क्षेत्र में नकद और मैटेरियल की शक्ल में बांटे गये हैं—कम्बल और साड़ियां और हर तरह-तरह की चीजें बांटी गई हैं। ट्रक के ट्रक साड़ियों से भरे हुए आए हैं और 35 रुपये तक के जितने भी कम्बल थे वह सब खादी कमीशन और भंडार से खरीद लिए गये। यदि काई तहकीकात करना चाहे तो कर सकता है। यह कम्बल हजारों की तादाद में किसके लिए खरीदे गये? इतनी बड़ी तादाद में क्यों और किसलिए खरीदे गये? यह सब जिलों में हुआ है—किसी में कम और किसी में ज्यादा। रुपया नगद तक्सीम किया गया और रुपयों का सामान खरीद कर तक्सीम किया गया और किसी जगह दोनों चीजें हुईं, किसी जगह एक चीज हुई। इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि करोड़ों रुपये इस तरह से गरीब आदमी के वोट खरीदने के लिए तकसीम हुए हैं। मेरी बात गलत हो तो आप उसकी जांच करा लें, मैं तो तहकीकात की मांग कर ही रहा हूं। इस सिलसिले में मेरे पास एक खत भी है, जिसकी फोटो-स्टेट कापी से मैं आपको सुनाता हूं। लखनऊ डिवीजन के कांग्रेस के एक कैण्डीडेट ने लिखा था, जो अब चुन कर भी आ गये हैं। उनका नाम नारायण दत्त जी आप इस वक्त न पूछियेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी।

एक सदस्य—

हमारे नेता को ढंग से आप सम्बोधित करें, आप नेता का सम्मान नहीं करते हैं। हमारी एक सीमा है, आप को हमारे नेता को बार-बार टोकना नहीं चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

आप तशरीफ रखिए।

चौधरी चरण सिंह—

यह खत है। लेटर-हेड नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो उससे उक्त एम0 एल0 ए0 का नाम साफ हो जाएगा। यों इसमें फोन नम्बर भी है, जगह और पोस्ट का नाम भी है। तारीख है 14 फरवरी, 1974। लिखते हैं—

जनाब डाक्टर साहब, तसलीम, आप के हुक्म के मुताबिक चार हजार रुपया रवाना है। बकिया रुपया आप की इत्तला पर जल्द से जल्द रवाना कर दूंगा या खुद लेकर हाजिर हूंगा। उम्मीद है कि यह रकम आप सिर्फ उन वाटरों के दर्मियान तकसीम करेंगे जिन पर आपका पूरा भरोसा है। वैसे कल शाम को हम खुद भी कमाल साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे यकीन है कि जो दो हजार की रकम आप को दी गयी थी उसकी तकसीम सही लोगों में ही की गयी है। पैसे की कोई फिक्र नही है, वोट मिलना चाहिए।" यह लफ्ज हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं। वह लिखता है कांग्रेस का कैंडीडेट, फिर दोहराता हूं जो पहले एम0 एल0 ए0 था और फिर एम0 एल0 ए0 हो गया। वह कहता है—पैसे की कोई फिक्र नहीं है, वोट मिलना चाहिए। उर्दू में लिखा हुआ है। इसके अलावा अंग्रेजी में है। मैंने हिन्दी में कराकर यह पढ़ दिया है।

श्री तेज नारायण त्रिवेदी (जिला लखीमपुर-खीरी)—

यह जो पत्र हमारे चौधरी साहब ने पढ़ा है, यह मैं समझ रहा हूं। यह फोर्ज्ड लेटर है। आपके दल के जो थे, जो छोटे मिल मालिक हैं, उनका बनाया हुआ है। उर्दू का खत बनाया हुआ है। (व्यवधान तथा शोर) यह फोर्ज्ड लेटर है। (शोर) यह फोर्ज्ड लेटर है।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों से मेरी यह दरख्वास्त है कि आप माननीय नेता विराधी दल का भाषण सुन लें। आप को कहने का मौका मिलेगा। आप सारी बातें उस वक्त कह सकते हैं। इस वक्त सदन की कार्यवाही चलने दें। आप जब बोलें तो सारी बातों का जवाब देने का मौका मिलेगा।

चौधरी चरण सिंह—

मैं नाम नहीं पढ़ रहा था। जानबूझ कर नहीं पढ़ा। हो सकता है कि आपने जो फरमाया है कि गलत है, यह बात हो सकती है। लेकिन मुझ को एक जिम्मेदार आदमी ने दिया। फोटो स्टेट कापी है। आप यह जानें, सही या गलत। मैंने कभी देखा होगा, दूर से देख रहा हूं, आप से ही वास्ता रखता होगा। मैं आप से अर्ज करूंगा, अधिष्ठात्री महोदया, यह रुपया दो-दो करोड़ की तादाद में नहीं, करोड़ों, कई करोड़ 50–55 करोड़ की तादाद में पया इकट्ठा किया गया और आज से नहीं इकट्ठा किया गया, एक डेढ़ वर्ष से यह इकट्ठा किया गया, कि यू0 पी0 में एलेक्शन होगा। इसलिए साल डेढ़ साल से सारी पालिसी बनायी गयी कि चीफ मिनिस्टर कौन हो फलां जगह कौन गवर्नर बना कर भेजा जाय, लखनऊ में कौन गवर्नर बना कर भेजा जाय। बहुत सी बातें, बहुत सी इंटर नेशनल बातें भी गवर्न होती थीं प्रभावित हैं, उत्तर प्रदेश के एलेक्शन के कारण। साल डेढ़ साल से रुपया इकट्ठा हो रहा था हमारे अखबारों में यह न्यूज थी। बड़े बड़े अखबारों में, जो जरनलिस्ट हैं, उन लोगों ने अपनी कलम से आर्टिकिल्स लिखे और लिखा कि 20 करोड़ रुपया इंदिरा जी इकट्ठा कर रही हैं केवल यू0 पी0 के इलेक्शन के लिए। 25 अक्तूबर का स्टेट्समैन देखें। 20 करोड़ की बात जब की है। कोई तरदीद नहीं हुआ। कुछ ब्लिट्ज में भी लिखा था। मेरे एक दोस्त मुझे बता रहे थे, मैं देख नहीं पाया, छः करोड़ रुपया आपकी पब्लिसिटी में खर्च हुआ है।

[चौधरी चरण सिंह]

छः करोड़ रुपया पब्लिसिटी में खर्च हुआ। इसका मतलब यह है कि कोई गरीब पार्टी आज इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। इसके अलावा करोड़ों रुपये बट रहे हैं, वैसे कैण्डीडेट ने तो खर्चा किया ही है। कहां से यह रुपया आया। इन्डस्ट्रियलिस्ट्स से लिया, कैपीटलिस्ट्स से लिया। लेकिन वह रुपया उनकी जेब से नहीं गया, वह सारा रुपया जनता की जेब से निकलने वाला है। आपने बनस्पति वालों से लिया, चीनी की फैक्ट्री वालों से लिया, कपड़े वालों से लिया और यान बनाने वालों से लिया। तो अल्टीमेटली वह रुपया उन पर पड़ने वाला नहीं है बल्कि कई गुना जनता की जेब से निकलेगा जिससे यह इलेक्शन लड़ा गया है।

अब मुझे नहीं मालूम कि कहां तक यह बात सच है। मेरा कोई दोस्त नाराज न हो जाय लेकिन 14 मार्च का नव भारत टाइम्स पढ़ें। हिन्दी का अखबार है उसमें एक खबर यह है कि सोशलिस्ट पार्टी के लीडर मधुलिमये ने यह चार्ज लगाया है हमारी प्रधान मंत्री पर कि हिन्दुस्तान का मशहूर स्मगलर मस्तान से उनकी मुलाकात है। दुनिया जानती है कि स्मगलर है। बम्बई का रहने वाला है। महाराष्ट्र और गुजरात और सभी जगह लोग जानते हैं। यह मैं नहीं कह रहा हूं, अखबार का करेस्पान्डेन्ट नहीं कह रहा, बल्कि एक एम0 पी0 जो एक जिम्मेदार लीडर हैं मधु लिमये, उनका चार्ज है कि इन्दिरा जी ने एक करोड़ रुपया उससे इलेक्शन के लिये लिया। हो सकता है यह गलत हो, और मुझे खुशी होगी अगर यह गलत हो, लेकिन इसका खंडन इन्दिरा जी की तरफ से होना चाहिये।

अधिष्ठात्री महोदया, अब मैं बैलेट बाक्सेज के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि किस तरह से करप्शन हुआ, फेब्रीकेशन हुआ। बहुत सी जगहों पर बक्से कलेक्ट्रेट में 11 बजे पहुंचे, कहीं पर 12 बजे पहुंचे, कहीं पर 3 बजे पहुंचे और कहीं पर अगले दिन 10 बजे पहुंचे कलेक्ट्रेट में। यह फैजाबाद की बात है। मैं पूछता हूं कि कहां रह गये यह बैलेट बाक्सेज? क्यों नहीं सीधे जब गवर्नमेंट की ट्रक चली तो कलेक्ट्रेट पहुंचे? अगर इसकी तहकीकात करें तो मालूम हो जायेगा कि इस बीच में उन बैलेट बाक्सेज के साथ क्या हुआ? लेकिन यह तस्लीम तो करेंगे नहीं, लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आधी रात में बहुत सी जगह बैलेट बाक्सेज पहुंचे हैं और जब खोले गये तो उन पर सरकारी सील नहीं थी।

श्री प्रियदर्शी जेटली (जिला फैजाबाद)—

मैं चौधरी साहब से यह पूछना चाहता हूं कि किस कान्स्टीट्युएन्सी में ऐसा हुआ है . . .

श्री अधिष्ठाता—

आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात जारी रखें।

चौधरी चरण सिंह—

लगता है आप फैजाबाद के रहने वाले हैं। कहां पर अगले दिन पहुंचा, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझसे बाद में पूछ लें। अधिष्ठात्री महोदया, उन बाक्सेज पर गवर्नमेंट की सील नहीं थी और कैन्डीडेट की सील तो अधिकतर बाक्सों में थी ही नहीं। जब बक्से खोले गये तो उनमें सालिम के सालिम बैलेट पेपर्स पाये गये। एक नहीं, दो नहीं, अनेक। इसके अलावा कई-कई बैलेट पेपर्स मोड़ कर रख दिये गये जल्दी में, जब कि स्लिट इतना छोटा था कि जब तक 4 तह न की जाय बैलेट पेपर्स की, उसमें जा नहीं सकते थे, लेकिन बंडल के बंडल और बंच के बंच बैलेट पेपर्स निकले हैं इन बक्सों में से। और सभी जगहों पर निकले हैं। यह लगभग सभी जगह हुआ है। अगर यह बैलट बाक्सेज प्रिसाइडिंग आफिसर की सील और कैंडीडेट की सील के साथ अनटच्ड आ गये और काउंटिंग के वक्त खोले गये तो फिर उनमें कई-कई फोल्डेड बैलट पेपर्स कहां से आ गये? मैंने तो पढ़ा नहीं लेकिन एक बयान दिया था कि बैलट बाक्सेज का इन्वीस्टीगेशन

हुआ और बैलेट बाक्सेज बदले गये । मैंने सुना है कि हमारे जो लीगल रिमेम्बरेंसर श्री गोयल हैं और डाइरेक्टर इलेक्शंस थे उन्होंने डायरेक्टर की हैसियत से एक बयान दिया था कि बड़ा फुलप्रूफ इंतजाम है । बाक्सेज पर गवर्नमेंट की मोहर लगती है, कैंडीडेट की मोहर लगती है जब बक्सा खुलता है तो एजेन्ट वहां रहते हैं ऐसी हालत में गड़बड़ी कैसे हो सकती है । बेशक नहीं हो सकती अगर जिसके चार्ज में है वह ईमानदारी से काम करे । अगर कोई मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर किसी पब्लिक सरवेन्ट से गलत काम करने को न कहे । और अगर कहे तो वह पब्लिक सरवेन्ट समझे कि वह इस देश का नागरिक है और गलत काम करने से इंकार कर दे । अगर ऐसा हो तो मैं गोयल साहब से सहमत हूं कि फुलप्रूफ एरेन्जमेंट है । लेकिन अधिष्ठात्री महोदया, आज हमारी बदकिस्मती है कि आज मिनिस्टर से उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह ईमानदारी से काम करेंगे चाहे पार्टी का नुकसान हो या फायदा हो । जो ऐसे ईमानदार लोग बचे हुये हैं वह बहुत कम हैं । ज्यादा ऐसे हैं जिन्होंने तय कर लिया है कि हमें किसी चीज की परवाह नहीं करनी है, कानून की परवाह नहीं करनी है, अफसरान हमारे मातहत हैं, उनका ट्रांसफर करना, सजा देना और तनज्जुली करना हमारे हाथ की बात है । नतीजा यह कि बहुत से बड़े-बड़े अफसरों को मजबूर किया और उन्होंने मान लिया कि कांग्रेस को जिताना हमारा फर्ज है और उसी तरह से उन्होंने अमल किया ।

एक सदस्य—

यह झूठ है ।

चौधरी चरण सिंह—

मुझे बोलने दें । मेरी बात झूठ या गलत है तो भी मुझे कहने का हक है । आप मेरी बात सुनें । सुनने की आपकी जिम्मेदारी है । हो सकता है आपको मेरी बात गलत लगती हो लेकिन वह सही बात है । मैं आपको, आपकी गवर्नमेंट को और चीफ मिनिस्टर को चार्ज करता हूं कि अफसरों को करप्ट किया और उन्हें इंवाल्व किया कि वह इलेक्शन जितावें । अगर ऐसा न होता तो इस तरह से शालिम के शालिम और गुच्छे के गुच्छे बैलट पेपर्स बाक्सेज से न मिलते दो जगह की मिसाल देता हूं—इलाहाबाद और मेरठ । जिस वक्त बक्से खोले गये उस वक्त फोटो लिये गये । जिस वक्त बक्से खोले गये तो हमारे वर्कर्स ने फोटो ले लिये । और भी जगह फोटो लेने की कोशिश की तो बाहर निकाल दिया और अरेस्ट करने की धमकी दी । हमारे कैंडीडेट ने कहा कि इनकी गिनती नहीं होगी । यह बन्चेज के बन्चेज हैं, यह सही है या नहीं इलेक्शन कमिश्नर से पूछें । उनके आफिस का कोई आदमी आये और देखे कि यह सही है या नहीं ।

(इस समय 3 बजकर 35 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

लेकिन उनको कान पकड़कर बाहर निकाल दिया गया और धमकी दी गई कि तुम गिरफ्तार कर लिये जाओगे । मेज के चारों ओर सी0आर0पी0 के कानिस्टेबिल खड़े कर दिये गये और गिनती कर दी गई । अब मैं जानना चाहूंगा माननीय नेता सदन से और उनके डायरेक्टर, इलेक्शन्स, श्री गोयल से जो ईमानदार आफिसर हैं कि अगर ऐसा सरकार करे और आफिसर्स करें तो इम्पार्शल चुनाव होने की उम्मीद की जा सकती है लेकिन सरकार के कहने पर अगर आफिसर्स कांशस छोड़ दें तो इम्पार्शल इलेक्शन कैसे हो सकते हैं । अब मैं आपको फोटो दिखलाना चाहता हूं । एक छोटे लिफाफे में है और एक बड़े लिफाफे में है ।

मेरठ में कैलाश प्रकाश, एम0एल0सी0 का कहना है कि उनके यहां यह हुआ । उन्होंने डी0एम0 से कहा कि काउन्टिंग नहीं होगी । बड़ी मुश्किल से इलेक्शन कमिश्नर को तार दिया गया । कैलाश प्रकाश और बी0के0डी0 के कैन्डीडेट को बतलाया गया कि इलेक्शन कमीशन से आदमी आवेगा । लिहाजा काउन्टिंग रोक दी गई लेकिन अगले दिन 8,10

[चौधरी चरण सिंह]

घंटे के बाद तक कोई नहीं आया और काउन्टिग शुरू करा दी गई और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। जब लोगों ने कहा तो जवाब दिया कि इलेक्शन पेटीशन में जाइये। सहारनपुर के डी0एम0 से तो यहां तक कहा कि चौधरी चरण सिंह के पास जाओ। कुछ नहीं हुआ, बको मत काउन्टिग होगी। पुलिस खड़ी कर दी गई। जहां तक इलाहाबाद का मामला है बाबा रामाधार यादव हमारे कैन्डीडेट थे। उन्होंने एतराज किया। उनका लिया हुआ फोटो हमारे पास मौजूद है। जो देखना चाहें देख लें। उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को भी तार दिया। उनसे कहा गया कि सेक्रेट्री को भेज रहे हैं। मैं लेटर आपकी इजाजत से पढ़कर सुनाने वाला हूं। मुझे माफ करेंगे। श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी का नाम लेना पड़ेगा दिल्ली से अधिकारी आता है और मुझे बतलाया गया है कि वह राजेन्द्र कुमारी जी के घर पर तीन घंटे रहता है। उसके बाद आकर...मैं ईल्ड करने को तैयार नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष—

इनके भाषण के बाद (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) मैं आपको इजाजत दे दूंगा, आप स्पष्टीकरण कर दें।

चौधरी चरण सिंह—

वह आफिसर आपके यहां से होकर तब कलेक्टोरेट पहुंचता है। बाबा रामाधार और हमारे लोग पहले से मौजूद हैं। वह उसको बतलाते हैं कि यह मामला है। वह सुनता ही नहीं है और जवाब नहीं देता है। उसने हुक्म दिया कि काउन्टिग होगी। कलेक्टर ने जो बक्से खुले थे उनके लिये कहा कि काउन्टिग होगी और जो बन्द थे उनके लिये कहा कि काउन्टिग नहीं होगी लेकिन उनकी भी काउन्टिग बाद में करा दी गई और जब पूछा गया कि ऐसा क्यों किया गया तो कहा गया कि मैं बाहर चला गया था, आफिसर्स ने काउन्टिग करा दी, आपने क्यों नहीं रोका अब क्या किया जाय।

(व्यवधान)...

श्री अजीत सिंह (जिला मेरठ)—

यह सब झूठ है।

चौधरी चरण सिंह—

मेरी सारी बात झूठ है (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह फोटो मौजूद हैं। मेज पर वोट फैले हुये हैं। मैं इनको आपके पास भेज दूंगा। गालिबन दो सरकारी क्लर्क हैं जो गिनती के लिये बैठे हैं। आसपास अनेक आदमी खड़े हैं। दूसरा इसी प्रकार का फोटो है। बक्सा रखा हुआ है। बाबा रामधार खड़े हुये हैं। आफिशियल्स बैठे हुये हैं। उनके पीछे कुछ लोग खड़े हुये हैं। इसी प्रकार का एक और फोटो है। संगीन लिये हुये पुलिस वाले खड़े हैं। मेरठ में यह सब हुआ है।

श्री भूप सिंह कैन (जिला मेरठ)—

बिलकुल झूठे फोटो हैं। बाहर से लिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

बहुत से नये माननीय सदस्य आये हैं। वे समझते हैं जैसे सड़क पर बात होती है, खेत अथवा खलियान में बात होती है वही ढंग विधान सभा का है। मैं नये सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दो चार दिन वह देखें। आपस में चर्चा करने की कोई पद्धति नहीं है। मुझसे इजाजत लेकर मेरे द्वारा ही बातचीत हो सकती है। कहीं कोई उत्साह व जोश परिलक्षित

हो उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन उस उत्साह व जोश में थोड़ी जानकारी का भी-पुट होना चाहिये । अगर इस तरह से बातचीत होगी तो काम नहीं चलेगा । आपको नियमानुसार अवसर है और किसी बात का पूरे जोरदार ढंग से खंडन करने का आपको अवसर मिलेगा ।

श्रम मंत्री (श्री राजमंगल पांडेय)--

मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगा...

एक सदस्य--

नये सदस्यों का नाम लेकर आप उनका अपमान न करें । जो सदस्य सन् 37 से चले आ रहे हैं उनको भी हमने देख लिया कि वह क्या करते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने श्री राजमंगल पांडेय को समय दिया । आपको बीच में बोलने का हक नहीं था । आपके दल का मंत्री अगर बोल रहा हो तो परम्परा यही है कि चाहे दल का मंत्री हो, नेता सदन हो अथवा नेता विरोधी दल हो उसे बीच में किसी को टोकना नहीं चाहिये ।

एक सदस्य--

आपने जो नये सदस्यों पर दोषारोपण किया है उसे आप वापस लें ।

श्री अध्यक्ष--

मैं संकेत करता हूं कि आप भी कैसे खड़े हो गये, आपने इजाजत नहीं ली । यहां बोलने का एक ढंग है। सब लोग यदि एक साथ बोलने लगेंगे तो क्या होगा कैसे काम चलेगा ?

श्री राज मंगल पांडेय--

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद तथा मेरठ दो ही जगह टेम्पर्रिंग हुई ? जो इतने मंत्री हार गये उसके पीछे भी कोई कारण रहा होगा ? क्या उनके लिये टेम्पर्रिंग नहीं हो सकती थी ?

चौधरी चरण सिंह--

राज मंगल पांडेय जी वकालत कर रहे हैं । मैं उनके जहन का बहुत ज्यादा कद्रदान हूं । लेकिन उन्होंने मेरा पूरा कथन नहीं सुना । मैं जानता था कि आपकी तरफ से एतराज होगा कि सभी सीट्स कांग्रेस ने क्यों नहीं जीत ली । सारी जिताने की जरूरत नहीं होती है । इसके लिये 5 जवाब हैं उनको आप पहले सुन लें तब आप जवाब दीजियेगा ।

बीच में कहने की जरूरत नहीं है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यदि हर कांस्टीटुयेंन्सी में नहीं तो लगभग 150 कांस्टीटुयेन्सीज में ऐसा हुआ है। कांग्रेस कंडीडेट्स न पोलिंग स्टेशन चुने क्योंकि वे समझते थे कि वहां पर बहुत ज्यादा वोट पड़ने वाले हैं इसलिये उसी हिसाब से बैलेट पेपर्स तैयार किये गये । आफीसर्स से कहा गया और डुप्लीकेट कराये गये बैलेट बाक्सेज मिलने तो बड़े आसान थे । उसी ठेकेदार से गवर्नमेंट की तरफ बैलेट बाक्सेज भी तैयार कराये गये और उन जगहों पर भेज दिये गये । वह कोई मुश्किल काम नहीं था। बलट पेपर्स छपवाये गये । उस पोलिंग स्टेशन से मालूम हो जाता है कि कितनी वोट किस बक्से म कितनी सिरीज में पड़े हैं दोनों ही को गिनवाकर आपने उसे बन्द करवा दिया। यह हमें तजुर्बेकार लोगों ने बताया । जो जन्युइन बक्से थे वे बदल दिये गये । बैलेट पेपर्स और बलेट बाक्सेज उनकी जगह रिप्लेस कर दिये गये । बहुत सी बातें तो जबानी ही कहूंगा । इसीलिये मैं कह रहा हूं कि मेरा और आपका कोई फैसला हो जाय इसके लिये मने कमीशन बिठाने की डिमान्ड की है । जब दो पार्टीज में डिफरेन्स होता है तो उस वक्त तीसरी पार्टी की जरूरत पड़ती है । मैं यह नहीं कहता कि जो मैं कह रहा हूं वह सेन्ट पर सेन्ट सही है किन्तु फिर भी दावे के साथ

[चौधरी चरण सिंह]

कहता हूं कि 95 परसेन्ट मेरी बात सही हैं। वैसे तो सारी मशीनरी आपके कब्जे में है आप जैसा चाहें कर सकते हैं और इसीलिये कमीशन की बात करता हूं कि उसे अप्वाइन्ट किया जाय।

कहते हैं जादू हो गया। कोई जादू नहीं हुआ। जादू जब माना जाता जब कि मिनिस्टर्स और कांग्रेस कन्डीडेट्स की तरफ से नाजायज तरीके न अपनाय जाते। किन्तु ऐसा नहीं हुआ इस समय यह पहली बार फेब्रिटेशन और फाल्सिफिकेशन हुआ है। ऐसा पहल कभी नहीं हुआ था। ऐसा भी हुआ है कि कांग्रेस कन्डीडेट जाता है धन्यवाद देने के लिये किन्तु वोटर कहता है कि आप जीत कैसे गये, आपको तो हमने वोट ही नहीं दिया। जितन वोट पड़े हैं उसका हिसाब मौजूद है। यह भी हुआ है कि जितने वोट पड़े हैं उससे ज्यादा वोट निकले हैं। जल्दी में गिन नहीं सके और पूरे का पूरा बन्डल रख दिया गया। इतने वोट फालतू कैसे हो गये। 70–70 हजार वोट फालतू निकले जो फिजीकल इम्पासीबिल था। तो इस तरह से टेम्परिंग हुई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। इस मामले में बड़े-बड़े लोग इन्वाल्व्ड हैं। जब हमारी प्रधान मंत्री यहां आई थीं उनकी एक जगह चाय होती है। उसमें कौन-कौन आदमी शमिल हुये थे–डिस्ट्रिक्ट मैजिट्रेट भी शामिल थे। उनको बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि फलां-फलां हमारे विशेष कन्डीडेट्स हैं, जोशी जी, हम चाहते हैं कि ये जरूर जीत जायं। यह मझे हमारे एक जिम्मेदार वर्कर ने लिखकर दिया।

अध्यक्ष महोदय, अब आप देखें कि यहां से 8 जो कंडिडेट्स खड़े थे उन आठों को जिताते हैं और वे कैंडिडेट जिनके बारे में सारे लखनऊ के लोग कहते थे कि श्री बंशगोपाल शुक्ल और श्री सच्चिदानन्द गुप्त जीत रहे हैं वे भी 10 और 12 हजार वोटों से हार गये। सारे लखनऊ शहर के छोटे और बड़े लोग, दूकानदार, और गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स, नान आफिशियल्स सब यही पूछते थे कि यह जादू कैसे हो गया। और वह आफिसर तरक्की देकर दिल्ली भेज दिया गया। जहां तक काउन्टिंग की बात है, काउन्टिंग किस प्रकार हुई? उदाहरण के लिये रायबरेली का केस अगर विश्व प्रसिद्ध नहीं तो भारत प्रसिद्ध अवश्य हो चुका है। और उससे जो कांग्रेस लीडरशिप की नीयत है वह भी इस तरह से आया है, जाहिर है कि जिस तरह से हम लोग बैठे हुये हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। श्री उमाशंकर यादव जो हमारे बी0के0डी0 का कैंडिडेट है–26 को वहां पोलिंग होती है। मैं 24 को मीटिंग में वहां जाता हूं तो लोगों ने मझे बतलाया कि प्राइम मिनिस्टर जो शायद तीन दिन पहले यानी 21 को वहां गयी थीं, पब्लिक मीटिंग में यह कहा कि एक अहीर खड़ा हुआ है, उसको हराना जरूरी है। हजारों आदमी उस मीटिंग में मौजूद, वकील साहबान मौजूद सभी ने यह बतलाया। (झूठ-झूठ की आवाजें) सारे झूठ बोल रहे हैं, बस आप ही सच हैं तो बाद में जवाब दे दीजियेगा। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं बल्कि अफवाहें रहीं और प्रेस वालों ने कहा, अखबारों में यह बात आयी कि दूसरी जगहों पर भी बिरादरी का नाम लिया गया है मैं पूछता हूं कि प्राइम मिनिस्टर के लिये यह शोभा की बात है कि बिरादरी के नाम पर कन्वेसिंग की जाय? अगर मेरे दोस्तों को यह मंजूर है तो ठीक है। (व्यवधान) मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने साथियों को रोकें। यह क्या बात हुई कि आप सच नहीं बोल रहे हैं गलत कहते हैं। जो बात मैं कह रहा हूं उसका आप जवाब दीजियेगा। बार असोसिएशन ने कहा है, अखबार वालों ने कहा है, और यह केवल रायबरेली की बात नहीं है, बल्कि गाजियाबाद, मेरठ और मथरा में भी बिरादरी का नाम लिया गया। मैं केवल यह बात आपके जरिये से अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इस तरह से बिरादरी के नाम पर किसी को कंडम करना कहां तक मुनासिब है ...

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं माननीय नेता विरोधी दल से आग्रह करूंगा कि क्या वे कोट करके बतला सकेंगे कि प्राइम मिस्टिर ने क्या क्या कहा ताकि उसकी तरदीद की जा सके? क्या कहा उन्होंने ठीक-ठीक?

चौधरी चरण सिंह—

हो सकता है कि मेरे कहने में एकाध शब्द का कुछ फर्क पड़ जाय। (व्यवधान) या यह क्या बात हुई, आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं और शोर मचाने लगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 15 दिन पहले सुनी हुई बात मैं पूरी तरह से याद रख सकूं। अगर मैं कह देता कि हां, बिलकुल ऐसा ही कहा था तब क्या होता? एक्जेक्टली जिन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है वह अखबारों में छपा है, वे अखबार या उसके का रेस्पांडेंट बी0 के0 डी0 के तो नहीं हैं? अखबार के पढ़ने से मालूम हो जायगा कि गाजियाबाद, मेरठ और मथुरा में भी बिरादरी की बात कही गयी।

श्री उमाशंकर यादव की रिकाउंटिंग होती है, 146 वोट से वह जीतता है लेकिन कांग्रेस मैन की तरफ से रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दे दी गयी रिकाउंटिंग होती है। इसका अर्थ यह होता है कि कोई अर्थमेटिकल एरर हो तो उसको ठीक कर दिया जाय। लेकिन यहां वैलिड वोटों को इनवैलिड करार दिया जाता है। यह खिलाफ कानून किया गया क्योंकि काउंटिंग होने के बाद वैलिड वोटों को इनवैलिड करार नहीं दिया जा सकता। फिर भी हमारा कैंडीडेट जीत जाता है। फिर रिकाउंटिंग की दूसरी एप्लीकेशन पड़ती है। फिर भी हमारा कैंडीडेट जीतता है। फिर 22/24 वोटों को इनवैलिड करार दे दिया गया। कानून में दो बार से ज्यादा रिकाउंटिंग नहीं हो सकती है। लेकिन तीसरी बार रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन दे दी गई। वैलिड वोटों को बराबर इनवैलिड करते चले गये। मुझसे कहा गया कि इंगलैण्ड में 6/6 बार रिकाउंटिंग होती है। वहां होता होगा लेकिन हमारे यहां दो बार से ज्यादा रिकाउंटिंग नहीं हो सकता है। मुझे बाद में मालूम हुआ कि हमारे यहां एक रूल है कि दो बार से ज्यादा रिकाउंटिंग नहीं हो सकता है। लेकिन तीसरी बार रिकाउंटिंग क्यों कराई गई? 34 वैलिड वोटों को इनवैलिड करार दे दिया गया। इस तरह से वह उम्मीदवार हार गया। (व्यवधान) मेरे दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं न बोलूं तो मैं बैठ जाऊंगा। दिल्ली से रायबरेली फोन आया या नहीं? यदि आया तो किस मंशा से आया और आफिसर के पास क्यों आया? ऐसा मैंने सुना है कि दिल्ली से फोन आया। फोन की मान लीजिये गलत है तो सवाल यह है कि यह बात अखबार में छपी है (व्यवधान)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बी0 के0 डी0 की तरफ से ही दो बार काउंटिंग की मांग यों की गई? (व्यवधान)

चौधरी चरण सिंह—

मैं रिकाउंटिंग की बात कह रहा हूं। अखबारों में यह बात छपी है। अगर वे इन्टरेस्टेड थीं तो क्यों नहीं उन्होंने आफिसर से कहा कि दो बार रिकाउंटिंग हो चुकी है, तीसरी बार क्यों करा रहे हो? इससे मेरी बदनामी होगी। क्या हर्ज है यदि बी0 के0डी0 के उम्मीदवार को डिक्लेअर कर दिया जाय। दो बार रिकाउंटिंग करने पर यदि नहीं हारा तो तीसरी बार हार रहा है तो यह ठीक नहीं होगा। अफसरान इस हद तक डिमारलाइज हो चुके हैं।

आखिर में जब वे बी0 के0 डी0 के कैंडीडेट को हरा देते हैं तभी उनको चैन पड़ता है। वहां दो दिन तक हड़ताल होती है और लोगों के ऊपर लाठी चार्ज होता है। लोगों के जख्म हो जाते हैं और हमारे साथी यहां से वहां जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लोग कहते हैं कि इस तीसरी रिकाउंटिंग का अर्थ क्या है लेकिन वह परवाह नहीं करते हैं। दूसरी तरफ क्या होता है। हिसाब लगाया कि फलां कैंडीडेट जीत गया। उस समय हमारा उम्मीदवार दरख्वास्त देता है और उस पर आर्डर मौजूद हैं और रिकाउंटिंग रिफ्यूज कर दिया जाता है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

सर्वश्री चन्दन सिंह, देव कुमार यादव, जगदीश नारायण त्रिपाठी, चन्द्रभान आजाद, राम चन्द्र बख्श सिंह, और लक्ष्मी नारायण पांडेय—प्रदेश में भयानक पाला पड़ जाने से रबी की फसल की क्षति— यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

सर्वश्री राम प्रकाश त्रिपाठी, राम लाल अहिरवार—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् इलाहाबाद की हाई स्कूल तथा इन्टरमीडियेट की परीक्षा में नामावली संख्या सूचक (रोल नं0 लिस्ट) का केन्द्रों पर न पहुंचना—केवल वक्तव्य के लिये स्वीकृत हुआ।

सर्वश्री जनार्दन प्रसाद ओझा और हरिकेवल प्रसाद—प्रदेश में चेचक का प्रकोप—यह शासन की कार्यवाही के लिये प्रेषित किया गया।

श्री काशीनाथ मिश्र ने उत्तर प्रदेश तथा बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र (कारीडर एरिया) में खाद्यान्नों का अभाव एवं यथाकथित रिश्वतखोरी के सम्बन्ध में दिया है जो केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया गया है।

लखनऊ में शिया सुन्नी दंगों के सम्बन्ध में चौधरी रामपाल सिंह यादव, श्री हरिकेवल प्रसाद, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है। इसमें माननीय असरार अहमद, श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी तथा कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा आदि का भी नाम जोड़ दिया जायगा। जिनकी इसी विषय पर कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अस्वीकृत किया गया था।

शेष स्वीकार नहीं किये गये हैं।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

बिजली के बारे में मैंने दिया था।

श्री अध्यक्ष—

आपका नहीं है।

विधान सभा सदस्य, श्री शतरुद्ध प्रकाश की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अभी एस0 एम0 अब्बास, मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, लखनऊ ने सूचना दी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल पावर्स (अधिनियम) की धारा 6 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों के प्रयोग में मैंने यह निदेश देना अपना कर्तव्य समझा है कि विधान सभा के सदस्य श्री शतरुद्ध प्रकाश, वाराणसी को उपरिलिखित धाराओं के अधीन करने (यथास्थिति बन्दीकरण या निरोध के कारण) के लिये बन्दी कर लिया गया है।

श्री गोविन्द सिंह (टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय, नियम 52 के अन्तर्गत....(व्यवधान)

श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

(व्यवधान के मध्य) मुझसे बहुत से विद्यार्थियों ने बताया कि उनके साथ डिप्टी एस0 पी0 ने अमानुषिक ढंग से वर्ताव किया....

श्री अध्यक्ष—

यह आपकी सूचना नहीं है। यह तो मैजिस्ट्रेट के द्वारा जो सूचना आई है, वह है।

श्री गोविन्द सिंह—

मान्यवर, नियम 52 की सूचना का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष—

नियम 52 की सूचना के बारे में मैं कल बतलाऊंगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

अब आप चाहते हैं कि व्यवस्था का जो प्रश्न उठा था कि "जो विधान सभा के लिये सदस्य निर्वाचित हुआ हूं ईश्वर की शपथ लेता हूं और सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा" ...(व्यवधान) राज्य एक सर्वोच्च सत्ता है और एक स्थायी स्वत्वा हमारे और आपके बीच हित का शासम स्वरूप है। लेकिन शासन में परिवर्तन होना यह लोकतंत्र की पद्धति के अनुरूप ही है। यह जो शपथ की बात कही गई इसमें इस शपथ में ऐसा नहीं है कि यह वाक्य ऐसा लगे कि संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा भंग होती है या प्रभुता या अखंडता भंग होती है और इस सदन में और लोक सभा में ऐसे दलों के प्रतिनिधि हैं जिनका विश्वास अहिंसा में नहीं है और वह भी बठते हैं और वह भी अपनी बातें कहते हैं। तो जो यह वाक्य है यह तो एक कहने का ढंग हो सकता है। अतएव इसमें जनता का किसी प्रकार से आघात नहीं होता है। इसमें यह नही लिखा है कि हम हिंसात्मक तरीके से सरकार को उखाड़ते हैं। इसलिये जो संशोधन है इसको मैं नियमित घोषित करता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, आपने यह आज्ञा दी थी कि शायद इस पर कलिंग देने के पहले कुछ सुनना चाहेंगे?

श्री अध्यक्ष—

इस पर मैंने देख लिया है और जो आपके प्वाइन्ट्स थे उनको मैंने अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। हिंसात्मक तरीके से यदि कुछ लोग सरकार में विश्वास रखते हैं तो उनका यह कहना है कि शासन के पास उनसे सुपीरियर हिंसा है। अहिंसा के बावजूद सरकार को सेना या पुलिस रखनी पड़ती है और अगर कोई हिंसा करता है तो जो दंडनीय व्यवस्था है उसका वह भागी बनेगा। लेकिन अगर कोई अपनी कार्यवाहियों को व्यवस्थित करेगा अहिंसा के आधार पर तो हम आगे के लिये यह फैसला नहीं कर सकते हैं कि उसकी परिणति हमेंशा अहिंसात्मक आन्दोलन के तरीके में हुयी है। गांधी जी का आन्दोलन भी ऐसा चला इसका अर्थ यह नहीं कि गांधी जी अहिंसा से अलग थे। ऐसी परिस्थिति में अगर आप को ऐसा ही लगा और यह कहा कि हम हिंसा में विश्वास करते हैं तो उसमें अहिंसा की जीत होने की परम्परा का तकाजा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, यह इतने महत्व की कलिंग है कि मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसको रिवाइज कर दें?

श्री अध्यक्ष—

मेरी व्यवस्था अंतिम है और इस के बारे में शत प्रतिशत आश्वस्त हूं। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं लिखी है जिसका अर्थ संविधान के मुताबिक न हो। आप और हमनें अहिंसा और सत्याग्रह की गांधी जी की व्यवस्था मानी थी। उसी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लोकतंत्र और समाजवाद के आयाम के साथ गांधी जी के नाम को जोड़ने की आवश्यकता है।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, यह मामला तो मैंने रायबरेली की रिकाउन्टिग के बारे में बताया। एक ओर तो हालत यह है कि वैलिड वोट्स को इन्वैलिड करार दिया और 2 के बजाय 3 बार काउंटिंग हुआ। अब कानपुर के सरसौल कान्स्टीट्युएन्सी, एक हमीरपुर की, मेरे मित्र सामने बैठे हैं और एक मुजफ्फरनगर के बारे में मुझे बताया गया कि जब बी0के0डी0 के कैन्डिडेट ने रिकाउंटिंग का प्रार्थना-पत्र दिया तो राइट अवे रिजैक्ट कर दिया गया। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक एप्लीकेशन मौजूद है, जिसको हमारे कैन्डीडेट ने दी। चौधरी राम गोपाल सिंह, हमारे प्रेसिडेन्ट हैं जिले के, वे कहते हैं :—

सेवा में रिटर्निग आफिसर—293,

सरसौल कानपुर,

"निवेदन है कि उपरोक्त निर्वाचन क्षेत्र की मत गणना तथा बैलट पेपर एकाउन्ट सही नहीं हुआ और प्रार्थी के सही मत पत्रों को गलत ढंग से खारिज कर दिया गया तथा चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ है। डिक्लेरेशन अभी नहीं हुआ है। अतः निवेदन है कि सम्पूर्ण मत पत्रों की पुनः गणना की जावे तथा परिणाम की घोषणा न की जाय। आर्डर में यह कहा गया कि :

"I have heard the applicant. Counting and rechecking was allowed and done as and when requested. No *prima facie* is made out. Rejected."

तो हमने जो रिकाउंटिंग के लिये कहा तो इसके लिये कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसका हक था और मार्जिन बहुत कम केवल 17 वोटों का था। और रिकाउंटिंग का उसको राइट था और दो बार राइट था, बट इट वाज रिफ्यूज्ड। ऐसा अनेक जगह हुआ और इसके बाद भी अपनी तादाद के बल पर, अपने शोर मचाने के बल पर अगर मेरे दोस्त कहना चाहेंगे कि नहीं, बड़े इम्पार्शल और फेयर इलेक्शंस हुये हैं तो उसका जवाब किसी के पास है नहीं।

अब जैसा कि कहा जाता है और हमारे मित्र राजमंगल पांडेय कहते हैं कि सब क्यों नहीं जीते कांग्रेस वाले ? तो अगर सब जीत जाते तो फिर कोई सवाल ही नहीं था। हम चाहते थे कि अब सब जीत जाते ताकि मालूम हो जाता कि आपने सभी जगह रिंगिग की है, सभी जगह बक्से बदले हैं। लेकिन सब जगह रिंगिग करना मुमकिन ही नहीं था और न सब जगह बक्से बदले जा सकते थे। लिहाजा जितना आपको मेजारिटी के लिये जरूरी था उतने बदले गये, रिंगिग की गयी। आपके पास रिपोर्ट्स थीं, आपकी सीक्रेट पुलिस, यहां की और देहली की, उसकी रिपोर्ट्स थीं कि आपकी मेजारिटी नहीं आयेगी। हमने तो यह सुना है कि आपको अपने अन्दर की रिपोर्ट्स से, सी0बी0आई0 की रिपोर्ट्स से मालूम था कि 115 और 125 से ज्यादा सीट्स कांग्रेस की आने वाली नहीं हैं। हो सकता है कि यह गलत हो। अब फिजूल कहने से क्या फायदा है। मैं चैलेंज करता हूं कि होम मिनिस्टर से पूछिये जाकर क्या रिपोर्ट है। अनेक रिपोर्ट्स है कि "कांग्रेस इज लूजिंग इलेक्शंस"। यह सचिव की रिपोर्ट है। तब हाइयेस्ट लेविल पर यह तय होता है कि इलेक्शन जीतना है—हर प्रकार से जीतना है और इलेक्शन जीता गया। सवाल यह है कि सब जगह क्यों नहीं जीती गयीं तो उसका जवाब दे चुका। तीन-चार जवाब हैं। एक तो यह कि अगर सारी सीट्स जीती जातीं तो एक बच्चे को, सारी जनता को, मेन्स को भी मालूम

होता कि बेईमानी हुई। फिर कुछ तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स ऐसे हैं जो आपके इशारे पर काम करने को तैयार नहीं थे। नहीं थे बेईमानी करने को तैयार। उनका आप कुछ नहीं कर सकते, सिवाय ट्रांस्फर करने के। लेकिन ट्रांस्फर भी 54 जिलों का कैसे हो? कुछ हद तक ही किया जा सकता था। कुछ तो इस वजह से बच गये अपोजीशन के लोग। दूसरे ऐसे हैं कुछ केसेज कि जो आप की रिपोर्ट्स के मुताबिक–अगर आप यह विश्वास करते हैं कि इंदिरा जी पी0 सी0 सी0 की रिपोर्ट्स पर विश्वास करती हैं तो यह खाम-खयाली है। वह अपनी सीक्रेट पुलिस पर ज्यादा विश्वास करती हैं। यह आपका पार्लियामेंटरी बोर्ड और आपके जो प्रेसीडेंट हैं पी0 सी0 सी0 के या सेक्रेटरी क्या कहते हैं इस पर नहीं। तो उनकी अपनी सीक्रेट रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ सीटें ऐसी थीं कि जिनको यह समझा जाता था कि ये मजबूत हैं, अपोजीशन यहां कमजोर है यहां कांग्रेस जीत जायेगी, यहां बेईमानी या रिंगिग करने की जरूरत नहीं है लेकिन वहां भी नतीजा उलटा हुआ जिससे अपोजीशन जीत गया वहां। दूसरे, ऐसी कांस्टीट्युएंसीज हैं क्योंकि आपके यहां फैक्सनलिज्म की कोई कमी नहीं है, बड़े से बड़े लोग एक दूसरे को हराने की फिक्र में हैं। तो जहां ऐसे कंडीडेट्स थे कुछ लोगों के पसन्द किये हुये या उन ग्रुप के जिन में कांग्रेस इंटरेस्टेड नहीं थी कि उनकी जीत हो जाय, हार जायं तो अच्छा है, पाप कटे तो वहां भी वह हारे और अपोजीशन जीत गया। कुछ ऐसे जीत गया खुशकिस्मती से। कुछ केसेज ऐसे हैं कि मार्जिन बहुत वाइड था– कहां तक बदला जाये? 10 हजार, 12 हजार, 15 हजार, कितना बदला जाय। हमारा कैंडीडेट जीतता 19 हजार से तो वह 7 से ही जीत गया। पर जहां मार्जिन जीतने का कम था, मान लो 9 हजार है तो 1 हजार से हार गया। 7 हजार का मार्जिन है तो 3 हजार से हार गया और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन यह कोई आपकी दलील माने नहीं रखती कि अगर बेईमानी हुई है हमारी तरफ से तो सब में क्यों नहीं हुई? यह दलील नहीं है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरे म भी हुई है, लेकिन मार्जिन बहुत वाइड था। अब जाकर कोशिश कर लो, कुछ नहीं होना है। अखबार में आपने पढ़ लिया कि वहां बड़ा जुल्म होता है। अब की दफा तो पूरी फौज लगा दी थी। इलेक्शन कमिश्नर पोलिंग के रोज वहां खुद मौजूद थे। तीन शिकायतें वहां की गयीं। इलेक्शन कमिश्नर ने खुद इन्क्वायरी करने के बाद कहा कि ये तीनों शिकायतें गलत हैं। पंजाब, हरियाणा और यू0 पी0 की सारी पुलिस वहां लगा दी गयी थी और आपके बड़े से बड़े लीडर वहां गये। मैं केवल एक दिन मीटिंग में गया था और 25 तारीख को जबकि मीटिंग नहीं हो सकती थी तब मैं गया था। आपने पूरा जोर लगा दिया। आप जो अखबारों में पढ़ते हो कि वहां बड़ी ज्यादती होती है, अध्यक्ष महोदय, यह एक बड़ा प्रचार हो रहा है कि मैं अपनी कास्टीटुएंसी में हरिजनों के साथ बहुत अन्याय कराता हूं इस वजह से जीत जाता हूं। यह अन्याय मैंने कराया आपका खयाल यह है कि जब मैंने कांग्रेस छोड़ दी तब से लेकिन जब मैं कांग्रेस में था तब 52 हजार के मार्जिन से जीता था 67 में। और मैं बीमार था, मैं यहां से गया भी नहीं तब। (व्यवधान) (एक सदस्य---कितनी देर तक बोलियेगा) मुझको अधिकार है बोलने का, कोई बन्दिश नहीं है नियमों में। आप सुनने से क्यों बचना चाहते हैं?

मैंने पिछली बार असेम्बली में बहुगुणा जी के सामने असेम्बली हुई नहीं–त्रिपाठी जी के सामने दो बार मैंने चेलेन्ज किया और कहा कि कांग्रेस के दो हरिजन एम0 एल0 एज0 को भेज दीजिये, बनारस, प्रतापगढ़ और बांदा में जहां कांग्रेस के लीडर्स हैं और कांग्रेस के मिनिस्टर्स हैं, वहां हरिजनों के साथ हाई कास्ट के हिन्दू कैसा बरताव करते हैं और मेरठ के जिले में या मेरी कांस्टीटुएन्सी में भेज दीजिये कि वहां हरिजनों के साथ कैसा बरताव होता है और जो उनकी रिपोर्ट होगी वह मैं मान लूंगा। अखबार, पोलिटिकल पावर सब आपके पास, जो आपके जी में आये मेरे खिलाफ प्रचार कीजिये। अबकी बार जब डिलिमिटेशन के कागजात मेरे पास आये तो कुल तहसील बागपत में दस, साढ़े दस परसेंट से ज्यादा हरिजन भाई नहीं हैं। हरिजन भाइयों की बाबत कहा जा सकता है कि एक खास बिरादरी है वह खिलाफ होगी, सब तो खिलाफ भी नहीं हैं लेकिन मान लीजिये कि सब खिलाफ हैं तब भी क्या फर्क पड़ता है। सारी यू0 पी0 का जो परसेंटेज है उसमें सब से ज्यादा मेरठ का है और मेरठ में भी सब से ज्यादा है मेरी कांस्टीटुएंसी का

[चौधरी चरण सिंह]

वोट डालने का। फिर भी प्रचार यह किया जाता है कि वहां वोट नहीं डालने दिया जाता। एक साहब वहां से खड़े हो कर कह रहे थे कि चौधरी साहब, क्या आपके यहां कोई गलती नहीं हुई ? मैं कोई बेईमानी नहीं कराता। कांग्रेस लीडर के इशारे पर एक कन्डीडेट हराया जाता है। यह एक ऐसा स्केन्डल है जो दुनियां में कहीं नहीं पाया जाता। फिर भी आप यह कहते हैं कि आपकी कोई गलती नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत समय लिया, मैं केवल दो बातें कहकर खत्म कर देना चाहता हूं। एक एलेक्शन एक पोलिटिकल पार्टी या दूसरी पोलिटिकल पार्टी के माबैन नहीं हुआ। यह एलेक्शन गवर्नमेन्ट और अपोजीशन के माबैन हुआ। गवर्नमेन्ट ने अपने सारे रिसोर्सेज यूज करके एलेक्शन लड़ा और दूसरी ओर पोलिटिकल पार्टीज अपने साधनहीन ढंग पर लड़ रही हैं। किसी के पास कुछ साधन थे किसी के पास बिलकुल नहीं थे, किसी के पास कुछ कम थे, किसी के पास कुछ ज्यादा साधन थे। कांग्रेस ने अब ऐसा कर दिया है कि पार्टी और गवर्नमेन्ट के बीच का जूरिस्डिक्शन अब वाइप आउट हो गया है। पार्टी का नाम गवर्नमेन्ट से जोड़ दिया जाता है, गवर्नमेन्ट के साधन पार्टी के काम आते हैं। फाउन्डेशन का शिलान्यास बजाहिरा प्राइम मिनिस्टर होने के नाते किया गया लेकिन उनमें भाषण क्या हुए, कि कांग्रेस को राय दी ताकि स्टेबिल गवर्नमेन्ट बन सके। आप प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से एक प्रोजेक्शन का उद्घाटन नवम्बर के महीने में करने गयीं और आपन अपनी स्पीच म कहा कि इस तरह से वोट दो ताकि स्टेबिल गवर्नमेन्ट बन सके। जब आप कांग्रेस लीडर की हैसियत से आती हैं तो भी अगरचे हेलीकाप्टर पर सवार हो कर आती हैं तो कहती हैं कि गवर्नमेन्ट इस तरह की चुननी चाहिये ताकि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से कोआपरेशन हो सके। क्या हुआ फैडरल कांस्टीट्यूशन का मतलब कि सेन्ट्रल में जो रूलिंग पार्टी होगी क्या वही पार्टी स्टेट में रूल करेगी तभी सेन्टर का कोआपरेशन मिलेगा और दूसरी पार्टी हुकूमत बनायेगी तो नहीं मिलेगा। एक ओर तो इस तरह से प्राइम मिनिस्टर धमकी देती हैं कि अगर कांग्रेस को गवर्नमेन्ट नहीं बनाओगे तो सेन्टर का कोआपरेशन नहीं मिलेगा और यू० पी० का डेवलपमेन्ट नहीं होगा। यानी पार्टी और स्टेट को ईक्वेट कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में कुछ तथ्यों का जिक्र तो मैं कर चुका हूं लेकिन फिर दोहराना चाहता हूं कि किन बातों से साबित होता है डिक्टेटरशिप का सूरज धीरे-धीरे आसमान पर चढ़ता आ रहा है। डिक्टेटरशिप का और कौन सबूत हो सकता है। गवर्नमेन्ट के जिम्मेदार अफसरों का खुलकर सरकारी पार्टी का काम करना है, एलेक्शन के बीच में सरकारी अधिकारियों का अपने मतलब के लिये ट्रांस्फर्स, गवर्नमेन्ट फैसिलिटीज का इस्तेमाल सरकारी पार्टी के लिये करना। फिर इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट के पोस्टर्स की बात है। मैंने उनको देखा नहीं है अगर मेरी गलती होगी तो मैं अपनी बात को वापस ले लूंगा लेकिन एलेक्शन के समय इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट से पोस्टर्स निकाले गये कांग्रेस की तरफ से कि कांग्रेस को मुबारकवाद देते हुए, एलेक्शन से इन्फार्मेशन डिपार्टमेन्ट से क्या वास्ता लेकिन निकाला इसी गवर्नमेन्ट ने।

फिर अध्यक्ष महोदय, प्रेसीडेन्ट, गवर्नर, एलेक्शन कमिश्नर, एटार्नी जनरल, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वाइस चांसलर वगैरह ऐसे पद हैं जो किसी डिमोक्रेटिक कन्ट्री में पावर के मातहत नहीं होते हैं। कांस्टीट्यूशन में पावर बहुत से हिस्सों में तकसीम कर दी जाती है और जितने ज्यादा सेक्टरों में पावर फैली होगी उतना ही डेमोक्रेसी सफल होगी लेकिन प्रेसीडेन्ट वह करेंगे जो किसी स्टेट गवर्नमेन्ट के मुताल्लिक डिस्सायलूशन या सस्पेंशन करने के बारे में सेन्ट्रल कैबिनेट उनसे करने को कहेगा। कैसे हैं फ्री गवर्नर। एक ही गवर्नर एक ही किस्म की बात पर एक फैसला लिखेगा और दूसरे वक्त पर दूसरा फैसला लिखेगा। चीफ जस्टिस के एप्वाइन्टमेन्ट में हुआ, सारे भारत को सारे विश्व को वह पता है। सरकार के

खिलाफ इलेक्शन के मामले में फैसला दे दिया, मिस्टर हेगडे जो सबसे ज्यादा काबिल और सबसे सीनियर था बस कर दिया उसका ओवरलुक। वाइस-चांसलर ने अगर किसी लड़के का कहीं रेस्टीकेशन कर दिया या उसको एक्सपेल कर दिया और अगर वह लड़का कांग्रेसी था तो उस वाइस-चांसलर से कहा जायगा कि उस आर्डर को कैंसिल करो। लेकिन वह अगर यह कह देगा कि इसने प्रोफेसर के साथ बद्तमीजी की है तो उसको कहा जाता है उसकी हमदर्दी जनसंघ के साथ है। वाइस-चांसलर को कोई अधिकार ही नहीं रह गया कि वह अपनी मरजी के मुताबिक डिसिप्लिन कायम रख सके। प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जब इन्टरवीन करेंगे तो क्या नतीजा होगा।

मैं इलेक्शन कमीशन की बात पर आता हूं। डेमोक्रेसी के लिये यह आवश्यक है कि फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन हो और यह तभी संभव हो सकता है जब कि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र संस्था हो। उसको पूर्ण रूप से इन्डिपेन्डेन्ट होना चाहिये। गवर्नमेन्ट से उसका कोई वास्ता नहीं होना चाहिये। मुझे नहीं मालूम कि हमारा संविधान क्या कहता है, मगर उसको स्वतंत्र होना चाहिये। कल जो कैबिनेट का सेक्रेटरी था, आज वह इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। कल को वह कहीं का गवर्नर बनाया जा सकता है, इम्बेसेडर बनाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद में वे आते हैं। कांग्रेस कैंडीडेट के यहां जाते हैं। री-काउंटिंग के लिये आदेश देते हैं। बयान निकलता है कि मेरठ में 32 गांव में अन्याय हुआ है, बनारस और प्रतापगढ़ में क्या-क्या अत्याचार हुआ है, उसको वह नहीं देखते। किसी भी अखबार ने मेरे क्षेत्र में अन्याय के बारे में लिखा हो तो बताएं। फिर यहां का जो इलेक्शन डायरेक्टोरेट है उसको भी एल0 आर0 के जिम्मे कर रखा है। एल0 आर0 एक एलेक्शन के बाद ही हाई कोर्ट का जज हो जाता है। तो मनुष्य तो मनुष्य ही है, जब यह सब होगा तो वह ईमानदारी से काम कैसे करेगा ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

इलेक्शन कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं, इलाहाबाद, वे मेरे घर नहीं आए। आप इलेक्शन कमीशन से कन्फर्म कर सकते हैं। अगर यह बात उनकी गलत हो तो आपको सदन में मुझसे माफी मांगना चाहिये।

चौधरी चरण सिंह—

मेरे पास राघव दास जी का जो पत्र आया है उसकी बेसिस पर मैंने यह बात कही है। मैं उस पत्र को पढ़े देता हूं। मैंने तो वहां देखा नहीं, मैं तो उस खत की बेसिस पर ही कह रहा हूं।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आप इलेक्शन कमीशन से पूछ लीजिए।

चौधरी चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, हमारी बहन अगर यह कहती हैं कि यह बात गलत है तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे एक जिम्मेदार आदमी ने यह लिख कर भेजा है, उसका खत मेरे सामने है, आपकी इजाजत से मैं उसे पढ़ना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष—

कोई भी कागज अगर आप पढ़ेंगे तो उसे आपको यहां देना पड़ेगा... (व्यवधान)

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

बाबा राघवदास तो कुछ भी लिख कर भेज सकते हैं।

चौधरी चरण सिंह—

मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं उनको डिसविलीव नहीं करता, लेकिन मैंने जो कुछ कहा वह उनके पत्र के आधार पर कहा है।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, उस खत की कापी आप ले लीजिये। उसकी ओरीजनल फोटोग्राफ कापी आप करवा लें .....

श्री तेज नारायण त्रिवेदी (जिला लखीमपुर-खीरी)—

इसके पहले भी श्रीमन्, इन्होंने एक पत्र पढ़ा है, उसकी भी कापी आप ले लीजिए।

च धरी चरण सिंह—

जो मैं लेटर पढ़ना चाहता हूं, वह इस प्रकार है: "24 और 25 फरवरी को श्री उमाशंकर दीक्षित, गृह मंत्री, भारत सरकार, इलाहाबाद में मौजूद रहे, परन्तु उनकी उपस्थिति किसी भी सरकारी कार्यालय या सर्किट हाउस में नहीं दिखाई गई है।

2—22 फरवरी, को इलाहाबाद में श्रीमती इंदिरा गांधी आयीं थीं। उसी समय उन्हें अवगत कराया गया कि इलाहाबाद शहर की तीनों सीटें कांग्रेस हार रही है। उसी के बाद 23 फरवरी को रात में श्री उमा शंकर दीक्षित इलाहाबाद पधारे और इलाहाबाद के कलेक्टर और कुछ उच्चकोटि के कांग्रेसियों द्वारा श्री मिश्रा के यहां चुनाव में गड़बड़ी कराने, कांग्रेसी उम्मीदवारों को जिताने की साजिश की गई।

3—26 फरवरी को प्रातःकाल फोन द्वारा खबर मिली कि सिविल मेंथिडिस्ट स्कूल पर मेरा जो शामियाना लगा था, उसे फूंक दिया गया।

4—जब 26 फरवरी को पोलिंग शुरू हुई तो मैं और मेरे साथियों ने पोलिंग स्टेशनों का निरीक्षण किया, पोलिंग स्टेशनों पर कांग्रेसी उम्मीदवार की ओर से प्रत्येक बूथ पर अवैध तरीके से स्कूल अध्यापिकायें और कांग्रेस की महिलायें यह कहकर रखी गई हैं कि ये महिलाएं पोलिंग पार्टी के साथ हैं। परन्तु यह महिलायें माथे में गाय-बछड़े की टिकुली लगाए थीं और जब अशिक्षित स्त्री और पुरुष मतदान के लिए जाते थे तो नाखून में स्याही लगाने के बहाने उन्हें इशारा करके कहती थीं कि इसी में वोट देना।

5— कई स्थानों पर हमारे पोलिंग एजेन्टों ने अनेकों आपत्तियां लिख कर दीं परन्तु प्रिसाइडिंग आफिसरों ने आपत्तियों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर नहीं किये।

6—जब चुनाव समाप्त हुआ तो मैं श्री रमेशचन्द्र श्रीवास्तव, ऐडवोकेट और अन्य तीन लोगों के साथ ईश्वर शरण कालेज पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि श्री गुप्ता प्रेसाइडिंग आफिसर जो कि एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर हैं, चार बक्से अपनी गाड़ी में बिला शील मोहर किये, भाग गये। मेरे एजेन्टों ने पुलिस रिपार्ट किया और पुलिस ने रिपोर्ट ले लिया, न रसीद दिया न कोई कार्यवाही किया।

7—जैसे ही मैं श्री जनेश्वर मिश्रा के साथ कटरा पानी की टंकी पर पहुंचा तो हमारे समर्थकों ने बताया कि कटरा मछली बाजार जूनियर हाई स्कूल में एक पोलिंग पर प्रिसाइडिंग आफिसर अपने पोलिंग बूथ को छोड़कर दूसरे कमरे में बन्द करके अवैध कार्यवाही कर रहा है। जब हम लोग पहुंचे और दरवाजा खुलवाया गया तो 4 बक्से बिना शील किये हुए खुले थे। जिसका कुल हिसाब उससे लिखा रहे थे। इतने में दारागंज से खबर आई कि दारागंज बूथ नं0 114 का प्रिसाइडिंग आफिसर 4 बक्से लेकर अपनी फियेट कार लेकर भाग निकला। दारागंज पोलिंग स्टेशन पर से 6 बजे शाम को कार लेकर चला और साढ़े आठ बजे जिला चुनाव अधिकारी के जबानी मालूम हुआ। दारागंज 112 नं0 बूथ में दरवाजा बन्द करके प्रिसाइडिंग आफिसर खुले बक्से रखे रहे जिसकी रपट थाना दारागंज में दी गई है।

8—जब 27 फरवरी को गणना शुरू हुयी तो बक्सों में सजे-सजाए मत-पत्र निकले और चार बक्से खुले रहे। उनमें सजे-सजाये मत-पत्र रखे थे। उनके ऊपर भी सौ-सौ की तह किए हुए मत-पत्र बक्से के ऊपर रख थे।

उसके पश्चात्, मैंने मतगणना को नहीं चलने दिया। 12 बजे रात्रि को मुख्य चुनाव आयुक्त को मतगणना को रोकने की सूचना दी गयी तो मालूम हुआ कि 28 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त का पर्यवेक्षक आयेगा। पर्यवेक्षक 2 बजे आया और सीधा श्रीमती राजेन्द्री बाजपेयी के मकान पर गया। लगभग 5 बजे पर्यवेक्षक मतगणना स्थल में पहुंचा। पर्यवेक्षक को खले बक्से, जिन बक्सों में मतपत्र नोटों की भांति तह किये हुये रखे थे दिखाया गया। उससे कहा गया कि आप अपना निर्णय दें उसने कुछ कहा नहीं। रिटर्निंग आफिसर से कहा मतगणना शुरू कराओ मतगणना शुरू हो गई। दारागंज और कटरा के बक्से और खुले हुये 4 बक्से और जिनमें सजे-सजाये मतपत्र वाले बक्से को रिटर्निंग आफिसर ने कह दिया था कि सभी बक्सों की मतगणना नहीं होगी जो बक्से खुल गये हैं उनकी गणना होने के बाद निर्णय किया जायगा।

10—मतगणना के दूसरे चक्र में 57 मतों से मैं बढ़ा और तीसरा चक्र शुरू हुआ तो मैं और साथियों ने कहा कि जो बक्से आप रोक रखे थे उसके बारे में क्या निर्णय कर रहे हैं तो रिटर्निग आफिसर ने कहा कि वह बक्से तो कुल खुल गये और कहने लगा कि मैं बाहर चला गया था तो स्टाफ ने खोल दिया आपको और आपके एजेन्टों को देखना चाहिये था। जब मैंने मतगणना फिर रोकना चाहा तो C. R. P, और बार्डर पुलिस के घेरे में कर लिया गया। पहले ही से मत गणना को मेंजों पर 12–12 C, R. P. और बार्डर पुलिस लगा दिया था।

27 फरवरी को जब मुख्य चुनाव आयुक्त से पर्यवेक्षक आने की बात तय हुई तो जो बैलेट बक्सों को सील किया था और जिन स्थानों पर रखा था उन स्थानों पर नहीं थे और सील टूटी थी।

इसी प्रकार की अनेकों प्रकार जालसाजी, डकैती तथा अनियमितताये हुई हैं। यदि इसी प्रकार चुनाव होता रहा तो विपक्ष कभी भी सफल नहीं होगा। देश तानाशाही के शिकंजे में चला जायगा और बहुत-सी बातें हैं जो जल्दी में नहीं लिख पा रहा हूं। बाद में नोट लिखते हैं–"चुनाव में अपने दल अथवा त्रिदलीय मोर्चे की ओर से कोई सहयोग एवं सहायता नहीं प्राप्त हुई परन्तु मतदाताओं, समर्थकों की भरपूर सहयोग एवं सहायता प्राप्त थी।" दस्तखत करते हैं राम आधार यादव। 13 मार्च को मेरे पास भेजा है।

इस वक्त अब खत्म करता हूं अपने भाषण को। और केवल यह कहना चाहता हूं कि जनतंत्र की हत्या करने की बाकायदा साजिश हुई है। टाप कांग्रेस लीडरशिप और टाप ब्यूरोक्रेसी की। न केवल ब्युरोक्रेसी करवा सकती थी न केवल पालिटिकल लीडरशिप करवा सकती थी लेकिन तब्दीली आयेगी जरूर। बहुत लोगों ने इरादा किया है कि हम हमेशा पावर में रहेंगें। तब्दीली आयेगी। किस प्रकार आये यह जिन लोगों के हाथ में राजसत्ता है उन्हीं पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। मैं एक दो सवाल टेस्ट के तौर पर रखूंगा। कांग्रेस के पास कितना रुपया इकट्ठा हुआ है, किस प्रकार खर्च हुआ, उसका एकाउन्ट दें।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

आप दीजियेगा ?

चौधरी चरण सिंह—

मैं तैयार हूं। मेरे पास चार लाख रुपया कुल पड़ा है जो आपने एक-एक हल्के में खर्च कर दिया है। (व्यवधान तथा शोर) शोर मचाने से काम नही चलता। मैं चैलेन्ज करता हूं। (शोर) मैं आपका चैलेन्ज ऐक्सेप्ट करता हूं आप भी मेरा चैलेन्ज ऐक्सेप्ट करें कि कितना रुपया इकट्ठा हुआ और किस प्रकार खर्च हुआ, कितने कम्बल खरीदे गये और कहां-कहां कैसे बंटे और कितना रुपया पब्लिसिटी में खर्च हुआ। (शोर) शोर मचाने से काम नही चलेगा। मैं अपना हिसाब देने को तैयार हूं। मुझे आपका चैलेन्ज स्वीकार। मेरा चैलेन्ज है वह स्वीकार करें।

[चौधरी चरण सिंह]

अध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं । सारे सूबे के इलेक्शन की तहकीकात की जाय और तहकीकात भी अगर जुडीशल हो जाय तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जुडीशल बाडीज का प्रोसीजर बहुत लम्बा होता है, उनके लिये यह शर्त रख दी जाय कि तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट दे दें और जुडीशल में भी नानजुडीशल लोग, जो पब्लिक लाइफ में एमीनेंट हों जिनकी इन्टेग्रिटी हो, जो ऊंचा स्थान रखने वाले लोग हों जैसे मि० जय प्रकाश नारायण, मि० छागला, मि० पालकीवाला, और जो भी नाम आप सुझाव करें, लेकिन वह कांग्रेस पार्टी से या किसी अपोजीशन पार्टी से वास्ता न रखते हों। कुछ लोग अभी ऐसे बचे हुये हैं, उनको आप मुकर्रर कर दें ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, कहीं कोई सच्चाई तो होनी चाहिये । जो लोग किसी पोलीटिकल पार्टी से वास्ता न रखते हों, उनको कर लें। (व्यवधान)

क्या सवाल आपने राजनारायण जी का कर दिया, सिवाय शोर मचाने के, यह कोई दलील हुई । जब मैंने यह कहा कि किसी पार्टी से वास्ता न रखते हों, तो राजनारायण जी की क्या बात हुई..... (व्यवधान)

मान्यवर, जो भी अपोजीशन का नेता होता है, चाहें वह किसी भी पर्सनालिटी का हो, कोई बात कह रहा हो तो सुनना चाहिये, लेकिन सदन में कोई व्यवस्था नहीं है, जब कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसको अपनी बात कहने का पूरा मौका होना चाहिये । अगर आप मुझे एक-एक मिनट पर विघ्न डालकर बोलने न देंगे तो मैं भी देखता हूं कि आप कैसे बोलते हैं..... (व्यवधान)

मान्यवर, मैं अपना व्याख्यान कम्पलीट करता हूं और बैठता हूं, अब आप बोल लें..... (शोर) अध्यक्ष महोदय, सभा को चलाने के लिये कुछ नियम की जरूरत होती है, बिना उसके नहीं चल सकती । अगर आप बराबर नियम का उल्लंघन करते रहेंगे और कुछ न कुछ फिर के कसते रहेंगे, तो कोई भी आदमी बोल नहीं सकता । शिष्टाचार का तकाजा यह है, जब कि मैं उम्र में भी बड़ा हूं, ध्यान से बात सुन । अगर आप मुझे व्याख्यान नहीं करने देंगे तो मोटी बात है आपका भी नम्बर आने वाला है । (व्यवधान--शोर)

अध्यक्ष महोदय, जब मैंने आपसे यह कहा कि जो लोग अपने चरित्र के लिये प्रसिद्ध हों, सार्वजनिक जीवन में जिनका ऊंचा स्थान हो, आदर के पात्र आमतौर से हों, किसी पोलीटिकल पार्टी से या अपोजीशन पार्टी से या रूलिंग पार्टी से न वास्ता रखते हों, उनका एक कमीशन बना दिया जाय और सारे सूबे की बात छोड़ दीजिये, केवल इलाहाबाद जिला, मेरठ जिला, कानपुर जिला और लखनऊ जिला--इन 4 जिलों का केवल, किस प्रकार इलेक्शन हुआ, किस तरह से डिक्लेरेशन हुआ, इसकी तहकीकात कर दी जाय । जितनी बात मैंने कहीं है, हो सकता है गलत हों, लेकिन आपके कहने से गलत नहीं मानता । हमारा ख्याल है कि वह सही है, सामान्य जनता की यह राय है कि यह बात गलत है । हमारी इत्तिला के मुताबिक गलती हुई है और बेईमानी हुई है लेकिन यह सब बातें गलत हो सकती हैं लेकिन आपके कहने से वह गलत नहीं होंगी । अगर आप लोगों में विश्वास कायम करना चाहते हैं और डेमोक्रेसी की जो आधार शिला है इंडिपेन्डेन्ट और फेयर इलेक्शंस यानी निष्पक्ष चुनाव होना और बैलट पेपर्स की सेंकटिटी आब्जर्व होना तो यह विश्वास पैदा करना होगा क्योंकि आज जनता में यह विश्वास डगमगा गया है । आज लोग कहते हैं कि चौधरी साहब इलेक्शंस कराने से क्या फायदा । जब यह भावना है तो कोई और रास्ता सोचना चाहिये । कांग्रेस ने तय कर लिया कि इलेक्शंस के जरिये पावर नहीं छोड़नी है । फिर कौन सा रास्ता है । रास्ता यही है कि आप केवल चार जिलों की तहकीकात इंडिपेन्डेन्ट पब्लिक लीडर्स से करा दें ? अगर आपको यह मंजूर नहीं तो फिर इधर के बैठने वाले लोग यह सोचेंगे ही कि "देअर इज ए फ्लाई इन दि आइन्टमेंट" यानी दाल में कुछ काला है । मैं इन शब्दों के साथ उम्मीद करता हूं कि यह सदन मेरे संशोधन का समर्थन करेगा ।

*डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

माननीय अध्यक्ष जी, आज मैंने बहुत ही तकलीफ के साथ नेता विरोधी दल के द्वारा लगाये हुए उन आरोपों को सुना जो उन्होंने मेरे चुनाव के सिलसिले में इस माननीय सदन के सामने रखे हैं। मैं आश्चर्य कर रही थी कि आज माननीय चौधरी साहब को हो क्या गया है कि वह ऐसी तथ्यहीन बातें, सत्य से परे की बातें, निराधार बातें ऐसे व्यक्ति पर लगा रहे हैं जिसका राजनैतिक और व्यक्तिगत जीवन इस प्रदेश के सामने बिल्कुल साफ है, साफ आइने के समान है। मैं कहना चाहती हूं कि मेरा व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन, मेरे इलाहाबाद के साथी उस तरफ बैठे हैं वह कह सकते हैं, एकसा रहा है और मैंने अन्दर और बाहर एक तरह के उदाहरण को रखा है और एक तरह से आचरण किया है।

चुनाव के सिलसिले में कुछ बातें कही गयीं। जहां तक सवाल है बाबा रामाधार के हारने का तो एक बार नहीं वह तीसरी बार हारे हैं। सन् 67 में जब कठिन चुनाव था, ईंट और पत्थर का चुनाव था, गाड़ियां निकलना मुश्किल थीं, हमारा झंडा जलाया जाता था और मुझसे टेलीफोन पर कहा जाता था कि बाजपेयी जी वहां न जाइये, वहां ईंट पत्थर होंगे तो मैं कहती थी कि मुझे चनाव लड़ना है और मैं अपनी जनता के बीच में जाऊंगी, उन परिस्थितियों में मैंने चुनाव लड़ा और जब कि बड़े-बड़े लोग हारे थे मैं जीती थी। मैंने यह चौथा चुनाव उसी कांस्टीटुएंसी से जीता है। मेरी शहर की कांस्टीटुएन्सी है और लगातार शहर की कांस्टीटुएन्सी से जीतना बड़ा मुश्किल होता है। वहां पढ़ी-लिखी जनता है। मैं उनके बीच में काम करती हूं। सन् 69 में भी करीब-करीब इतने ही वोट से, दस-बीस का फर्क हो सकता है, मैं जीती थी।

एक सदस्य---

तब कांग्रेस इतनी बदनाम नहीं थी।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी---

सन् 69 में उत्तर प्रदेश की जनता ने एक फैसला लिया था और प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाले लोग इस बात को जानते हैं। कांग्रेस को उस वक्त भी बहुत बहुमत नहीं मिला था। सन् 69 के चुनाव के बाद कांग्रेस को स्प्रिट आयी है। अब सवाल इस बात का है कि बक्सों की चर्चा होती है। कभी मैंने अपने चुनाव में एक पैसे का इधर उधर नहीं किया जैसा कि मैं सुनती हूं लोग कराया करते हैं। जितना फेयर इलेक्शन हो सकता है, करने की कोशिश की है। जिस दिन वोटिंग हुई थी उसके बाद मैंने सुना एक जगह कहीं पर बाबा रामाधार शोरगुल मचा रहे हैं कि बाक्सेज नहीं हैं। मुझे फिक्र हुई कि आखिर क्या हो गया है क्योंकि मैंने बहुत कठिन परिस्थितियों में इलेक्शन लड़ा था। मैंने अपने आदमियों को भेजा कि मामला क्या है? पता लगा कि जिन बक्सों के लिये शोरगुल मचाया जा रहा है बाद में वह बक्से आ गये हैं। काउन्टिग हुई और वह ठीक निकली। मेरे आदमियों ने और इनके आदमियों ने रात भर पहरा दिया। दूसरे दिन काउंन्टिग होती है तो कहा गया कि अभी नहीं, इलेक्शन कमीशन का आदमी आ जाये। मुझे नहीं मालूम था कि कौन आदमी आने वाला है।

यह अच्छा हुआ कि दिल्ली से वह व्यक्ति आ गया जिससे फेयर इलेक्शन हुआ। श्री सेन, सेक्रेट्री, इलेक्शन कमीशन के सामने काउन्टिग हुई इसलिये मैं आश्वस्त हुई कि अच्छा हुआ कि मैं मिस्टर सेन को नहीं जानती और वह न मेरे घर पर आये। वह दिल्ली से कब आये यह भी मैं नहीं जानती। मैंने दूसरे दिन 5, 6 बजे पूछा तो पता लगा। मैं नहीं जानती थी कि दिल्ली से आने वाला कौन व्यक्ति है। उसके बाद काउंन्टिग होती है। जिन चार बक्सों की चर्चा की गई है उनको देखा गया। उनमें से दो बाक्सेज खोले गये कि क्या बात है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी]

मुझे यह बतलाया गया कि जिन बक्सों के लिये इतनी चर्चा है उनको जब इलेक्शन कमीशन के सामने खोला गया तो बहुमत के पर्चे बाबा रामाधार के थे । तो उसके बाद दो बक्से खुलने के बाद वह चुप हो गये । पहली काउंन्टिग में मैं 1,400 से लीड कर रही थी । दूसरे बक्सों में बराबर वोट निकलते रहे और 50 वोट दूसरे व्यक्ति को मेरे से ज्यादा मिले लेकिन 1,400 वोट के कारण मैं लीड कर रही थी। दूसरी काउंन्टिग में ढाई बजे वह अपने एजेन्ट के साथ अधिकारियों को गाली गलौज देते हुये कैम्प से चले गये और इलेक्शन कमीशन के सामने काउंन्टिग हुई। जब ६ बजे तो पता लगा कि दो बक्से अभी नहीं खुले हैं तो मैंने लिख कर दिया कि जब कोई बेईमानी नहीं हुई है तो बक्से खुलना चाहिये ताकि लोगों को पता लगे कि कितने वोट हैं और किस पार्टी के हैं । मेरे लिखने पर मिस्टर सेन ने दोनों बक्से खुलवाये। उसमें मेरे, बी0 के0 डी0 और जनसघ के वोट थे और बाकी कन्डीडेट्स के भी एक एक, दो दो पड़े थे। तो जो चारों बक्सेज खोले गये थे उनमें भी बाबा रामाधार को लीड मिली थी । इसके आंकड़े हैं। मैंने सेन से कहा कि आप इनकी काउंन्टिग अलग करके रख दें जिससे इलेक्शन पेटीशन होता है तो उससे पता लग सकेगा । उन बाक्सेज के अन्दर जो वोट हैं वह बाबा रामाधार, मेरे और जनसघ के हैं। इन बाक्सेज में कोई बात नहीं है। अलग से उन पर सील की गई है जिससे वेरीफिकशन हो सके। मेरा कहना केवल यह है कि जिन परिस्थितियों में मैंने चुनाव लड़ा और जिस तरह से वी के (डी0 के लोग शिकायत करते हैं और चौधरी साहब ने कहा कि चारों ओर पुलिस खड़ी कर दी गई तब काउंन्टिग कराई गई । हुआ यह कि इलाहाबाद के जितने नामी गुन्डे थे वह वहां पर इकट्ठे कर दिये गये थे और प्लानिंग यह थी कि हमारे बैलट पेपर को खींच कर जला दिया जायगा और रिपोलिंग कराई जायगी । इस प्लानिंग के साथ गुन्डे वहां पर इकट्ठा किये गये थे। इसलिए वहां पर पुलिस का इन्तजाम किया गया था ताकि गुन्डे हमारे बैलेट पेपर को छू न सकें । कहावत है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे । गुंडागीरी उन्होंने की और यहां चौधरी चरण सिंह उन गुंडों की तरफ से इस सदन के के अन्दर मेरे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इस तरह से कह रहे हैं जैसे मैंने कोई गलत काम किया हो । कोई तैयार हो या न हो मैं किसी भी कमीशन को बिठाने के लिये तैयार हूं क्योंकि मैंने किसी तरह की कोई बेईमानी नहीं की । बक्सों की काउंन्टिग न हो इस सिलसिले में भी मैंने लिख कर दे दिया था कि काउन्टिग की जाय ताकि सच बात दुनिया के सामने आये और लोगों को पता लग सके कि बक्सों के अन्दर क्या है ? जहां तक कमीशन बिठाने का सवाल है किसी भी व्यक्ति को चौधरी चरण सिंह नामिनेट कर दें और यह साबित हो जायगा कि मैंने बेईमानी की है तो मैं रिजाइन कर दूंगी विधान सभा की सदस्यता से वर्ना चौधरी साहब रिजाइन करेंगे (हर्षध्वनि) अब चूंकि समय हो गया है और चौधरी साहब ने बहुत सी बातें कहीं हैं, इन्दिरा जी, मेरे ऊपर तथा सरकार पर आक्षेप लगाये हैं। कल मुझे उसका जवाब देने के लिये मौका दिया जाय ताकि मैं अपनी बात को तफसील के साथ कह सकूं और उन तथ्यों तथा आंकड़ों को पेश कर सकूं जो इस सम्बन्ध में मेरे पास हैं ।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 3 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
20 मार्च, 1974 ई0 ।

पी0 एस0 यू0 पी0--ए0 जी0--17 वि0 सभा--(391)--1974--835।